रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072025-264709
CG-DL-E-16072025-264709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2025/आषाढ़ 23, 1947
No. 425] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2025/ASHADHA 23, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 468(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 35 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "तटीय बालू खनिज" का वही अर्थ होगा जो उसका खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग ख की क्रम संख्या 6 में है;

(ग) "बोर्ड" से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 27 के अधीन गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "विभाग" से केन्द्रीय सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग अभिप्रेत है;

(ङ) "निदेशालय" से विभाग के अधीन परमाणु खनिज खोज एवं अनुसंधान निदेशालय अभिप्रेत है;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "अवैध खनन" से किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित संक्रिया संबंधी अधिकार के बिना किसी अपतट क्षेत्र में या उस अपतट क्षेत्र की सीमाओं के बाहर ऐसा संक्रिया संबंधी है जिसके लिए संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है, की गई कोई आवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया अभिप्रेत है;

परंतु, किसी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र या पट्टा क्षेत्र के भीतर अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (त क) के अधीन बनाए गए नियमों के अलावा किसी अन्य नियम का उल्लंघन अवैध खनन नहीं माना जाएगा;

(ज) "पट्टा क्षेत्र" से वह क्षेत्र, जिसके लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया है, अभिप्रेत है;

(झ) "अनुज्ञप्ति क्षेत्र" से वह क्षेत्र, जिसके लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है;

(ञ) "विहित पदार्थ" से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के अधीन विहित पदार्थों की सूची में सम्मिलित खनिज अभिप्रेत हैं;

(ट) "रन-ऑफ-माइन" से पट्टा क्षेत्र के खनिजयुक्त क्षेत्र से ड्रेजिंग या खनन के बाद प्राप्त प्राकृतिक अवस्था में कच्ची, अप्रसंस्कृत या अपरिष्कृत सामग्री अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है; और

(ड) "परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य" से परमाणु खनिज का वह ग्रेड अभिप्रेत है, जो अयस्क में निहित विहित पदार्थों के भार के प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट है, जैसा कि परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट और अधिसूचित किया गया है, जो उस विशेष परमाणु खनिज के लिए प्रारंभिक मूल्य है जो उस रूप में या एक या अधिक खनिजों के साथ पाया जाता है; और

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियमों में है।

3. लागु होना.—(1)ये नियम केवल ऐसे परमाणु खनिजों से संक्रिया संबंधी अधिकारों पर लागू होंगे जो इस रूप में या एक या एक से अधिक अन्य खनिजों के साथ पाए जाते हैं, परंतु, ऐसे परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो।

(2) परमाणु खनिजों से संबंधित संक्रिया संबंधी अधिकार, जहां अयस्क में निहित परमाणु खनिज का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य से कम है, *को यथावश्यक परिवर्तनों सहित,* लागू अपतट

क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(3) खनिज संसाधनों की विद्यमानता हेतु परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के आकलन के अनुसरण में इन नियमों के लागु होने का अवधारण निदेशालय द्वारा नियम 4 के उप-नियम (5) या नियम 6 के उप-नियम (6) या नियम 7 के उप-नियम (6) के उपबंधों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार किया जाएगा ।

(4) यदि एक या एक से अधिक परमाणु खनिज अन्य खनिजों के साथ पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य से कम है, तो उत्पादन संक्रिया, प्रसंस्करण या सज्जीकरण से उत्पन्न किसी भी परमाणु खनिज को परमाणु खनिजों के संरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देशों और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उनका निपटान किया जाएगा।

अध्याय 2
परमाणु खनिजों के लिए अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया

4. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन परमाणु खनिजों के लिए अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया.—(1)अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन अनुमति प्राप्त एजेंसियां, संक्रिया संबंधी अधिकार के बिना परमाणु खनिजों के लिए अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया कर सकती हैं और ऐसी संक्रियाएं अनुसूची क के अनुपालन में की जाएंगी:

परंतु, जहां इस उप-नियम के अधीन अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया की जानी हो, वहां ऐसी संक्रियाएं करने की इच्छुक एजेंसियां, अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया के लिए अपेक्षित क्षेत्र और अवधि के ब्यौरा सहित प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करेंगी।

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग के साथ पूर्व परामर्श करके, अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिन की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा।

(3) अधिसूचना जारी होने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी को उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई संक्रिया संबंधी अधिकार नहीं देगा जिसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(4) उप-नियम (1) के अधीन अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया के पूरा होने पर, ऐसी संक्रियाएं करने वाली एजेंसी अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्रारूप में विभाग, निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(5) उप-नियम (4) के अधीन भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर निदेशालय परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य सहित उस क्षेत्र में परमाणु खनिजों के ग्रेड की तुलना करेगा जहां अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया की गई है और, यदि—

(क) परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य से कम है, तो निदेशालय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की एक प्रति के साथ एक लिखित सूचना केंद्रीय सरकार को प्रदान करेगा, जो अधिनियम की धारा 8, धारा 12 या धारा 13 के अनुसार, और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र पर संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान कर सकता है:

परंतु, खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के दौरान निष्कर्षित परमाणु खनिजों को परमाणु खनिजों के संरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देशों और रेडियोलॉजिकल

सुरक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उनका निपटान किया जाएगा;

(ख) परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है और,—

(i) संकेतित खनिज संसाधन (332) सिद्ध करने के लिए कम से कम सामान्य खोज (जी2) पूरा हो चुकी है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा केवल इन नियमों के अनुसार ही उत्पादन पट्टा प्रदान किया जाएगा, या

(ii) यदि अवीक्षण खनिज संसाधन (334) का आकलन करने के लिए कम से कम अवीक्षण सर्वेक्षण (जी4) पूरा हो गया है या उपलब्ध भूविज्ञान आंकड़ों के आधार पर खनिज ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान कर ली गई है, लेकिन संसाधनों को अभी सिद्ध किया जाना है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा केवल इन नियमों के अनुसार ही संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।

(6) निदेशालय, निदेशालय द्वारा तैयार की गई अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्टों की उप-नियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट समान जांच करेगा और उप-नियम (5) के खंड (क) और (ख) के अधीन अपेक्षित कार्रवाई के लिए आंकड़ा को प्रशासनिक प्राधिकारी को सौंप देगा।

(7) यदि निदेशालय को उप-नियम (4) के अधीन प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट उप-नियम (5) के अधीन निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त लगती है, तो वह निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आंकड़ों के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांग सकता है या आगे अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया तथा निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है और ऐसे निष्कर्षों एवं आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् निदेशालय उप-नियम (5) में यथा निर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।

(8) यदि निदेशालय लिखित रूप में सूचित करता है कि अवीक्षण संक्रिया या खोज संबंधी संक्रिया पूरी हो गई है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन दी गई अधिसूचना को रद्द कर सकता है।

अध्याय 3
खोज और संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान करना

5. विभाग के अनुरोध पर संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान करना.—जहां निदेशालय द्वारा नियम 4 के उप-नियम (5) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची क में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुरूप तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की जांच से यह पता चलता है कि परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी,—

(क) उस क्षेत्र की पहचान और सीमांकन करना जहां, यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है;

(ख) खंड (क) के अधीन पहचाने गए और सीमांकित क्षेत्र पर संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए सटीक क्षेत्रों के साथ देशांतर और अक्षांश सहित एक प्रस्ताव विभाग और केंद्रीय सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करना कि ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सरकार, किसी सरकारी कंपनी या निगम को नामित किया जाए।

6. संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया.—(1)नियम 5 के खंड (ख) के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में, विभाग केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके निदेशालय और भावी अनुज्ञप्तिधारी के प्रशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा, साथ ही ऐसे क्षेत्र में परमाणु खनिजों के ग्रेड के बारे में पुष्टि भी करेगा जो परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचित करने पर, केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी से परामर्श करके, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आरक्षित कर सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (2) के अन्तर्गत किसी अपतट क्षेत्र को अधिसूचित करने से पूर्व विभाग; रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; गृह मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; अंतरिक्ष विभाग; दूरसंचार विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन मत्स्यपालन विभाग; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और किसी अन्य मंत्रालय या विभाग, जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, से परामर्श करेगी।

(4) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना को अधिनियम की धारा 6 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र में परमाणु खनिजों के लिए खनिज संसाधनों की विद्यमानता को दर्शाने के लिए साक्ष्य माना जाएगा।

(5) उप-नियम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने पर उप-नियम(1) में विनिर्दिष्ट सूचना की एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा भावी अनुज्ञप्तिधारी को भेजी जाएगी।

(6) उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, विभाग, जहां भी आवश्यक हो, यूरेनियम और थोरियम युक्त खनिजों के मामले में क्षेत्र और निक्षेप-विशिष्ट प्रारंभिक मूल्यों को अतिरिक्त रूप से अधिसूचित करने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखेगा और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन, परमाणु खनिजों से जुड़े एक या अधिक विशिष्ट खनिजों के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी को अधिकृत करेगा।

(7) भावी अनुज्ञप्तिधारी, उप-नियम (5) के अधीन सूचना की एक प्रति प्राप्त होने से दो मास की अवधि के भीतर, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, साथ ही प्रति मानक ब्लॉक दस हजार रुपये का आवेदन शुल्क भी देना होगा।

(8) प्रशासनिक प्राधिकारी उप-नियम (7) के अधीन सम्यक पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर, संभावित अनुज्ञप्तिधारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए, अनुमोदित गवेषण योजना और संबंधित सरकारी एजेंसियों से अपेक्षित अन्य आवश्यक मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगा;

(9) **उप-नियम (8) के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, भावी अनुज्ञप्तिधारी—**

(क) अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार गवेषण योजना तैयार करेगा और उप-नियम (8) के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी से सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर निदेशालय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा;

(ख) अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य राशि के लिए प्ररूप क में बैंक प्रत्याभूति या प्रतिभूति जमा के रूप में प्रशासनिक प्राधिकारी को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा, जिस निष्पादन प्रतिभूति को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख या संयुक्त अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(ग) खोज संबंधी संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपेक्षित सरकारी प्राधिकारियों से अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनापत्ति आदि प्राप्त करना;

(घ) यथा निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करेगा।

(10) भावी अनुज्ञप्तिधारी उप-नियम (9) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रशासनिक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए भावी अनुज्ञप्तिधारी को आदेश जारी करेगा।

(11) भावी अनुज्ञप्तिधारी उप-नियम (10) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के आदेश की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख या संयुक्त अनुज्ञप्ति निष्पादित करेगा और यदि भावी अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो प्रशासनिक प्राधिकारी संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले आदेश को रद्द कर सकेगा और उस स्थिति में उप-नियम (7) के अधीन भुगतान किया गया शुल्क प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा।

(12) **संयुक्त अनुज्ञप्ति का गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:—**

(क) संयुक्त अनुज्ञप्ति का गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख प्ररूप ख में होगा;

(ख) ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति का क्षेत्र वही होगा जो नियम 5 के खंड (क) में प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ग) विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु, विभाग से परामर्श के पश्चात् केंद्रीय सरकार का यह मत है कि परमाणु खनिज या उद्योग के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अधिनियम की धारा 13क के अनुसार, किसी खनिज या ऐसे खनिज के निक्षेपों की किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी या सहबद्ध खनिजों के ऐसे समूह के संबंध में उक्त क्षेत्र सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी।

(घ) यदि परमाणु खनिजों के संबंध में निर्धारित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले परमाणु खनिज अन्य खनिजों के साथ विद्यमान हैं, तो परमाणु खनिजों सहित ऐसे सभी खनिजों के लिए एक ही अनुज्ञप्तिधारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।

(13) वह अवधि जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, प्रारंभ होने की तारीख वह तारीख होगी जिसको संयुक्त अनुज्ञप्ति का सम्यक् रूप से निष्पादित गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

(14) इन नियमों के अधीन प्रदत्त सभी संयुक्त अनुज्ञप्तियां, संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगे:

परंतु, प्रशासनिक प्राधिकारी, उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर, कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके तथा यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को खोज संबंधी संक्रियाओं के संतोषप्रद समापन के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

आगे यह भी उपबंध है कि प्रथम परंतुक के अधीन बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, की समाप्ति पर उसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(15) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना सरकार, सरकारी कंपनी या निगम को दिए गए विद्यमान अनुज्ञप्ति क्षेत्र में पाए गए किसी भी नए खनिज को सम्मिलित नहीं करेगा:

परंतु, प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी नए खनिजों सहित गवेषण योजना को संशोधित करेगा तथा निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा:

परन्तु यह और कि, जहां संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं और ऐसे खनिज संयुक्त अनुज्ञप्ति में सम्मिलित हैं, वहां ऐसे खनिज के लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति की अवधि, जो संयुक्त अनुज्ञप्ति में सम्मिलित की गई है, वही होगी जिसके लिए प्रथम संयुक्त अनुज्ञप्ति मूल रूप से प्रदान की गई थी।

(16) संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रिया करेगा जिससे खनिज संसाधनों की विद्यमानता का पता लगाया जा सके और खोज संबंधी संक्रियाओं के लिए लागू आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रियाओं से संबंधित सभी रिपोर्ट, अध्ययन और अन्य दस्तावेज निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(17) **यदि कोई संयुक्त अनुज्ञप्तिधारक,—**

(क) खोज संबंधी संक्रियाओं को पूरा करने में विफल रहता है या अनुसूची क के उपबंधों के अनुसार परमाणु खनिज संसाधनों की विद्यमानता को सिद्ध करने में विफल रहता है, या संयुक्त अनुज्ञप्ति की शर्तों या अधिनियम की आवश्यकताओं और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने में विफल रहता है, ऐसा धारक उत्पादन पट्टा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और संयुक्त अनुज्ञप्ति व्यपगत कर दी जाएगी;

(ख) खोज संबंधी संक्रियाओं को पूरा करता है और खोज संबंधी संक्रियाओं के परिणाम को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है, जिसमें अनुसूची क के अनुरूप खनिज संसाधनों की विद्यमानता को प्रदर्शित किया जाता है, और निदेशालय भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के निष्कर्षों की पुष्टि करेगा।

परंतु, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाले ब्यौरा सम्मिलित होंगे

परंतु, निदेशालय को खंड (ख) के अधीन प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त लगती है, तो वह अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या निदेशालय द्वारा यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त आंकड़ों के संबंध में आगे खोज संबंधी संक्रिया और निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है तथा ऐसे निष्कर्षों और आंकड़ों की प्राप्ति पर निदेशालय खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट कार्रवाई करेगा:

परंतु, निदेशालय द्वारा अतिरिक्त सूचना या निष्कर्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा के बावजूद, खोज संबंधी संक्रियाएं पूरी करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध अधिकतम समयावधि उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।

(18) निदेशालय से पुष्टि प्राप्त होने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को नियम 7 के उप-नियम (7) के अनुसार उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु अपनी पात्रता की सूचना देगा।

(19) उपनियम (17) के खंड (ख) के अधीन निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर, संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक इस नियम के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का त्याग कर सकेगा और ऐसे मामले में प्रशासनिक प्राधिकारी यह संतुष्टि हो जाने के पश्चात कि भूवैज्ञानिक रिपोर्ट अनुसूची क के अनुरूप तैयार की गई है, निष्पादन प्रतिभूति वापस कर देगा।

7. **उत्पादन पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया.**—(1)नियम 5 के खंड (ख) के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में, विभाग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, भावी पट्टेदार के निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा, साथ ही इस बात की पुष्टि भी करेगा कि ऐसे क्षेत्र में परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सूचना के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र को आरक्षित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (2) के अन्तर्गत किसी अपतट क्षेत्र को अधिसूचित करने से पहले रक्षा मंत्रालय; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; गृह मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; अंतरिक्ष विभाग; दूरसंचार विभाग; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अन्तर्गत मत्स्यपालन विभाग; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से परामर्श करेगी।

(4) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना को अधिनियम की धारा 6 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र में परमाणु खनिजों के लिए खनिज संसाधनों की विद्यमानता को दर्शाने के लिए साक्ष्य माना जाएगा।

(5) उप-नियम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने पर, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा भावी पट्टेदार को भेजी जाएगी।

(6) उप-नियम (1), (2) और (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, विभाग, जहां भी आवश्यक हो, यूरेनियम और थोरियम युक्त खनिजों के मामले में क्षेत्र और निक्षेप-विशिष्ट प्रारंभिक मूल्यों को अतिरिक्त रूप से अधिसूचित करने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखेगा और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन, परमाणु खनिजों से जुड़े एक या अधिक विशिष्ट खनिजों के लिए उत्पादन पट्टा देने हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी को अधिकृत करेगा।

(7) भावी पट्टेदार उप-नियम (5) के अधीन सूचना की प्रति प्राप्त होने से दो मास की अवधि के भीतर, या नियम 6 के उप-नियम (18) के अधीन सूचना की प्रति प्राप्त होने से दो मास की अवधि के भीतर विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ प्रति मानक ब्लॉक दस हजार रुपये का आवेदन शुल्क भी होगा।

(8) प्रशासनिक प्राधिकारी उप-नियम (7) के अधीन सम्यक् रुप से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर, उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए संभावित पट्टेदार को अनुमोदित उत्पादन योजना और संबंधित सरकारी एजेंसियों से अपेक्षित अन्य आवश्यक मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेगा;

(9) **उप-नियम (8) के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, भावी पट्टेदार—**

(क) अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार उत्पादन योजना तैयार करेगा और उप-नियम (8) के अधीन प्रशासनिक प्राधिकारी से संचार जारी करने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर निदेशालय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा;

(ख) प्ररूप ग में बैंक प्रत्याभूति के रूप में या प्रतिभूति जमा के रूप में, अनुमानित संसाधनों के मूल्य के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी को एक निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा, जिसे प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपतट खनिज विकास तथा उत्पादन करार और उत्पादन पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(ग) निष्पादन प्रतिभूति को प्रत्येक पांच वर्ष में समायोजित करें ताकि यह अनुमानित संसाधनों के पुनर्मूल्यांकित मूल्य के 0.50 प्रतिशत के अनुरूप बनी रहे;

(घ) उत्पादन संक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपेक्षित सरकारी प्राधिकारियों से अनुमोदन या अनुज्ञापत्र या अनापत्ति आदि प्राप्त करेगा;

(ङ) इस उप-नियम के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के बाद केंन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रशासनिक प्राधिकारी के साथ अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार पर हस्ताक्षर करेगा; और

(च) यथा निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा करेगा।

(10) भावी पट्टेदार उप-नियम (9) में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रशासनिक प्राधिकारी अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए भावी पट्टेदार को आदेश जारी करेगा।

(11) भावी पट्टेदार उप-नियम (10) के अनुसार पट्टा प्रदान करने के आदेश की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उत्पादन पट्टा विलेख निष्पादित करेगा और यदि भावी पट्टेदार की ओर से किसी चूक के कारण उक्त अवधि के भीतर ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी उत्पादन पट्टा प्रदान करने के आदेश को रद्द कर सकता है और उस स्थिति में उप-नियम (7) के अधीन भुगतान किया गया शुल्क प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए समपहृत कर लिया जाएगा।

(12) उत्पादन पट्टा विलेख निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:—

(क) उत्पादन पट्टा विलेख प्ररूप घ में होगा;

(ख) ऐसे उत्पादन पट्टे का क्षेत्र वही होगा जो नियम 5 के खंड (क) में प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ग) विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु, यदि विभाग से परामर्श के पश्चात् केंद्रीय सरकार का यह मत है कि परमाणु खनिज या उद्योग के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अधिनियम की धारा 13क के अनुसार, किसी खनिज या ऐसे खनिज के निक्षेपों की किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी या सहबद्ध खनिजों के ऐसे समूह के संबंध में उक्त क्षेत्र सीमा को बढ़ा या घटा सकेगी।

(घ) यदि परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले परमाणु खनिज अन्य खनिजों के साथ मौजूद हैं, तो परमाणु खनिजों सहित ऐसे सभी खनिजों के लिए उत्पादन पट्टा उसी पट्टेदार को प्रदान किया जाएगा।

(13) जिस अवधि के लिए उत्पादन पट्टा प्रदान किया जाता है, उसके प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन विधिवत् निष्पादित उत्पादन पट्टा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

(14) इन नियमों के अधीन प्रदत्त सभी उत्पादन पट्टे, उस अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे जब तक कि खान में ऐसे खनिजों का सम्पूर्ण भंडार व्यपगत नहीं हो जाता।

(15) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना सरकार, सरकारी कंपनी या निगम को प्रदत्त मौजूदा पट्टा क्षेत्र में पाए गए किसी भी नए खनिज को सम्मिलित नहीं करेगा:

परंतु, विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने पर पट्टेदार नये खनिजों सहित उत्पादन योजना को संशोधित करेगा तथा निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा:

आगे यह भी उपबंध है कि जहां उत्पादन पट्टा दिए जाने के पश्चात् पट्टा क्षेत्र में एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं और ऐसे खनिज उत्पादन पट्टे में सम्मिलित हैं, वहां ऐसे सम्मिलित खनिज के लिए उत्पादन पट्टे की अवधि वही होगी जिसके लिए प्रथम उत्पादन पट्टा मूलतः स्वीकृत किया गया था।

8. संक्रिया संबंधी अधिकार धारक द्वारा परमाणु खनिजों की खोज.—(1)यदि अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 के अधीन प्रदान किए गए संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक किसी परमाणु खनिज की खोज करता है, तो उसे विभाग, निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में इसकी रिपोर्ट देनी होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर निदेशालय उस क्षेत्र में परमाणु खनिजों के ग्रेड की तुलना परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के साथ करेगा जिसके लिए संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है, और—

(क) यदि परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य से कम है, तो संक्रिया संबंधी अधिकार धारक अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार अपने संक्रिया संबंधी जारी रख सकता है;

(ख) यदि परमाणु खनिजों का ग्रेड परमाणु खनिजों के संबंध में प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, तो,

(i) धारा 12 के अधीन संयुक्त अनुज्ञप्ति के मामले में, ऐसा संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक विभाग के परामर्श के पश्चात् प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा, केवल तभी संयुक्त अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र होगा, जब वह सरकार, सरकारी कंपनी या निगम है; या

(ii) उत्पादन पट्टे के मामले में, पट्टेदार उस विशेष खनिज के लिए उत्पादन संक्रिया जारी रखेगा, जिसके लिए उत्पादन पट्टा विभाग के पूर्वानुमोदन से प्रदान किया गया था और विभाग द्वारा अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में, प्रशासनिक प्राधिकारी के परामर्श के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन पट्टा व्यपगत कर दिया जाएगा:

परंतु, उत्पादन संक्रियाओं के दौरान इस प्रकार खोजे गए परमाणु खनिजों का, परमाणु खनिजों के संरक्षण के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा विकिरण सुरक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रयोग और निपटारा किया जाएगा:

परंतु, केन्द्रीय सरकार संयुक्त अनुज्ञप्ति को व्यपगत कर दे या यदि केन्द्रीय सरकार विभाग द्वारा अस्वीकृत करने के आधार पर उत्पादन पट्टे को व्यपगत कर दे तो केन्द्रीय सरकार खोज संबंधी संक्रिया के धारक को ऐसी राशि का भुगतान करेगी जो उसकी राय में, यथास्थिति, ऐसी खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया पर किए गए व्यय का उचित अनुमान होगी।

(3) यदि निदेशालय को उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट उप-नियम (2) के अधीन निर्धारण करने के लिए अपर्याप्त लगती है, तो वह संक्रिया संबंधी अधिकार धारक से अतिरिक्त सूचना मांग सकता है या संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को खोज जारी रखने तथा निदेशालय द्वारा यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त आंकड़ों के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।

(4) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष और आंकड़ा प्राप्त होने पर निदेशालय उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।

अध्याय 4
परमाणु खनिजों के लिए गवेषण योजना और उत्पादन योजना

9. गवेषण योजना.—नियम 6 के उप-नियम (10) के अधीन दी गई संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में कोई भी खोज संबंधी संक्रिया नहीं की जाएगी, सिवाय उस गवेषण योजना के अनुसार जो अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के अधीन तैयार, प्रस्तुत, अनुमोदित, संशोधित और समीक्षा की गई हो।

(2) यदि नियम 6 के उपनियम (10) के अधीन प्रदत्त संयुक्त अनुज्ञप्ति, उपनियम (12) के खंड (ग) या नियम 6 के अनुसार परमाणु खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए भी है, तो अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट परमाणु खनिजों सहित सभी खनिजों के संबंध में खोज संबंधी संक्रियाएं करने के लिए एक संयुक्त गवेषण योजना तैयार करेगा।

10. उत्पादन योजना.—नियम 7 के उप-नियम (10) के अधीन प्रदत्त उत्पादन पट्टे के संबंध में कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया जाएगा, सिवाय उस उत्पादन योजना के अनुसार जो अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के अधीन तैयार, प्रस्तुत, अनुमोदित, संशोधित और समीक्षा की गई हो।

(2) यदि नियम 7 के उपनियम (10) के अधीन प्रदत्त उत्पादन पट्टा, नियम 7 के उपनियम (12) के खण्ड (ग) के अनुसार, परमाणु खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए भी है, तो पट्टेदार, परमाणु खनिजों सहित, उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट सभी खनिजों के संबंध में उत्पादन संक्रियाएं करने के लिए एक संयुक्त उत्पादन योजना तैयार करेगा।

अध्याय 5
संयुक्त अनुज्ञप्ति और उत्पादन पट्टा की निबंधन और शर्तें

11. संयुक्त अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें.—(1) प्रत्येक संयुक्त अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात्:—

(क) अनुज्ञप्ति क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रयोजनों के अतिरिक्त

(i) अनुसूची ख के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर ऐसे परमाणु खनिजों की बिना किसी भुगतान की कोई मात्रा;

(ii) ऐसे खनिजों की कोई मात्रा जो अनुसूची ख के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो, उन खनिजों के संबंध में अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामिस्व के भुगतान पर अन्य प्रयोजनों के लिए खनिज निष्कासन कर सकता है और ले जा सकता है:

परंतु, यदि इस खंड में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई मात्रा जीती है और ले जाई जाती है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी जीती और ले जाई गई खनिजों की अधिक मात्रा का कीमत वसूल करेगा और अधिनियम की धारा 23 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा;

(ख) प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, अनुज्ञप्तिधारी, रासायनिक, धातुकर्म, सज्जीकरण या अयस्क की ड्रेसिंग करने तथा अन्य परीक्षण प्रयोजनों के लिए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वामिस्व के भुगतान पर, अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक मात्रा में परमाणु खनिजों को ले जा सकता है;

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी अवैध खनन के लिए दोषसिद्ध हो जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के आदेश के क्रियान्वयन को निलम्बित करने वाला किसी न्यायालय के कोई आदेश नहीं हैं, तो केंद्रीय सरकार, विभाग के परामर्श से और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देकर, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रारंभ की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी संयुक्त अनुज्ञप्ति को व्यपगत कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने के पश्चात, प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को समपहृत कर सकेगी;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित होंगे;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) सहित अधिनियम, नियमों और तत्समय प्रवृत्त विधियों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(च) अनुज्ञप्तिधारी सभी खोज आंकड़े, रिपोर्ट, नमूने, जिसमें खनिज निष्कासन और निकाले गए ऐसे नमूनों की मात्रा से संबंधित आंकड़े और खोज संबंधी संक्रिया के दौरान उसके द्वारा एकत्र की गई अन्य सुसंगत जानकारी सम्मिलित है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निदेशालय, विभाग, प्रशासनिक प्राधिकरी और यथा निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा और निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(iii) तिमाही की समाप्ति के पश्चात तीस दिन की अवधि के भीतर त्रिमासिक रिपोर्ट;

(iv) वर्ष की समाप्ति के पश्चात साठ दिन की अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट;

(v) संयुक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कोई अन्य रिपोर्ट;

(छ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रियाओं के दौरान एकत्रित किसी भी आंकड़ा को प्रशासनिक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना भंडारकरण, प्रसंस्करण या निर्वचन के लिए किसी तृतीय पक्षकार के साथ साझा नहीं करेगा;

(ज) अनुज्ञप्तिधारी उसका निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में किसी जलयान, प्लेटफार्म, स्थापना या किसी अन्य अवसंरचना में प्रवेश करने वाले विभाग या निदेशालय या प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्राधिकृत प्राधिकारी को अनुज्ञात करेगा;

(झ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रियाओं पर उसके द्वारा किए गए सभी व्ययों का सटीक और सही लेखा रखेगा, तथा ऐसी संक्रियाओं के दौरान प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा और अन्य ब्यौरे और उनके प्रेषण का लेखा भी रखेगा;

(ञ) अनुज्ञप्तिधारी, उस जलयान या संस्थापन पर खोज संबंधी संक्रियाओं के दौरान एकत्रित आंकड़ों का दैनिक लॉग बनाएगा जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ऐसी संक्रियाएं की जा रही हैं और विभाग या निदेशालय या केंद्रीय सरकार या इस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकरी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे आंकड़ा लॉग का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और अनुज्ञप्तिधारी, संयुक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य रिपोर्ट देने से संबंधित आवश्यकताओं का भी अनुपालन करेगा;

(ट) अनुज्ञप्तिधारी को जलयानों, ड्रोनों को तैनात करने और अनुज्ञप्ति क्षेत्र में ऐसे सभी अस्थायी बोया, संरचनाओ, भाप और अन्य इंजनों, मशीनरी, सुविधाओं और मालमत्ता को लाने का अधिकार होगा, जिन्हें उसकी खोज संबंधी संक्रियाओं को प्रभावी ढंग से चलाने या वहां कामगारों के रोजगार के लिए उचित और आवश्यक समझा जा सकता है;

(ठ) अनुज्ञप्तिधारी को अपतट क्षेत्रों में जलयानों, प्रतिष्ठानों, मशीनरी, इंजनों, प्लेटफार्मों, ड्रोनों और अन्य प्रतिष्ठानों या उपस्करों की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी लागू विधियों और विनियमों का पालन करना होगा;

(ड) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी जलयान, स्थापना, मशीनरी, इंजन, प्लेटफॉर्म, ड्रोन और अन्य स्थापनाएं या उपस्कर जो उसके द्वारा अपतट क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, उन

पर उपग्रह ट्रेकिंग उपस्कर और यात्रा आंकड़ा रिकॉर्डर जैसे उपस्कर लगे हों और उनका उपयोग किया जाए, जो उनके क्रियाकलापों पर मॉनीटरी रखते हैं और रिपोर्ट करते हैं;

(ढ) अनुज्ञप्तिधारी, संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति या अवसान या संक्रिया संबंधी के परित्याग या अतिरिक्त क्षेत्र के अभ्यर्पण की तारीख के पश्चात छह मास की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो,—

(i) खोज संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को समर्थ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित है; और

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र में या उसके भीतर बनाए गए या लाए गए सभी जलयानों, संरचनाओं, उत्प्लवों, इंजनों, मशीनों, औजारों, उपस्करों और अन्य संपत्ति और मालमत्ता को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खनिज निष्कासन के अर्जित सभी खनिजों के साथ अपनी लागत शीघ्रता से हटाएगा:

परंतु, इस खंड के उपबंध उस क्षेत्र के मामले में लागू नहीं होंगे, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति या समाप्ति पर या उससे पहले उत्पादन पट्टा दिया गया हो, जैसा भी मामला हो;

(ण) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रिया प्रारंभ करने से कम ये कम दो मास पहले विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को नोटिस देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संक्रियाओं से संक्रिया संबंधी क्षेत्र में किसी भी नौसैनिक अभ्यास में बाधा न आए;

(त) यदि विदेशी अधिवसित इकाईयां या विदेशी ईकाईयां या ठेकेदार, कार्मिक, जलयान या उपस्कर खोज संबंधी संक्रियाओं के लिए नियुक्त या तैनात किए जाते हैं, तो सरकारी प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य घोषित किए गए कोई विशिष्ट अनुमोदन भी सम्मिलित है; एकत्र किया गया कोई भी आंकड़ा और निष्पादित कार्य अनुज्ञप्तिधारी के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगा, जो उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेंगे;

(थ) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि खोज संबंधी संक्रियाओं के दौरान उत्पन्न आंकड़ा, जिसमें कोई भी भूवैज्ञानिक आंकड़ा भी सम्मिलित है, भारत में विदेशी इकांईयों या ठेकेदारों द्वारा संसाधित किया जाता है तथा ऐसा संसाधित और गैर-संसाधित आंकड़ा किसी विदेशी इकाई को केवल प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही दिया जा सकता है;

(द) खोज संबंधी संक्रियाओं के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं या अनुबंधित कंपनियों द्वारा तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों और स्थापित किए जाने वाले प्रतिष्ठानों को उनकी तैनाती से पहले संबंधित नौसेना कमान के फ्लैग अफसर कमांडिंग-इन-चीफ और फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना होगा और उसे मंजूरी देनी होगी और ऐसे निरीक्षण और मंजूरी को सुकर बनाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त अधिकारियों को एक मास का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा;

(ध) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खोज संबंधी संक्रियाओं के लिए तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नौवहन महानिदेशालय से पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी;

(न) अनुबंधित कंपनियों या व्यक्तियों को संविदा अधिनिर्णीत करने के संबंध में सूचना, संविदा इकाई का नाम, संविदा की अवधि, संविदा की विषय-वस्तु, प्रयुक्त उपस्करों की प्रकृति और एकत्र किए जाने वाले आंकड़ा, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों के सुसंगत ब्यौरा के साथ, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राचलन प्रारंभ करने के पूर्व, प्रशासनिक प्राधिकारी को एक प्रति के साथ नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसमें संक्रिया संबंधी कंपनियों द्वारा जलयानों की तैनाती पर छह मास लंबा मामला उपलब्ध कराया जाएगा;

(प) जलयानों पर सवार सभी विदेशी कार्मिकों के लिए वीजा और अन्य अनुमतियां जो तत्समय प्रवृति विधि के अधीन आवश्यकता हो सकती है, सरकारी प्राधिकारी से प्राप्त करनी होंगी;

(फ) अनुज्ञप्तिधारक खोज संबंधी संक्रियाओं के लिए तैनात सभी जलयानों और उपस्करों तथा जलयानों पर सवार कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी पूर्वावधानी उपाय करेगा;

(ब) अनुज्ञप्तिधारी समुद्री सुरक्षा चेतावनियां जारी करने के लिए, अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर तैनात सभी जलयानों, मौजूदा और निर्माणाधीन अपतट प्रतिष्ठानों या प्लेटफार्मों, उपस्करों और मशीनरी के निर्देशांकों को दर्शाते हुए स्थान की सूचना तुरंत फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और प्रशासनिक प्राधिकारी को देगा और उसके बाद जब भी इसे स्थानांतरित किया जाता है, इसके नए स्थान की सूचना देगा;

(भ) अनुज्ञप्तिधारी नौवहन के प्रयोजनों या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्गों में किसी भी मार्ग के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(म) अनुज्ञप्तिधारी, अन्य अनुज्ञप्तिधारियों या पट्टेधारियों को किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच की उचित सुविधाएं देगा जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित अनुज्ञप्ति क्षेत्र में समाहित है या उससे सटा हुआ है या उससे पहुंचा जा सकता है:

परंतु अनुज्ञप्तिधारियों या पट्टेधारियों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संक्रिया संबंधी में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जैसे कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है या असहमति की स्थिति में जैसा कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए भुगतान किया जाएगा;

(य) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी प्रचालक द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी पेट्रोलियम संक्रिया संबंधी या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी संक्रिया संबंधी या ऐसे अन्य परिचालनों में बाधा या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा;

(यक) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अनुज्ञप्ति क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए तैनात सभी कार्मिक, जलयान, संस्थापन, उपस्कर और अवसंरचना का, संयुक्त अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान, हर समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन लागू ऐसी विनियामक अपेक्षाओं और अन्य निबंधनों और शर्तें, जो केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अनुसार बीमा कराया जाएगा;

(यख) केन्द्रीय सरकार या विभाग को हर समय उस अनुज्ञप्ति क्षेत्र से निकाले गए खनिजों के अग्रक्रय का अधिकार होगा, जिसके संबंध में संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है:

परंतु, अग्रक्रय के समय प्रचलित निदेशालय द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय कीमत का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे सभी खनिजों के लिए किया जाएगा;

(यग) अनुज्ञप्तिधारी, सक्षम प्राधिकारी और इस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार किसी भी दूरसंचार केबल, अपतट पवन चक्की जनरेटर, अपतट बिजली उप-स्टेशन, तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइनों, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थलों, रक्षा स्थापनों या किसी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई खोज संबंधी संक्रिया नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा, और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी यथास्थिति, सुसंगत जलयान, संरचना या स्थापना के बाहरी किनारे से मापी जाएगी;

(यघ) केन्द्रीय सरकार, या उस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पट्टेदार या व्यक्ति को, कोई पाइपलाइन, केबल, अपतट पवन चक्की जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन बिछाने या उसका रख रखाव करने, उसकी मरम्मत करने या उसे बदलने के लिए उसके ऊपर या उसके माध्यम से या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार होगा:

परंतु, अनुज्ञप्तिधारी की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और उचित प्रतिकर, जिस पर परस्पर सहमति हो, या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए,—

(i) अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सारभूत, द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए; या

(ii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए, दिया जाएगा;

(यङ) अनुज्ञप्तिधारी, खोज संबंधी संक्रियाओं के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जो मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुचाती हो या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालती हो, बिना किसी देरी के, पोत परिवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(यच) अनुज्ञप्तिधारी, खोज संबंधी संक्रियाओं के संबंध में, प्रशासनिक प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो भारतीय नागरिक नहीं है;

(यछ) अनुज्ञप्तिधारी अपने अभयानों को इस प्रकार नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे या किसी संस्थापन, जलयान, संकर्म, संपत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खोज संबंधी संक्रियाओं के लिए किसी अपतट क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो संयुक्त अनुज्ञप्ति में सम्मिलित नहीं हैं;

(यज) अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी के समाधान के लिए अनुज्ञप्ति क्षेत्र में जलयानों, संस्थापनों या अन्य उपस्करों की सुरक्षा, सुनिश्चित करेगा; तथा;

(यझ) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रियाओं को उचित रुप से, कुशल और कुशलता करेगा।

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी नियम और शर्त को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विफलता से केन्द्रीय सरकार या

प्रशासनिक प्राधिकारी या विभाग को अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई दावा प्राप्त नहीं मिलेगा या इसे संयुक्त अनुज्ञप्ति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक ऐसी विफलता को केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी या विभाग द्वारा किसी अप्रत्याशित घटना कारण से उत्पन्न माना जाता है और किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी नियम और शर्त को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा किसी विलंब की स्थिति में, ऐसे विलंब की अवधि को इन नियमों या संयुक्त अनुज्ञप्ति द्वारा निर्धारित अवधि में जोड़ दिया जाएगा;

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "*अप्रत्याशित घटना*" से दैवीय कृत्य, युद्ध, विप्लव, बलवा, सिविल अशांति, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वारीय लहर, बाढ़, आकाशीय विद्युत, विस्फोट, आग और किसी अन्य घटना अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञप्तिधारी उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता है।

(3) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, संयुक्त अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित शर्तें अंतर्विष्ट हो सकती हैं, जिन्हें विभाग या निदेशालय या प्रशासनिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार, अधिरोपित करना उपयुक्त समझे, अर्थात:—

(i) तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध केंन्द्रीय सरकार, विभाग और प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति;

(ii) समुद्री क्षेत्रों, जिसके अधीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अन्य क्षेत्र भी है, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के निवारण और नियंत्रण तथा उसके संरक्षण से संबंधित उपाय;

(iii) किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध किसी भी क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रियाओं पर निर्बधन;

(iv) दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग;

(v) अपतट क्षेत्रों के कतिपय हिस्सों में प्रवेश के संबंध में शर्तें;

(vi) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्ति क्षेत्र या आसन्न क्षेत्रों में अन्य खनिजों, खनिज तेल और हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर काम करने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं; और

(vii) संयुक्त अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर विभाग या केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, और शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो खनिजों के संरक्षण और विकास के हित में आवश्यक हों।

(5) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी पर लगाई गई किसी शर्त के भंग की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार विभाग के परामर्श के बाद और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देकर लिखित आदेश द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति को व्यपगत कर सकती है और प्रशासनिक प्राधिकारी को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिभूति को पूर्णतः या भागत: रूप से समपहृत कर सकेगी तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी:

परंतु, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना तथा लिखित में कारण अभिलिखित किए बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

12. उत्पादन पट्टे की शर्ते और निबंधन.—प्रत्येक उत्पादन पट्टा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्: —

(क) पट्टेदार को सदैव अधिनियम, नियमों और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) सहित तत्समय प्रवृत सभी अन्य विधियों के उपबंधों का पालन करना होगा;

(ख) पट्टेदार, उत्पादन पट्टा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसा वार्षिक नियत किराया संदत्त करेगा, और यदि उत्पादन पट्टा एक ही क्षेत्र में एक से अधिक खनिजों के खनन की अनुमति देता है, तो केन्द्रीय सरकार प्रत्येक खनिज के संबंध में अलग-अलग नियत किराया प्रभारित नहीं लेगी:

परंतु, पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में नियत किराया या स्वामिस्व, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) पट्टेदार उत्पादन संक्रियाओं के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी क्षेत्र के लिए सतह किराया और अन्य लागू प्रभार, फीस, कर, उपकर, शुल्क और उदग्रहणों का भी भुगतान करेगा, जो ऐसे क्षेत्र के लिए लागू हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट या अधिरोपित किया जाए;

(घ) पट्टेदार उत्पादन पट्टा विलेख के संपादन की तारीख से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन यथा निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रिया संबंधी प्रारंभ करेगा और उसके पश्चात् इन उचित रुप से, कौशल और कुशलता से ऐसी संक्रियाओं का संक्रिया संबंधी संचालित करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "उत्पादन संक्रिया संबंधी" में किसी भी जलयान की तैनाती, बोया का परिनिर्माण, इंजन या मशीनरी का संक्रिया संबंधी, उपस्करों का कार्यान्वयन, पट्टा क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप या मंच का संनिर्माण या खनिजों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कि गई कोई भी अन्य संबंधी संक्रिया सम्मिलित होगा;

(ङ) पट्टेदार, सक्षम प्राधिकारी और इस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी या केंन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय किसी भी दूरसंचार केबल, अपतट विद्यतु उप-स्टेशन, तेल मंच या पाइपलाइनों, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थलों, रक्षा स्थापनों या किसी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई उत्पादन संबंधी संक्रिया नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा, और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी यथा लागू, सुसंगत जलयान, संरचना या स्थापना के बाहरी किनारे, से मापी जाएगी;

(च) पट्टेदार निम्नलिखित की परिमाप और अन्य विशिष्टियां दर्शित करते हुए, सटीक और सही लेखा रखेगा—

(i) पट्टा क्षेत्र से प्राप्त और भेजे गए सभी खनिज;

(ii) पट्टा क्षेत्र से उत्खनित अपशिष्ट पदार्थ;

(iii) उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता;

(iv) पट्टा क्षेत्र की पूर्ण योजनाएं, तथा विभाग या निदेशालय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसके द्वारा रखे गए किसी खाते, योजना, डाटा लॉग और अभिलेखों की किसी भी समय जांच करने की अनुमति देगा और प्रशासनिक प्राधिकारी को ऐसी जानकारी और

विवरणियां प्रदान करेगा, जिनकी वह या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करें; और

(v) उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य रिपोर्टिंग अपेक्षाएं;

परंतु विहित पदार्थों वाले खनिजों के मामले में ऐसी जानकारी और विवरणियां केवल निदेशालय के निदेशक को ही प्रस्तुत की जाएंगी;

(छ) पट्टेदार उत्पादन पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा किए गए उत्पादन संक्रियाओं के दौरान पट्टेदार द्वारा किए गए सभी उत्खनन, गड्ढों और ड्रिलिंग का सटीक अभिलेख रखेगा और विभाग या निदेशालय या केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, अर्थात:—

i. समुद्र तल के नीचे की उप-भूमि और परत जिसके माध्यम से ऐसा उत्खनन, गड्ढे या ड्रिलिंग गुजरती है;

ii. पाए गए किसी भी खनिज का ब्यौरा; और

iii. ऐसे अन्य ब्यौरा जिनकी विभाग या निदेशालय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी को अपेक्षा हो;

(ज) पट्टेदार अपतट क्षेत्रों में जलयानों, स्थापनों, मशीनरी, इंजन, प्लेटफार्म, ड्रोन और अन्य स्थापनों या उपस्करों की आवाजाही और तैनाती से संबंधित सभी लागू विधियों और विनियमों का पालन करेगा;

(झ) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अपतट क्षेत्रों में उसके द्वारा तैनात किया गया कोई भी जलयान, स्थापन, मशीनरी, इंजन, प्लेटफार्म, ड्रोन और अन्य स्थापनों या, उपस्करों में उपग्रह ट्रैकिंग उपस्करों और यात्रा आंकड़ा रिकॉर्डर जैसे उपस्करों लगे हों और उनका उपयोग किया जाए, जो उनके क्रियाकलापों की मॉनीटरी, और रिपोर्ट करते हों;

(ञ) पट्टेदार, विभाग या निदेशालय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निरीक्षण करने के उद्देश्य से पट्टा क्षेत्र में किसी भी जलयान, प्लेटफार्म, स्थापना या किसी अन्य बुनियादी ढ़ांचे में प्रवेश करने की अनुमति देगा;

(ट) जब कभी भी तटीय बालू खनिज भंडारों या भारी खनिज भंडारों या अन्य खनिजों के साथ परमाणु खनिज युक्त क्षेत्रों के लिए उत्पादन संक्रिया की जाती है, तो पट्टेदार को खनन किए गए खनिजों की सूची के अभिलेख और ब्यौरा, इन खनिजों के उत्पादन पद्धति और भंडारण स्थान का ब्यौरा, ऐसे खनिजों का टन भार, खनिज विज्ञान, इन खनिजों के संरक्षण के लिए पूर्ण सामग्री संतुलन को यथास्थान खनिज सामग्री के संबंध में बनाए रखना होगा:

परंतु, समुद्र तट की रेत के खनिजों के मामले में, समुद्र तट की रेत के खनिजों से वाणिज्यिक हित के एक या अधिक भारी खनिजों को तरजीही रूप से अलग करने से अनिवार्य रूप से शेष समुद्र तट की रेत में मोनाजाइट सहित अन्य खनिजों और परमाणु खनिजों की सापेक्ष सामग्री में वृद्धि होगी और पट्टेदार—

(i) उत्पादन संक्रियाओं और खनिज सज्जीकरण कार्यकलापों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट और अवशेषों की मात्रा का ब्यौरा बनाए रखेगा;

(ii) योजनाओं और रजिस्टरों में स्पष्ट रूप से भंडारण स्थान का रखरखाव;

(iii) परमाणु खनिजों के संरक्षण के संबंध में विभाग के पूर्वानुमोदन और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के बिना ऐसी सामग्रियों का अंतरण, विक्रय या निपटारा नहीं करेगा;

(ठ) केन्द्रीय सरकार या विभाग को हर समय उस पट्टा क्षेत्र से प्राप्त खनिजों के अग्रक्रय का अधिकार होगा जिसके संबंध में उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया है:

परंतु अग्रक्रय के समय प्रचलित निदेशालय द्वारा प्रकाशित औसत विक्रय कीमत का भुगतान पट्टेदार को ऐसे सभी खनिजों के लिए किया जाएगा;

(ड) पट्टेदार भविष्य में उपकृति के लिए अप्रयुक्त या गैर-विक्रय योग्य, उप-श्रेणी अयस्कों या खनिजों का पट्टा क्षेत्र के भीतर उचित रुप से भंडारण और लेखाओं का रख रखाव होगा;

(ढ) पट्टेदार उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और उपाय करेगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित होंगे;

(ण) पट्टेदार अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का भी अनुपालन करेगा, जिनमें अधिनियम की धारा 19क के अधीन बनाए गए नियम तथा अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी निदेश सम्मिलित हैं;

(त) पट्टेदार अपने संबंधी संक्रियाओं को इस प्रकार नहीं चलाएगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचे या किसी अन्य व्यक्ति के किसी स्थापन, जलयान, संक्रिया संबंधी, संपत्ति या अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा पट्टेदार द्वारा उत्पादन संक्रियाओं या ऐसे उद्देश्य के लिए किसी अपतट क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा जो उत्पादन पट्टे में सम्मिलित नहीं हैं;

(थ) पट्टेदार चालन के प्रयोजनों के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त समुद्री मार्गों में किसी भी मार्ग के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(द) पट्टेदार किसी भी अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को किसी भी ऐसे क्षेत्र में पहुंच की उचित सुविधाएं देगा जो पट्टेदार द्वारा धारित पट्टा क्षेत्र में समाहित है या उससे सटा हुआ है या उससे पहुंचा जा सकता है:

परंतु, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा पट्टेदार के संक्रियाओं में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और पट्टेदारों कोई हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए उचित प्रतिकर जिस पर पारस्परिक सहमति हो या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए उनके द्वारा पट्टेदार को दिया जाएगा;

(ध) पट्टेदार, पट्टा क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकरी द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत किसी प्रचालक द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी पेट्रोलियम संक्रिया या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी संक्रिया संबंधी या ऐसे अन्य संक्रियाओ में बाधा या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा;

(न) उस संबंध में विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पट्टेदार या व्यक्ति को, कोई पाइपलाइन, केबल, अपतट पवन चक्की जनरेटर, अपतट विद्युत उप-स्टेशन बिछाने या उसका रख रखाव करने उसकी मरम्मत करने या उसे बदलने के लिए उसके ऊपर या उसके माध्यम से या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार होगा:

परंतु, अनुज्ञप्तिधारी की स्वतंत्रता, शक्तियों और विशेषाधिकारों में कोई सारभूत बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जिस पर परस्पर सहमति हो, या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए,—

i. अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए; या

ii. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे अन्य पट्टेदार या यथास्थिति, प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहुंचाई गई सभी हानि या नुकसानी या सारभूत बाधा या हस्तक्षेप के लिए दिया जाएगा;

(प) पट्टेदार अपने स्वयं के व्यय पर विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी और अन्य संबंधित सरकारी प्राधिकारियों जिसके अधीन भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना भी है, के समाधान के लिए पट्टा क्षेत्र की सीमा को चिह्नित करने वाले सभी नोटिस या प्लावकों या चिन्ह या बोया को स्थापित, अनुरक्षित, प्रदर्शित और मरम्मत करेगा;

(फ) पट्टेदार जलयान या स्थापन पर उत्पादन संक्रिया के दौरान एकत्र किए गए डाटा के दैनिक लॉग का अनुरक्षण करेगा, जिसके द्वारा पट्टा क्षेत्र में ऐसी संक्रिया संबंधी की जा रहे हैं और विभाग या निदेशालय या केंद्रीय सरकार या इस संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे आंकड़ा लॉग का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और पट्टेदार उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट किन्ही अन्य अपेक्षाओं का भी अनुपालन करेगा;

(ब) पट्टेदार को सभी उत्पादन डाटा, रिपोर्ट, नमूने, जिनमें अधीन नियोजित व्यक्तियों की संख्या, से, उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय डाटा, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, परमाणु खनिजों की गवेषण प्राप्त किए गए और निकाले गए खनिजों की मात्रा और उत्पादन संबंधी संक्रिया के अनुसरण में अपने द्वारा एकत्र की गई अन्य सुसंगत जानकारी सम्मिलित है, निदेशालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जो विनिर्दिष्ट कया जाए, को उपलब्ध कराने होगी और निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अर्थात:—

(i) वर्ष की समाप्ति के पश्चात् साठ दिनों की अवधि के भीतर वार्षिक रिपोर्ट;

(ii) उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य रिपोर्ट;

(भ) पट्टेदार उत्पादन संक्रिया संबंधी के दौरान एकत्र किए गए किसी भी डाटा को प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना भंडारण, प्रसंस्करण या निर्वचन के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा;

(म) पट्टेदार उस नुकसानी, क्षति, या व्यवधान के लिए, जो उसके द्वारा पहुँचाया जाए, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसी नुकसानी, क्षति या व्यवधान तथा उससे संबंधित सभी खर्चों और व्ययों के संबंध में किए जाने वाले सभी दावों के विरुद्ध विभाग, प्रशासनिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा;

(य) यदि विदेशी अधिवासित इकाई या विदेशी इकाई या ठेकेदार, कार्मिक, जलयान या उपस्कर उत्पादन संक्रिया संबंधी करने के लिए नियोजित या तैनात किए जाते हैं, सरकारी प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन जिसके अधीन केंन्द्रीय सरकार द्वारा आज्ञापक की है विनिर्दिष्ट अनुमोदन भी हैं, प्राप्त किया जाएगा, तथा एकत्र किया गया कोई भी डेटा और की

गई संक्रिया संबंधी पट्टेदार के भारतीय प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होगा, जो उचित रक्षोपाय सुनिश्चित करेंगे;

(यक) पट्टेदार, प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी के समाधान के लिए, पट्टा क्षेत्र में जलयानों, स्थापनों या किसी अन्य उपस्कर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा;

(यख) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन प्रचालनों के दौरान जनित डाटा, जिसमें कोई भूवैज्ञानिक डाटा भी सम्मिलित है, का प्रसंस्करण भारत में विदेशी संस्थाओं या ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रसंस्कृत और अप्रसंस्कृत डाटा किसी विदेशी संस्था को केवल प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ही दिया जा सकता है**;**

(यग) पट्टेदार परिचालन प्रारंभ करने से कम से कम दो महीने पहले विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो और नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को, यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस देगा कि ऐसे संक्रिया संबंधी क्षेत्र में किसी भी नौसैनिक अभ्यास में बाधा न डालें;

(यघ) उनकी तैनाती से पहले, पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पट्टेदार या संविदाकृत कंपनियों द्वारा पट्टा क्षेत्र में तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों और स्थापित किए जाने वाले स्थापनों को संबंधित नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और फ्लैग ऑफिसर, ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के नौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना होगा और उसमें सफल होना होगा और ऐसे निरीक्षण और मंजूरी को सुकार बनाने के लिए पट्टेदार द्वारा पूर्वोक्त अधिकारियों को एक महीने का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा;

(यङ) पट्टेदार द्वारा उत्पादन संक्रियाओं के लिए तैनात किए जाने वाले सभी जलयानों को वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पोत परिवहन महानिदेशालय से पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी;

(यच) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि संविदाकृत कंपनियों या व्यक्तियों को संविदा दिए जाने के संबंध में सूचना, संविदाकृत इकाई का नाम, संविदा की अवधि, संविदा की विषय-वस्तु, उपयोग किए जाने वाले उपस्करों की प्रकृति और एकत्र किए जाने वाले डाटा, यदि कोई हों, सहित संविदा के सुसंगत ब्यौरा के साथ, नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा, साथ ही एक प्रति विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी को भी दी जाएगी, पट्टेदार द्वारा संबंधी संक्रिया प्रारंभ करने से पहले संबंधी संक्रिया कंपनियों द्वारा जलयानों की तैनाती पर छह मास का लंबा मामला उपलब्ध कराया जाएगा;

(यछ) जलयान पर सवार सभी विदेशी कार्मिकों को सरकारी प्राधिकारी से वीज़ा, और इस तरह की अन्य अनुज्ञाए जो हरसंभव प्रवृत विधि के अधीन आवश्यक हो, प्राप्त करनी होंगी;

(यज) पट्टेदार, उत्पादन संक्रियाओं के लिए तैनात सभी जलयानों, उपस्करों और कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी पूर्ववधानात्मक उपाय करेगा;

(यझ) पट्टेदार समुद्री सुरक्षा चेतावनियां जारी करने के लिए तुरंत फ्लैग अफसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह और विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी को सभी जलयानों, विद्यमान और निर्माणाधीन अपतट प्रतिष्ठानों या प्लेटफार्मों, पट्टा क्षेत्र के भीतर तैनात उपस्करों और मशीनरी के निर्देशांकों को इंगित करते हुए स्थान और उसके पश्चात् उसके नए स्थान को स्थानांतरित किए जाने पर सूचित करेगा;

(यञ) पट्टेदार बिना किसी देरी के अपने उत्पादन कार्यों के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट या संपत्ति को गंभीर क्षति या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरे में डालने वाली दुर्घटना हो सकती है, पोत परिवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को भेजेगा;

(यट) पट्टेदार उस जलयान या संस्थापन पर उत्पादन योजना की एक प्रति बनाए रखेगा जिसके माध्यम से पट्टा क्षेत्र में या किसी निर्धारित स्थल पर उत्पादन कार्य किए जा रहे है;

(यठ) पट्टेदार, उत्पादन कार्यों के संबंध में, प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो भारतीय नागरिक नहीं है;

(यड) पट्टेदार, यथास्थिति, विभाग या निदेशालय या केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, पट्टा क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने की अनुमति देगा युक्तियुक्त समय पर पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण और मांग किए जाने पर पट्टा क्षेत्र के सभी लागू योजनाओं और खंडों के साथ-साथ ग्रेड-वार आरक्षित मात्रा की आपूर्ति भी करेगा;

(यढ) पट्टेदार, जब तक कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो, पट्टा क्षेत्र के भीतर या पट्टा क्षेत्र से उतारे जाने के स्थान पर तथा भारत में उताराई या उतार के बंदरगाह पर, जहां खनिजों को लाया जाएगा, उचित रूप से निर्मित तथा कुशल तौल या माप प्रणाली, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, उपलब्ध कराएगा तथा हर समय उसे बनाए रखेगा;

(यण) पट्टेदार सभी उत्पादित और प्रेषित सभी खनिजों को विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तोलेगा या मापेगा, या तुलवाएगा उनका माप करवाएगा:

परंतु, पट्टेदार प्रत्येक दिन के अंत में यह सुनिश्चित करेगा कि खनिजों के उत्पादन और प्रेषण के कुल आंकड़े, सभी भार और माप सहित, पट्टेदार द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में दर्ज कर दिये गये हैं:

परंतु यह और कि, पट्टेदार उत्पादन पट्टे के अवधि के दौरान हर समय प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग, निदेशालय और केन्द्रीय सरकार को उक्त खनिजों के तौलने या माप के समय उपस्थित रहने, उसका लेखा रखने और पट्टेदार द्वारा रखे गए लेखों की जांच करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करने की अनुमति देगा और पट्टेदार प्रत्येक ऐसे तौलने या माप के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी तथा विभाग और निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी को लिखित में सात दिन पूर्व सूचना देगा, ताकि वह या उसकी ओर से कोई अधिकारी वहां उपस्थित हो सके;

(यत) पट्टेदार उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय, प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग, निदेशालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पूर्वोक्त रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली और रखी जाने वाली प्रत्येक तौल मशीन या माप प्रणाली और उसके साथ प्रयुक्त बाटों या प्रणालियों की जांच और परीक्षण करने की अनुमति देगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे क्रमशः सही हैं और अच्छी हालत में और व्यवस्थित हैं या नहीं:

परंतु यदि किसी, ऐसे परीक्षण या जांच या परीक्षण में कोई तौल मशीन या बाट या माप प्रणाली गलत या खराब पाई जाती है तो विभाग यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसे पट्टेदार द्वारा और उसके खर्च पर समायोजित किया जाए और ठीक किया जाए और यदि ऐसी मांग का अनुपालन, किए जाने के उसके चौदह दिन की अवधि के भीतर, नहीं किया जाता है तो

विभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति तब तक पारगमन अनुज्ञापन प्रदान नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी तौल मशीन या बाट या माप प्रणाली का अंशांकन नहीं कर दिया जाता और उसे व्यवस्थित नहीं कर दिया जाता है;

(यथ) यदि पूर्वोक्त किसी जांच या परीक्षण के पश्चात् किसी तौल मशीन या बाट में प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग, निदेशालय या केन्द्रीय सरकार के प्रतिकूल कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी त्रुटि उसके पाए जाने से या उसी तौल मशीन, बाट और माप प्रणाली की अंतिम जांच और परीक्षण के अंतिम अवसर से तीन मास की अवधि के लिए विद्यमान मानी जाएगी, यदि ऐसा अवसर उक्त तीन मास की अवधि के भीतर हो, और पट्टेदार अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लगाए जा सकने वाले किसी अन्य दंड या सिविल दायित्व के अतिरिक्त, किराया, स्वामिस्व या कोई अन्य ऐसा भुगतान, जो लागू हो, करेगा, जिसका लेखा-जोखा तद्नुसार रखा जाएगा;

(यद) यदि पट्टेदार इस उपनियम के अधीन या उत्पादन पट्टा विलेख के अधीन अपने किसी दायित्व को उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करने या निष्पादित करने में विफल रहता है, तो विभाग अपने विवेकानुसार उसे पूरा करने या निष्पादित करने का कारण बन सकता है और पट्टेदार मांग किए जाने पर विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए सभी व्ययों का भुगतान, विभाग को करेगा और ऐसे व्ययों के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा;

(यध) पट्टेदार, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उत्पादन पट्टा विलेख के अधीन देय किराया, दरें और स्वामिस्व का भुगतान करने के पश्चात, उत्पादन पट्टा अवधि की समाप्ति या समाप्ति पर या उसके पश्चात छह मास की अवधि के भीतर (जब तक कि पट्टेदार की चूक के कारण उत्पादन पट्टा व्यपगत न कर दिया गया हो, और उस स्थिति में ऐसी समाप्ति के पश्चात तीन मास से कम और छह मास से अधिक समय न हो) उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान उत्खनित सभी या किसी अयस्क खनिज, जलयानों, प्रतिष्ठानों, इंजनों, मशीनरी, पाइपलाइनों, संरचनाओं, उपस्करों, प्लेटफार्मों और अवसंरचना, निर्माणों और सुविधाओं को अपने लाभ के लिए खंड कर और हटा सकता है, जिन्हें पट्टेदार द्वारा पट्टा क्षेत्र में या उसके ऊपर बनाया, स्थापित या रखा गया हों और जिन्हें पट्टेदार विभाग को देने के लिए बाध्य न हो या जिन्हें विभाग खरीदना न चाहता हो;

(यन) यदि उत्पादन पट्टा अवधि की समाप्ति या पर्यवसान के पश्चात छह मास की अवधि के अंत में पट्टा क्षेत्र में या उसके ऊपर कोई अयस्क या खनिज, इंजन, मशीनरी, पाइपलाइन, संरचना, उपस्कर, प्लेटफार्म और अन्य कार्य, निर्माण और सुविधाएं या अन्य संपत्ति बची रहती है, जिसकी पट्टेदार को आवश्यकता नहीं है, तो उसे, यदि विभाग द्वारा ऐसा करने की अधिसूचना दिए जाने के एक मास की अवधि के भीतर पट्टेदार द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो उसे केन्द्रीय सरकार की संपत्ति समझा जाएगा और उसे पट्टेदार की लागत पर, विभाग या केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाली रीति से, उसके संबंध में पट्टेदार को कोई प्रतिकर देने या हिसाब देने के दायित्व के बिना बेचा या निपटाया जा सकेगा; और

(यप) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि पट्टा क्षेत्र में उत्पादन कार्यों के प्रयोजनों के लिए तैनात प्रत्येक कार्मिक, जलयान, संस्थापन, उपस्कर और अवसंरचना का, उत्पादन पट्टे की अवधि के दौरान हर समय, पट्टेदार द्वारा ऐसी विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार बीमा कराया जाएगा, जैसा कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन लागू हो, और ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उत्पादन पट्टे के अधीन किसी भी शर्त या निबंधन को पूरा करने में पट्टेदार की ओर से विफलता से केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी या विभाग को पट्टेदार के विरुद्ध कोई दावा नहीं मिलेगा या इसे उत्पादन पट्टे का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक कि केन्द्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी या विभाग द्वारा ऐसी विफलता को अप्रत्याशित घटना के कारण उत्पन्न माना जाता है और अप्रत्याशित घटना के कारण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या उत्पादन पट्टे के अधीन किसी भी शर्त या निबंधन को पूरा करने में पट्टेदार द्वारा किसी देरी की स्थिति में, ऐसी देरी की अवधि इन नियमों या उत्पादन पट्टे द्वारा निर्धारित अवधि में जोड़ दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति *"अप्रत्याशित घटना"* का अर्थ दैवीय कृत्य, युद्ध, विप्लव, बलवा, सिविल आशांति, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वारीय लहर, बाढ़, आकाशीय विद्युत, विस्फोट, आग और किसी अन्य घटना है जिसे पट्टेदार उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता था।

(3) पट्टेदार, उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी खनिज की पट्टा क्षेत्र में खोज की सूचना यथा शीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसी खोज की तारीख से साठ दिन की अवधि के अंदर विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी को देगा, और ऐसे खोजे गए खनिज को उत्पादन पट्टा विलेख में समावेश किए बिना उसे प्राप्त करेगा और उसका निपटान नहीं करेगा।

(4) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, उत्पादन पट्टे में निम्नलिखित शर्तें हो सकेगी, जिन्हें विभाग या निदेशालय या प्रशासनिक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार लागू करना उचित समझे, अर्थात्:—

(क) किराए और स्वामिस्व के भुगतान की समय-सीमा, ढंग और स्थान ;

(ख) संरक्षित क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित उपाय, जिनमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री अभयारण्य या कोई अन्य क्षेत्र सम्मिलित है, जिसे केंन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

(ग) किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निषिद्ध किसी भी क्षेत्र में उत्पादन कार्यों पर प्रतिबंध;

(घ) पट्टेदार द्वारा नोटिस:—

(i) उत्पादन संक्रिया प्रारंभ होने से पहले पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु; और

(ii) उत्पादन संक्रिया प्रारम्भ करने हेतु;

(ङ) भेजे गए खनिज के उचित भार संबंधी उपबंध;

(च) दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना;

(छ) तीसरे पक्षकार के दावों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार, विभाग और प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति;

(ज) उत्पादन पट्टे के अभ्यर्पण, अवसान या पर्यवसान पर पट्टा क्षेत्र के कब्ज़े का परिदान;

(झ) उत्पादन पट्टे को समाप्ति के पश्चात् छोड़ी गई संपत्ति की जब्ती;

(ञ) युद्ध या आपातकाल की स्थिति में पट्टा क्षेत्र, जलयानों, प्रतिष्ठानों और अन्य अवसंरचनाओं पर कब्जा करने की शक्ति; और

(ट) उत्पादन पट्टे प्रदान करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य शर्त।

(5) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग या केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से या विभाग या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर, ऐसी अतिरिक्त शर्तें अिधरोपित कर सकेगा, जो परमाणु खनिजों या अन्य खनिजों के साथ परमाणु खनिजों वाले क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के हित में आवश्यक हों।

(6) जब प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उत्पादन पट्टा प्रदान किया जाता है, तो विभाग या निदेशालय या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा पट्टाधारक के व्यय पर पट्टा क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन की व्यवस्था की जाएगी।

(7) इस नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, पट्टाधारक को पट्टा क्षेत्र पर उत्पादन कार्यों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित का अधिकार होगा—

(क) खानों को चलाना, खनिज प्राप्त करना और ले जाना;

(ख) सिंक पिट;

(ग) किसी भी जलयान, प्लेटफॉर्म, उपस्कर, स्थापना और अन्य अवसंरचना को यथा स्थिति खड़ा करना, स्थापित करना या अभिनियोजित करना;

(घ) उत्पादन कार्यों या परिवहन के लिए आवश्यक होने पर समुद्री जल का उपयोग करना;

(ङ) भंडारण प्रयोजन के लिए अपतट पट्टा क्षेत्र के किसी भी भाग का उपयोग करना; और

(च) उत्पादन पट्टे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य कार्य करना।

(8) यदि पट्टेदार उपनियम (1) के खंड (छ), खंड (ञ), खंड (फ), खंड (यड) या खंड (यत) के अधीन प्रवेश या निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है, तो विभाग, पट्टेदार को लिखित में नोटिस देगा जिसमें उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उत्पादन पट्टा व्यपगत क्यों न कर दिया जाए और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को समपहृत क्यों न कर ली जाए और यदि पट्टेदार विभाग की संतुष्टि के लिए पूर्वोक्त समय के भीतर कारण बताने में विफल रहता है, तो केंद्रीय सरकार, विभाग के परामर्श के पश्चात् और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना के साथ, उत्पादन पट्टा व्यपगत कर सकता है और प्रशासनिक प्राधिकारी को पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति के पूरे या हिस्से को समपहृत कर सकता है, और अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है।

(9) यदि पट्टेदार को अवैध खनन का दोषसिद्ध किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के आदेश के प्रवर्तन को निलंबित करने वाला किसी न्यायालय का कोई आदेश नहीं हैं, तो केन्द्रीय सरकार, विभाग के परामर्श के पश्चात तथा प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देकर, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उत्पादन पट्टे को व्यपगत कर सकेगी और प्रशासनिक प्राधिकारी को पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को समपहृत करने का निर्देश दे सकती है, ऐसे पट्टेदार को, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और कारणों को लेखबद्ध करके, समपहृत कर सकेगी और पट्टेदार को सूचित करेगी।

(10) यदि पट्टेदार अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित स्वामिस्व के भुगतान में या अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (5) के अधीन अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को अंशदान या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित निश्चित किराए के भुगतान में या अधिनियम की धारा 18 के अधीन अपेक्षित अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को अंशदान देने में कोई चूक करता है या उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को नोटिस देगा जिसमें उसे उल्लंघन को दूर करने के लिए, जैसा भी मामला हो, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण या अपतट क्षेत्र खनिज न्यास

को स्वामिस्व या नियत किराए या अंशदान का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर और यदि अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण या अपतट क्षेत्र खनिज न्यास को स्वामिस्व या नियत किराए या अंशदान का भुगतान नहीं किया जाता है या उक्त अवधि के भीतर उल्लंघन को दूर नहीं किया जाता है, तो केंन्द्रीय सरकार, विभाग के परामर्श के बाद और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देने पर, उसके विरुद्ध प्रारंभ की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाहियों के किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, उत्पादन पट्टे को व्यपगत कर सकेगी तथा प्रशासनिक प्राधिकारी को निर्देश दे सकेगी कि वह पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत संपादन प्रतिभूति को पूरी रकम या उसका एक भाग समपहृत कर सकेगी।

13. दायित्वों के उल्लंघन या गैर-पूर्ति के लिए कार्रवाई.—(1)खोज अनुज्ञप्ति विलेख, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा विलेख या संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की शर्तों और निबंधनों के अधीन दायित्वों के उल्लंघन या गैर-पूर्ति के मामले में, केन्द्रीय सरकार, विभाग की सिफारिश पर और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना के साथ, समुचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसमें संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे को व्यपगत करने का अधिकार या प्रशासनिक प्राधिकारी को संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के धारक द्वारा जमा की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्णतः या आंशिक रूप से समपहृत करने का निर्देश देने का अधिकार भी सम्मिलित है:

परंतु, ऐसा कोई आदेश पट्टेदार को अपना मामला बताने का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार इस उपनियम के अधीन या खोज अनुज्ञप्ति विलेख, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा विलेख के अधीन अपने किसी दायित्व को उस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करने में असफल रहता है, तो विभाग उसे पूरा करवा सकता है और अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए सभी व्ययों का, मांग किए जाने पर, विभाग को भुगतान करेगा और ऐसे व्ययों के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 6
व्यपगत, अभ्यर्पण या पर्यवसान

14. संयुक्त अनुज्ञप्ति का व्यपगत होना.—(1) जहां अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त अनुज्ञप्ति दिए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर खोज संबंधी संक्रियाएं प्रारंभ करने में असफल रहता है, या प्रारंभ होने पर, दो वर्ष की अवधि के लिए खोज संबंधी संक्रियाएं बंद कर देता है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग के परामर्श के बाद और नियम 16 के उप-नियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक आदेश द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से या, जैसा भी मामला हो, संक्रियाएं बंद करने की तारीख से संयुक्त अनुज्ञप्ति को व्यपगत घोषित करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को घोषणा की सूचना देगा।

(2) उत्पादन पट्टे के व्यपगत होने को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के माध्यम से दर्ज किया जाएगा और पट्टेदार, निदेशालय और विभाग को भी सूचित किया जाएगा।

(3) संयुक्त अनुज्ञप्ति के व्यपगत होने को प्रशासनिक प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन प्रतिभूति को पूर्णतः या आंशिक रूप से समपहृत कर सकता है।

(4) अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए, किसी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आवश्यक कदम उठाने या ऐसे अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए कार्य-निष्पादन सुरक्षा के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण, निदेशालय और विभाग द्वारा किए गए किसी भी व्यय का भुगतान करेगा।

15. उत्पादन पट्टे का व्यपगत होना.—(1)जहां पट्टेदार उत्पादन पट्टा दिए जाने के पश्चात दो वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन संक्रिया प्रारंभ करने में असफल रहता है, या प्रारंभ होने पर दो वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन संक्रिया बंद कर देता है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी विभाग के परामर्श के पश्चात और नियम 16 के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आदेश द्वारा उत्पादन पट्टे के निष्पादन की तारीख से या, जैसा भी मामला हो, संक्रिया बंद करने की तारीख से उत्पादन पट्टे को व्यपगत घोषित करेगा, और पट्टेदार को घोषणा की सूचना देगा।

(2) जहां उत्पादन और प्रेषण उत्पादन पट्टे के निष्पादन के बाद चार वर्ष की अवधि के भीतर प्रारंभ नहीं हुआ है, या उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ होने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए बंद कर दिया गया है, प्रशासनिक प्राधिकारी विभाग के परामर्श के बाद और नियम 16 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन, एक आदेश द्वारा, उत्पादन पट्टे को इसके निष्पादन की तारीख से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या, जैसा भी हो, उत्पादन और प्रेषण के बंद होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर व्यपगत घोषित करेगा, और पट्टेदार को घोषणा की सूचना देगा।

(3) उत्पादन पट्टे की समाप्ति को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा और पट्टेदार, निदेशालय और विभाग को भी सूचित किया जाएगा।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, उत्पादन पट्टे की समाप्ति पर, पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्णतः या आंशिक रूप से समपहृत कर सकता है।

(5) पट्टेदार, उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आवश्यक कदम उठाने या ऐसे अन्य उपाय करने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण, निदेशालय और विभाग द्वारा किए गए किसी भी व्यय का भुगतान करेगा।

16. अवधि विस्तार के लिए आवेदन.—(1)जहां—

(क) कोई अनुज्ञप्तिधारी खोज संबंधी संक्रिया प्रारंभ करने में असमर्थ है या प्रारंभ करने पर नियम 14 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संक्रिया बंद कर देता है;

(ख) पट्टेदार:

(i) उत्पादन संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ हो या प्रारंभ होने पर नियम 15 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संक्रियाएं बंद कर दे; या

(ii) उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असमर्थ है, या प्रारंभ होने पर, ऐसा उत्पादन और प्रेषण नियम 15 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बंद कर दिया गया है,

प्रत्येक मामले में, अपने नियंत्रण से परे कारणों से, वह ऐसी अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन मास पहले प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसमें ऐसी अवधि के विस्तार के लिए उचित कारण बताते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु, जहां अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार अपने नियंत्रण से परे कारणों से ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करने में असफल रहा है, किन्तु उसने संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की समाप्ति से पूर्व आवेदन किया है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे आवेदन करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा, अर्थात:—

(क) वे कारण जिनके कारण पट्टेदार के लिए खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया या उत्पादन और प्रेषण, जैसा भी मामला हो, करना या खोज संबंधी संक्रिया या उत्पादन संक्रिया या उत्पादन और प्रेषण, जैसा भी मामला हो, जारी रखना संभव नहीं है;

(ख) वह रीति जिसमें ऐसे कारण अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के नियंत्रण से बाहर हैं; और;

(ग) ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा उठाए गए कदम।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक लाख रुपए की फीस संलग्न होगी।

(4) प्रशासनिक प्राधिकारी, खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं या उत्पादन और प्रेषण के प्रारंभ न होने या, जैसा भी मामला हो, उसे बंद करने के कारणों की पर्याप्तता और वास्तविकता की जांच करने के बाद और विभाग के परामर्श से, उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या जिस तारीख को यथास्थिति संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा, जो अन्यथा व्यपगत हो गया होता, जो भी पहले हो, ऐसे आवेदन को मंजूर करने या खारिज करने का आदेश पारित करेगा:

परंतु, ऐसा कोई विस्तार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा और ऐसा विस्तार यथास्थिति संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की पूरी अवधि के दौरान एक बार से अधिक के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा।

17. उत्पादन पट्टे का अभ्यर्पण.—(1)पट्टेदार, उत्पादन पट्टे के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के अभ्यर्पण के लिए, इच्छित अभ्यर्पण की तारीख से कम से कम छह मास की अवधि का लिखित नोटिस देने के पश्चात, प्रशासनिक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है:

(2) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त होने पर ही पट्टा क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग अथवा उसके किसी भाग को अभ्यर्पित करने की अनुमति देगा।

(3) प्रशासनिक प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन उत्पादन पट्टे को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभ्यर्पित करने की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:—

(क) पट्टा क्षेत्र या उसके किसी भाग के अभ्यर्पण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अनुमोदित अंतिम खान बंद करने की योजना संलग्न की जाएगी;

(ख) पट्टेदार ने निदेशालय के निदेशक द्वारा अनुमोदित अंतिम खान बंद करने की योजना के कार्यान्वयन की पुष्टि करने वाला निदेशालय के निदेशक से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अनुमोदित अंतिम खान बंद करने की योजना के कार्यान्वयन को प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज भी सम्मिलित है;

(ग) पट्टा क्षेत्र के किसी भाग के अभ्यर्पण में केवल विद्यमान पट्टा क्षेत्र की सीमाओं के साथ लगे हुए मानक ब्लॉक सम्मिलित होंगे तथा ऐसे क्षेत्र का समुचित रूप से सर्वेक्षण किया गया होगा;

(घ) उत्पादन पट्टे से संबंधित सभी शोध्यों का निपटान कर दिया गया है;

(ङ) पट्टेदार, सुरक्षात्मक उपायों के लिए केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकारी, निदेशालय या विभाग द्वारा किए जाने वाले अनुमानित व्यय (यदि कोई हो तो) के बराबर रकम जमा करेगा या पट्टा क्षेत्र में उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई आवश्यक कदम या ऐसे अन्य उपाय करेगा; और

(च) पर्यावरण संरक्षण के उपायों सहित खनिज भंडार के व्यवस्थित विकास के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

(4) खनिज संसाधनों के व्यपगत होने से पहले सम्पूर्ण क्षेत्र के अभ्यर्पण की स्थिति में, पट्टेदार द्वारा प्रदान की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी:

परंतु, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत नहीं की जाएगी:

(i) पट्टेदार को पेट्रोलियम या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं के अन्य पट्टेदारों की संक्रियाओं या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों या अन्य सरकारी एजेंसियों की संक्रियाओं के कारण उत्पादन संक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना पड़ता है; या

(ii) उत्पादन पट्टे के अभ्यर्पण के पश्चात् दस वर्ष व्यपगत हो चुके हैं और पट्टेदार को लगता है कि उत्पादन संक्रिया अलाभकारी है।

(5) प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार को लिखित रूप में कारण बताकर सम्पूर्ण पट्टा क्षेत्र या उसके भाग के अभ्यर्पण को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है।

(6) पट्टेदार, उस कार्य निष्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त किसी भी व्यय का भुगतान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण, निदेशालय या विभाग द्वारा, किसी सुरक्षात्मक उपाय को करने या कोई आवश्यक कदम या उपाय करने के लिए किया गया हो, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपाय भी सम्मिलित हैं, ताकि उस पट्टा क्षेत्र में उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल का प्राकृतिक पुनर्वास संभव हो सके जिसे अभ्यर्पित किया गया है।

18. पर्यवसान.—(1)केन्द्रीय सरकार, विभाग के साथ परामर्श के पश्चात् तथा प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देकर, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति का पर्यवसान कर सकती है, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा पर्यवसान लोकहित, देश के सामरिक हित, अपतट खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन के हित में, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम, लोक स्वास्थ्य या संचार के लिए खतरे से बचने, किसी अपतट संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने या खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए या किसी अन्य कारण से समीचीन है।

(2) उपनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और नियम 11 के उपनियम (2) और नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, विभाग के परामर्श के पश्चात् और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देकर, किसी संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे को व्यपगत कर सकेगी, यदि ऐसा पट्टेदार उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय:—

(क) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में निहित किसी भी नियम, अनुबंध और शर्त को पूरा करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है; या

(ख) अपने द्वारा कवर किए गए अपतट क्षेत्र का उपयोग उस वास्तविक उद्देश्य के लिए करने में विफल रहता है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया है; या

(ग) ऐसे अपतट क्षेत्र का उपयोग उस उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है जिसके लिए उसे प्रदान किया गया है; या

(घ) भारतीय विधियों और विनियमों, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या संधियों का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिनमें भारत एक पक्ष है, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, खतरनाक अपशिष्टों के लिए लागू विधि और विनियमन सम्मिलित हैं; या

(ङ) प्रशासनिक प्राधिकारी, केंन्द्रीय सरकार, विभाग, निदेशालय या सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(3) इस नियम के अधीन संक्रिया संबंधी अधिकार की समयपूर्व समाप्ति का कोई भी आदेश, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां समयपूर्व समाप्ति देश के सामरिक हित के आधार पर की जा रही हो।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट कोई विफलता, उल्लंघन या उपयोग सुधार योग्य प्रकृति का है, तो केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति को नोटिस दे सकेगी जिसमें उससे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उसका समाधान करने की अपेक्षा की जाएगी और उसे सूचित किया जाएगा कि यदि ऐसी विफलता, उल्लंघन या उपयोग का ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समाधान नहीं किया जाता है, तो उसका संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के व्यपगत किया जा सकता है।

(5) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति की समाप्ति की स्थिति में, प्रशासनिक प्राधिकारी पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को समपहृत कर सकता है।

(6) पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन संक्रियाओं से प्रभावित समुद्रतल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम बनाने के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, निदेशालय, विभाग या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, किसी सुरक्षात्मक उपाय करने या कोई आवश्यक कदम उठाने या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य उपायों के लिए, यदि कोई हो, अनुमानित व्यय (समपहृत की गई निष्पादन प्रतिभूति से अधिक) के बराबर राशि जमा करेगा।

19. उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति का अंतरण.—(1) उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है) अपने यथास्थिति उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति को, अधिनियम की धारा 13ख और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति रखने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है) प्रशासनिक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अंतरित कर सकता है।

(2) अंतरक और अंतरिती को अंतरण से पहले प्रशासनिक प्राधिकारी को संयुक्त रूप से प्ररूप ङ में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अंतरण के लिए अंतरिती द्वारा देय प्रतिफल का ब्यौरा होगा, जिसमें पहले से की गई खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के संबंध में प्रतिफल और संक्रिया के दौरान तैयार रिपोर्ट और आंकड़े सम्मिलित होंगे।

(3) प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग के पूर्व अनुमोदन के अधीन, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे अंतरण को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय सूचित करेगा:

परंतु, उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति का ऐसा कोई अंतरण किसी शर्त के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा जिसके अधीन उत्पादन पट्टा प्रदान किया गया था।

(4) इस नियम के अधीन किया गया प्रत्येक अंतरण इस शर्त के अधीन होगा कि संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के संबंध में सभी देयताएं ऐसे अंतरण से पूर्व निपटा दी जाएंगी और यह कि अंतरिती ने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है, जिनके अधीन अंतरक, यथास्थिति, ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में था।

(5) अंतरण की तारीख से ही अंतरिती, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के संबंध में किसी भी और सभी दायित्वों के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी, विभाग और केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

(6) उप-नियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमोदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अंतरणकर्ता और अंतरिती संयुक्त रूप से प्ररूप च में रजिस्ट्रीकृत विलेख प्रस्तुत करेंगे।

(7) उपनियम (6) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत अंतरण विलेख प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उपनियम (2) के अधीन किया गया अंतरण आवेदन अपात्र हो जाएगा।

(8) अंतरण विलेख के प्रारंभ की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन निष्पादित अंतरण विलेख रजिस्ट्रीकृत किया गया हो।

(9) संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसे संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, ऐसे अंतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, विभाग, निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को प्ररूप छ में इसकी सूचना भेजेगा।

(10) प्रशासनिक प्राधिकारी नौसेना मुख्यालय (नौसेना आसूचना निदेशालय), रक्षा मंत्रालय और विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट यथास्थिति ऐसे अन्य प्राधिकारी या विभाग को, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के किसी भी अंतरण के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

(11) केन्द्रीय सरकार, विभाग के परामर्श के पश्चात् और प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना देकर, लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, किसी उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति को व्यपगत कर सकेगी और प्रशासनिक प्राधिकारी किसी भी समय कार्य-निष्पादन प्रतिभूति समपहृत कर सकेगी यदि पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी ने इस नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या ऐसे उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति या उसमें कोई अधिकार, हक या हित को इस नियम के अनुसार न करके किसी अन्य रीति से अंतरित किया है:

परंतु, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्तक अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

20. प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और विल्लंगम.—(1)संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा रखने वाला व्यक्ति ऐसे संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे पर कोई भी विल्लंगम सृजित कर सकता है।

(2) ऐसे विल्लंगम के संबंध में प्रतिभूति हित के प्रवर्तन की स्थिति में, संक्रिया संबंधी अधिकार केवल ऐसे अंतरिती को सौंपा जाएगा जो पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हो, जिन्हें ऐसे संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए और नियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से अंतरक द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित था:

परंतु, प्रतिभूति हित को लागू करने वाले ऋणदाता, अंतरिती की ओर से अंतरण आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

अध्याय 7
खनिज मूल्यांकन

21. परमाणु खनिज का मूल्यांकन.—परमाणु खनिजों का मूल्यांकन अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 के अध्याय 7 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, जैसा लागू हो:

परंतु, जहां कहीं भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों की कोई शक्ति, कार्य या जिम्मेदारी विनिर्दिष्ट की जाती है या भारतीय खान ब्यूरो या उसके अधिकारियों को कोई सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उसे निदेशालय या उसके अधिकारियों की शक्ति, कार्य या उत्तर दायित्व समझा जाएगा या परमाणु खनिजों

के संबंध में सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले खनिजों के लिए उक्त निदेशालय या उसके अधिकारियों को निम्नलिखित रीति से सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, अर्थात: —

(क) भारतीय खान ब्यूरो के प्रति कोई संदर्भ निदेशालय के प्रति संदर्भ माना जाएगा;

(ख) महानियंत्रक या मुख्य खान नियंत्रक या खान नियंत्रक या क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के प्रति किसी संदर्भ को यथास्थिति निदेशक या, निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

अध्याय 8
भुगतान

22. भुगतान और जमा की जाने वाली फीस.—अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन देय कोई भी रकम, नियम 26 के उपनियम (2) के अधीन अपील; नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन खोज योजना; नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन उत्पादन योजना के संबंध में देय रकम को छोड़कर, ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जैसी कि प्रशासनिक प्राधिकारी इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

23. ब्याज का भुगतान.—प्रशासनिक प्राधिकारी, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 9 के उपनियम (1) या नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन देय फीस या प्रशासनिक प्राधिकारी को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी संक्रिया संबंधी अधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन देय किसी किराए, स्वामिस्व या फीस पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्वामिस्व, किराए, फीस या अन्य रकम के भुगतान के लिए निर्धारित तारीख की समाप्ति से लेकर ऐसी स्वामिस्व, किराए, फीस या अन्य रकम का भुगतान किए जाने तक, बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ले सकेगा।

24. उत्पादन पट्टे के अधीन भुगतान.—पट्टेदार केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की धारा 16 में विनिर्दिष्ट रीति से रॉयल्टी या अधिनियम की धारा 17 में विनिर्दिष्ट निर्धारित किराया का भुगतान करेगा।

25. अधिनियम की धारा 16क और धारा 18 के अधीन भुगतान.—इसमें विनिर्दिष्ट भुगतानों के अतिरिक्त, उत्पादन पट्टे के धारक को अधिनियम की धारा 16क और धारा 18 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अपतट क्षेत्र खनिज न्यास और अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण को भुगतान करना होगा।

अध्याय 9
अपील

26. अपील के लिए आवेदन.—(1)कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक प्राधिकारी, निदेशालय या किसी अधिकारी द्वारा परमाणु खनिजों के संबंध में पारित किसी आदेश से व्यथित है, जो परमाणु खनिजों के संबंध में सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक ग्रेड वाले हैं, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, प्रत्येक मामले में प्ररूप ज में तीन प्रतियों में विभाग को अपील कर सकता है:

परंतु, ऐसी कोई अपील तीन मास की उक्त अवधि के बाद भी स्वीकार की जा सकेगी, यदि अपीलकर्ता विभाग को यह संतुष्ट कर दे कि निर्धारित समय के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(2) अपील के साथ दस हजार रुपये की फीस संलग्न होगी, जो या तो विभाग के समक्ष अपील के मामले में 'वेतन और लेखा अधिकारी, परमाणु ऊर्जा विभाग' के नाम से अनुसूचित बैंक पर तैयार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुम्बई में देय होगा, या विभाग के विनिर्दिष्ट बैंक खाते में बैंक अंतरण के माध्यम से देय होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाने और अपील ज्ञापन की एक प्रति ऐसे पक्षकारों को अग्रिम सेवा के माध्यम से तामील करने तथा उसका सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात ही की जाएगी।

(4) अपीलकर्ता उपनियम (1) के अधीन अपील ज्ञापन के साथ विभाग द्वारा विहित विनिर्दिष्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(5) अपील ज्ञापन प्राप्त होने पर, विभाग उपनियम (3) के अधीन प्रतिवादी प्रत्येक पक्ष को वह तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस भेजेगा जिसमें उस तारीख को या उससे पूर्व वह अपील के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकेगा।

(6) विभाग को इस नियम के अधीन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए कोई भी लागू प्रक्रिया या आवश्यकता विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

27. अपील आवेदन पर आदेश.—(1) नियम 26 के अधीन अपील ज्ञापन प्राप्त होने पर, विभाग ऐसे अपील ज्ञापन की प्रतियां प्रशासनिक प्राधिकारी या निदेशालय या अन्य प्राधिकारी को भेजेगा तथा उनसे संसूचना जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी टिप्पणियां करने के लिए कहेगा, जैसी वे चाहते हों, और प्रशासनिक प्राधिकारी या निदेशालय या अन्य प्राधिकारी विभाग को टिप्पणियां प्रस्तुत करते समय साथ ही टिप्पणियों की एक प्रति अन्य पक्षकारों को भी पृष्ठांकित करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी पक्षकार से प्राप्त टिप्पणियां अन्य पक्षकारों को आगे ऐसी टिप्पणियां करने के लिए अग्रेषित की जाएंगी, जैसी वे संसूचना जारी होने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर करना चाहें और आगे टिप्पणियां करने वाले पक्षकार उन्हें अन्य सभी पक्षकारों को भेजेंगे।

(3) अपील के लिए आवेदन, उपनियम (1) और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट टिप्पणियां और प्रतिटिप्पणियां युक्त पत्र-व्यवहार मामले के अभिलेख होंगे।

(4) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात्, और अपील के पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, विभाग, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसे पुष्ट, संशोधित या उलट सकता है या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, ऐसे निर्देशों के साथ मामले को वापस भेज सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(5) अपील के लंबित रहने के दौरान, विभाग पर्याप्त कारण होने पर उस आदेश को लागू करने पर रोक लगा सकता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

अध्याय 10
विविध

28. खोज आंकड़ा का स्वामित्व और गोपनीयता.—(1) खोज संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त सभी आंकड़े, जिसमें खोज या उत्पादन या इंजीनियरिंग सर्वेक्षणों से संबंधित सभी भूभौतिकीय आंकड़ा सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसे विसंगति मानचित्र, खंड, योजनाएं,

संरचनाएं, विषम्मत मानचित्र, लॉगिंग, रिपोर्ट, नमूने, जिनमें वन और निकाले गए ऐसे नमूनों की मात्रा से संबंधित आंकड़ा भी सम्मिलित है, केंन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति होगी:

परंतु अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित ऐसा पट्टेदार या अभिकरण, ऐसे यथास्थिति खोज संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, ऐसे आंकड़ों का निःशुल्क उपयोग कर सकेगा।

(2) नियम 4 के उप-नियम (4) या नियम 6 के उप-नियम (17) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के उपबंध के अधीन यथास्थिति अनुज्ञात एजेंसियां या संयुक्त अनुज्ञप्ति धारक, यह विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी रिपोर्ट या आंकड़ों का कोई हिस्सा, गोपनीय रखा जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी इसके बाद प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ों के ऐसे हिस्सों को गोपनीय रखेंगे जैसा कि उचित समझा जा सके:

परंतु, केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों का उपयोग अपने प्रयोजनों के लिए कर सकेगी:

परंतु, यह और उपबंध है कि अवीक्षण संक्रिया या खोज संक्रिया को व्यपगत करने या इसकी समाप्ति या पूरा होने पर, उक्त एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और आंकड़े केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे।

(3) नियम 11 के उपनियम (1) के खंड (च) या नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ब) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, पट्टेदार यह निर्दिष्ट कर सकेगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई पूरी रिपोर्ट या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और तत्पश्चात् संबंधित प्राधिकारी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और आंकड़ों के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा वह उचित समझे:

परंतु, केन्द्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों का उपयोग अपने प्रयोजनों के लिए कर सकेगी:

परंतु, यह और कि उत्पादन पट्टे व्यपगत करने या इसकी समाप्ति या अभ्यर्पण या परित्याग पर, उक्त पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और आंकड़े केन्द्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति हो जाएंगे।

29. प्रकट गलतियों को सुधारने की शक्ति.—इन नियमों के अधीन विभाग या प्रशासनिक प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में कोई लिपिकीय या अंकगणितीय गलती और आकस्मिक चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न कोई त्रुटि, आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, विहित स्थिति, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा सुधारी जा सकेगी:

परंतु, किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई सुधार आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

30. मंत्रालयों और अन्य प्राधिकारियों को दी जाने वाली उत्पादन पट्टों की प्रतियां, वार्षिक विवरणियां और रिपोर्टें.—(1)किसी भी संक्रिया संबंधी अधिकार के दिए जाने पर, अपतट क्षेत्रों के ब्यौरे वाली एक सूची जिसके लिए प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे संक्रिया संबंधी अधिकार प्रदान दिए गए हैं, नियम 6 के उप-नियम (3) या नियम 7 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मंत्रालयों और विभागों को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत की जाएगी।

(2) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए प्रत्येक संक्रिया संबंधी अधिकार की एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुदान की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर निदेशालय के निदेशक और खान सुरक्षा महानिदेशालय के महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) अनुज्ञप्तियों और उत्पादन पट्टों की समेकित वार्षिक विवरणियां भी प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निदेशालय के निदेशक को ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत की जाएंगी, जैसी कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, जो उस वर्ष के बाद की 30 जून की तारीख से पहले नहीं होगा, जिससे कि विवरणियां संबंधित है, जिसकी एक प्रति प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसी समय महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) नियम 11 के उपनियम (1) के खंड (च) और नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ब) के अधीन पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत उत्पादन संक्रियाओं से संबंधित सभी सुसंगत आंकड़े, रिपोर्ट, नमूने और अन्य सुसंगत जानकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को प्रस्तुत की जाएगी।

31. नाम, पते में परिवर्तन की सूचना.—संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का धारक अपने नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और बहुसंख्यक स्वामियों के ब्यौरे या प्ररूप झ में विभाग और प्रशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत अन्य विवरणों में होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूचना साठ दिन की अवधि के भीतर विभाग और प्रशासनिक प्राधिकारी को देगा।

32. भूभौतिकीय आंकड़ा आदि प्रस्तुत करना.—(1)यथास्थिति संक्रिया संबंधी अधिकार का धारक या खोज संक्रियाएं संचालित करने वाला व्यक्ति खोज संक्रियाओं और उत्पादन संक्रियाओं के दौरान उसके द्वारा संगृहीत या खोजे गए और भंडारित परमाणु खनिजों की जांच से संबंधित सभी सूचना प्रशासनिक प्राधिकारी, निदेशालय के निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक और किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसे उस विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें खोज संक्रियाएं या उत्पादन संक्रियाएं की जाती हैं।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आंकड़े या सूचना उत्पादन पट्टे की अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी।

33. रजिस्टर.—अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए संक्रिया अधिकारों के रजिस्टर का रखरखाव, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप ञ में किया जाएगा, जिसे निदेशालय, विभाग और बोर्ड द्वारा, जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर, क्रमशः परमाणु खनिजों के संरक्षण को सुनिश्चित करने और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा विनियमों को लागू करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

34. उत्पादन पट्टों का समामेलन.—(1)प्रशासनिक प्राधिकारी, खनिज विकास के हित में, और लिखित रूप में कारण अभिलिखित करके, पट्टेदार द्वारा धारित दो या अधिक समीपवर्ती उत्पादन पट्टों के समामेलन की अनुमति दे सकेगा;

परंतु, समामेलित उत्पादन पट्टों की अवधि उस उत्पादन पट्टे के साथ व्यपगत होगी, जिसकी अवधि पहले व्यपगत होगी;

परंतु, यह और कि ऐसे समामेलन के लिए विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उत्पादन पट्टे के निबंधनों और शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्पादन पट्टे का प्रत्येक धारक उपनियम (1) के अधीन किए गए उत्पादन पट्टों के समामेलन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विभाग, निदेशालय और प्रशासनिक प्राधिकारी को इसकी सूचना भेजेगा।

35. समुद्र तल से नीचे की सीमाएं.—संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की सीमाएं देशांतर और अक्षांश द्वारा दर्शाई जाएंगी और पृथ्वी के केंन्द्र की ओर सतह से नीचे की ओर लंबवत चलेंगी।

36. नये संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को कुछ सूचना उपलब्ध कराना.—जहां कोई क्षेत्र पहले से ही संक्रिया संबंधी अधिकार के अधीन रहा है, वहां जिस व्यक्ति को ऐसा संक्रिया संबंधी अधिकार दिया गया था, वह नये संक्रिया संबंधी अधिकार धारक को उस क्षेत्र में परित्यक्त संक्रियाओं सहित सभी योजनाओं की मूल या प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

37. सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी आवश्यकता को पूरा करना.—जब इन नियमों के अधीन किसी आवश्यकता को पूरा करने का दिन सार्वजनिक अवकाश के दिन पड़ रहा हो, तो पूरा करने का दिन अगले कार्य दिवस को माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'सार्वजनिक अवकाश' पद में शनिवार, रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया कोई अन्य दिन सम्मिलित है।

अध्याय 11
दंड

38. दंड.—(1)जो कोई नियम 4 के उपनियम (4) या उपनियम (7) या नियम 32 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह तीन वर्ष तक के कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में, प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई नियम 8, नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 12, नियम 14 के उपनियम (4), नियम 15 के उपनियम (5), नियम 17 के उपनियम (6), नियम 18 के उपनियम (6), नियम 19, नियम 20, नियम 24, नियम 25 या नियम 31 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसे कारावास से जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या पचास लाख रुपये के जुर्माने जिसे एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए पांच लाख रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है।

अनुसूची क

[नियम 4(1), 4(4), 5, 6(17), 6(19) देखें]

परमाणु खनिजों के लिए खनिजीकरण के साक्ष्य को सिद्ध करने के मापदंड

खोज के स्तरों और खोज के विभिन्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त संसाधनों और भंडारों की श्रेणी से संबंधित प्रयुक्त शब्दों को अनुसूची के भाग । में परिभाषित किया गया है। किसी क्षेत्र में मात्रा और ग्रेड के संदर्भ में खनिज सामग्री के साक्ष्य को सिद्ध करने के मापदंडों को अनुसूची के भाग II, भाग III, भाग IV और भाग V में विनिर्दिष्ट किया गया है।

भाग । परिभाषाएं

इस भाग में प्रयुक्त परिभाषाएं और कोड संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण और खनिज भंडार अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति टेम्पलेट के अनुसार प्रस्तावित हैं और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें संशोधित किया गया है।

(क) खोज के चरणों की परिभाषा:

किसी भी खनिज भंडार के खोज में चार चरण अर्थात्, अवीक्षण सर्वेक्षण (जी4), प्रारंभिक खोज (जी3), सामान्य खोज (जी2) और विस्तृत खोज (जी1) सम्मिलित होते हैं और खोज के ये चरण क्रमशः चार संसाधन श्रेणियों अर्थात् अवीक्षण खनिज संसाधन, अनुमानित खनिज संसाधन, संकेतित खनिज संसाधन और मापित खनिज

संसाधन की ओर ले जाते हैं, जो भूवैज्ञानिक आश्वासन की डिग्री को दर्शाते हैं, जिन्हें निम्नानुसार समझाया गया है:—

क्र. सं.	खोज के चरण	स्पष्टीकरण सहित परिभाषा
1.	**अवीक्षण सर्वेक्षण (खोज) (जी4)** ग्रेड के साथ मात्रा का अनुमान मुख्यतः क्षेत्रीय समुद्रतल मानचित्रण पर आधारित है, जो सीमित भूमिगत नमूनाकरण और अप्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा समर्थित है।	अवीक्षण सर्वेक्षण (जी4) मुख्य रूप से क्षेत्रीय समुद्र तल मानचित्रण के परिणामों के आधार पर संवर्धित खनिज क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, जिसमें प्रयोगशाला अध्ययनों के माध्यम से तलछटी और खनिज संबंधी आंकड़ों के लिए गहराई माप सर्वेक्षण, सीमित उप-तल प्रोफाइलर, उथले भूकंपीय सर्वेक्षण, विस्तृत सतह तलछट नमूनों का अध्ययन और सीमित उपसतह समुद्र तल नमूनों का अध्ययन सम्मिलित है।
2.	**प्रारंभिक खोज (जी3)** कम आत्मविश्वास के साथ अनुमानित ग्रेड वाली मात्रा	प्रारंभिक खोज में खोज के पिछले चरण (जी4) के पहचाने गए खनिज भंडार क्षेत्र का प्रारंभिक चित्रण सम्मिलित है, जो अयस्क निकाय के पार्श्व और ऊर्ध्वाधर नीचे (तीसरे आयाम) दोनों तरफ विस्तार और पहचान करने के लिए खोज को आगे बढ़ाता है। उपयोग की जाने वाली पद्धतियों में: नज़दीकी अंतराल वाली सर्वेक्षण रेखाओं पर किया गया विस्तृत गहराई माप सर्वेक्षण, नज़दीकी अंतराल वाला सब-बॉटम प्रोफाइलर और/या उथला भूकंपीय सर्वेक्षण, नज़दीकी अंतराल पर कोर नमूनों का संग्रह, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से खनिज युक्त तलछट इकाई के चित्रण के लिए कण आकार वितरण और खनिज सामग्री के लिए नमूनों का विस्तृत अध्ययन, प्रमुख ऑक्साइड, हानिकारक तत्वों सहित ट्रेस तत्वों, आरईईई (दुर्लभ मृदा तत्वों) के लिए चयनित थोक नमूनों का रासायनिक विश्लेषण सम्मिलित हो सकते हैं।
3.	**सामान्य खोज (जी2)** मध्यम स्तर के विश्वास के साथ अनुमानित ग्रेड वाली मात्रा	सामान्य खोज में भूवैज्ञानिक विश्वास स्तर को बढ़ाना और खनिजकरण की घटना की शैली और रीति को समझना सम्मिलित है। उपयोग की जाने वाली पद्धतियों में समुद्र तल की विस्तृत आकृति विज्ञान के लिए मल्टीबीम गहराई माप सर्वेक्षण या स्वैथ गहराई मापन, निकट अंतराल पर उप-तल प्रोफाइलिंग या उथले भूकंपीय प्रोफाइलिंग, अधिक निकट अंतराल पर गहरी कोरिंग/ड्रिलिंग के साथ उप-समुद्र तल नमूनाकरण (प्रत्येक प्रकार के खनिज के लिए अंतराल उसके निक्षेपण विशेषताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं), क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से खनिज युक्त तलछट इकाई के चित्रण के लिए कण आकार वितरण और खनिज सामग्री के लिए नमूनों का विस्तृत अध्ययन सम्मिलित हो सकता है। प्रमुख ऑक्साइड, हानिकारक तत्वों सहित ट्रेस तत्वों, दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए चयनित थोक नमूनों का रासायनिक विश्लेषण और प्रयोगशाला पैमाने पर खनिज सज्जीकरण और खनिज भंडार के आकलन के लिए चयनित थोक नमूनाकरण यदि आवश्यक हो। पर्यावरणीय मापदंडों जैसे धारा, लहरें, हवा, पानी की गुणवत्ता, कुल निलंबित का संग्रह, ठोस पदार्थ आदि। इसका उद्देश्य किसी भंडार की मुख्य भूवैज्ञानिक विशेषताओं को सिद्ध करना है, और पार्श्विक और ऊर्ध्वाधर (तृतीय आयाम) विस्तार के साथ निरंतरता का उचित संकेत देना है, जो खनिज भंडार के आकार, आकृति, खनिज क्षेत्र की संरचना, मात्रा और श्रेणी का प्रारंभिक अनुमान कराता है।
4.	**विस्तृत खोज (जी1)** उच्च स्तर के विश्वास के साथ	विस्तृत खोज में ज्ञात खनिज भंडार का विस्तृत त्रि-आयामी खोज में ज्ञात खनिज भंडार का विस्तृत त्रि-आयामी चित्रण सम्मिलित है, जिसे

	अनुमानित ग्रेड वाली मात्रा	विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विस्तृत उप-समुद्री आकृति विज्ञान के लिए निकट अंतराल वाले उप-तल प्रोफाइलिंग और/या उथले भूकंपीय प्रोफाइलिंग, गहरी कोरिंग/ड्रिलिंग के साथ निकट अंतराल वाले उप-समुद्र तल नमूनाकरण (प्रत्येक प्रकार के खनिज के लिए अंतराल उसके निक्षेपण विशेषताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं), कण आकार वितरण और खनिज सामग्री के लिए निकट उप-नमूनाकरण के साथ नमूनों का विस्तृत अध्ययन सम्मिलित हो सकता है ताकि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से खनिज युक्त तलछट इकाई का चित्रण किया जा सके। प्रमुख ऑक्साइड, हानिकारक तत्वों सहित ट्रेस तत्वों, आरईई (दुर्लभ मृदा तत्वों) के लिए चयनित थोक नमूनों का रासायनिक विश्लेषण, पर्यावरणीय मापदंडों जैसे धारा, लहरें, हवा, पानी की गुणवत्ता, कुल निलंबित ठोस (टीएसएस) आदि का संग्रह। नमूना स्थान इतने निकट अंतराल वाले होते हैं कि आकार, आकृति, संरचना, मात्रा, ग्रेड और भंडार की अन्य सुसंगत विशेषताओं को उच्च स्तर के विश्वास के साथ सिद्ध किया जाता है। रिकवरी और किसी भी अतिरिक्त उप-उत्पादों को समझने के लिए कुछ मामलों में थोक नमूनाकरण को सम्मिलित करते हुए बेंच स्केल सज्जीकरण परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

(ख) व्यवहार्यता अध्ययन के चरणों की परिभाषा:

क्र. सं.	वर्ग	स्पष्टीकरण सहित परिभाषा
1.	**भूवैज्ञानिक अध्ययन (एफ3)**	भूवैज्ञानिक अध्ययन में मात्रा और ग्रेड के साथ खनिज संसाधनों के मूल्यांकन सहित खोज के प्रत्येक चरण के दौरान की गई सभी खोज कार्यकलापों की रिपोर्टिंग सम्मिलित है। निक्षेप का प्रारंभिक आर्थिक मूल्यांकन एकत्रित क्षेत्र आंकड़ा और पहले से ही संक्रिया में समान निक्षेप के साथ तुलना के आधार पर किया जाना चाहिए। यह सार्थक सीमा मूल्यों, ग्रेड, मोटाई और खनिज क्षेत्र की गहराई के लिए कट ऑफ मूल्यों को लागू करके प्राप्त किया जाता है ।
2.	**पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (एफ2)**	पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन विभिन्न संशोधित कारकों के अनुप्रयोग के माध्यम से खनिज निक्षेप की संभावित तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-पर्यावरणीय व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अध्ययन है, जिसमें खनिज सज्जीकरण पद्धति, यदि कोई हो, सहित एक पसंदीदा उत्पादन पद्धति का पता लगाया गया है। अध्ययन में लागू संशोधित कारकों पर उचित मान्यताओं और किसी भी अन्य सुसंगत कारकों के मूल्यांकन के आधार पर एक प्रारंभिक वित्तीय विश्लेषण भी सम्मिलित होगा जो संसाधनों के सभी हिस्से को भंडार में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस अध्ययन से खनिज संसाधन के हिस्से या पूरे खनिज संसाधन को खनिज भंडार में परिवर्तित किया जाना चाहिए। एक पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन में व्यवहार्यता अध्ययन की तुलना में कम विश्वास स्तर होता है (जिसमें परियोजना के लागत अनुमानों में +30% सटीकता होगी)।

3.	**व्यवहार्यता अध्ययन (एफ1)**	व्यवहार्यता अध्ययन एक खनिज निक्षेप का विस्तृत व्यापक तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-पर्यावरणीय मूल्यांकन है, जो खनिज निक्षेप की तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए विभिन्न संशोधित कारकों के अनुप्रयोग के माध्यम से किया जाता है। इस स्तर पर अधिमानित उत्पादन पद्धति, निक्षेप की सज्जीकरण तकनीक को लागू संशोधित कारकों, सुसंगत संक्रिया कारकों और विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के विस्तृत आकलन के साथ पर्याप्त रूप से सिद्ध किया गया है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि निष्कर्षण व्यवहार्य रूप से उचित है। यह आशा की जाती है कि उत्पादन संक्रिया प्रारंभ करने के लिए सभी सरकारी मंजूरी रिपोर्टिंग के समय पहले से ही मौजूद हैं और जहां ऐसी मंजूरी नहीं मिली है, वहां उत्पादन संक्रिया प्रारंभ होने से पहले ऐसी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप खनिज संसाधन का हिस्सा या पूरा खनिज संसाधन, खनिज भंडार में परिवर्तित हो सकता है। इस अध्ययन का परिणाम परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने या वित्तपोषित करने के लिए प्रस्तावक या वित्तीय संस्थान द्वारा अंतिम निर्णय के लिए उचित आधार के रूप में कार्य कर सकता है (जिसमें परियोजना के लागत अनुमानों में +20% सटीकता होगी)।
4.	**संशोधित कारक**	संशोधित कारक वे कारक हैं जिन्हें खनिज संसाधनों को खनिज भंडार में परिवर्तित करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता या व्यवहार्यता अध्ययन करते समय ध्यान में रखा जाता है। इनमें उत्पादन, प्रसंस्करण, अंतिम उपयोग, कट-ऑफ ग्रेड, सीमा मूल्य, धातुकर्म, अवसंरचना, आर्थिक, विपणन, परिवहन, भंडारण, विधिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सरकारी कारक सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(ग) आर्थिक व्यवहार्यता के चरणों की परिभाषा:

क्र. सं.	वर्ग	स्पष्टीकरण सहित परिभाषा
1.	**आंतरिक रूप से आर्थिक (ई3)**	मात्रा, ग्रेड या गुणवत्ता के साथ टन या आयतन में रिपोर्ट की गई, जो आंतरिक आर्थिक हित के रूप में पहचानी गई है, जिसका अर्थ है कि पहचाने गए संसाधनों का कोई तत्काल आर्थिक मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी। संसाधनों की आर्थिक व्यवहार्यता को उपयुक्त संशोधित कारकों के अनुप्रयोग द्वारा पूर्व व्यवहार्यता या व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से आगे पता लगाया जाता है। परिभाषित वर्ग मापे गए, संकेतित, अनुमानित और अवीक्षण खनिज संसाधन हैं।
2.	**संभावित आर्थिक (ई2)**	पूर्व-व्यवहार्यता (एफ2) या व्यवहार्यता (एफ1) अध्ययन के माध्यम से बढ़ती सटीकता के क्रम में रिपोर्ट की गई ग्रेड के साथ मात्रा, मौजूदा तकनीकी, आर्थिक, पर्यावरणीय और अन्य सुसंगत स्थितियों के अधीन निष्कर्षण को उचित नहीं ठहराती है, जो निर्धारण के समय वास्तविक रूप से मानी जाती है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। संभावित रूप से आर्थिक (ई2) निक्षेप को आम तौर पर पूर्व-व्यवहार्यता खनिज संसाधनों (एफ2) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन कभी-कभी व्यवहार्यता खनिज संसाधनों (एफ1) के रूप में जिन्हें संकेतित और मापे गए संसाधनों में उन्नत किया जाता है।

3.	**आर्थिक (ई1)**	पूर्व-व्यवहार्यता या व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर पहचानी गई ग्रेड वाली मात्राएँ, बढ़ती सटीकता के क्रम में, जो प्रचलित तकनीकी-आर्थिक, सामाजिक-पर्यावरणीय और अन्य सुसंगत स्थितियों के अधीन निष्कर्षण को उचित ठहराती हैं, जिन्हें निर्धारण के समय वास्तविक रूप से ग्रहण किया गया है। परिभाषित वर्ग प्रमाणित और संभावित खनिज भंडार हैं।

(घ) खनिज संसाधनों और भंडार के वर्गों की परिभाषा:

क्र. सं.	वर्ग	स्पष्टीकरण सहित परिभाषा
1.	**खनिज संसाधन**	खनिज संसाधन पृथ्वी की सतह (समुद्र तल) पर ठोस पदार्थ का संकेन्द्रण या उपस्थिति है, जिसके ग्रेड या गुणवत्ता के साथ मात्रा का अनुमान कुछ भूवैज्ञानिक विचारों और समझ के आधार पर लगाया गया है, जिसका तत्काल या निकट-अवधि आर्थिक मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनका मूल्यांकन उनके भविष्य के संभावित मूल्य के आधार पर किया जाता है।
2.	**अवीक्षण खनिज संसाधन (334)**	अवीक्षण खनिज संसाधन (334) अप्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित मात्रा और ग्रेड के अनुमान हैं, जिसमें अवीक्षण सर्वेक्षण के माध्यम से सृजित आंकड़ा और सूचना, खोज ब्लॉक के भीतर से सीमित सतह और उपसतह नमूना आंकड़ा या आस-पास के उत्पादन या खोज किए गए क्षेत्रों से निकाले गए आंकड़ें सम्मिलित हैं, जैसा कि अपेक्षित किया जाए। मात्रा और ग्रेड अनुमानों में अनुमानित खनिज संसाधनों की तुलना में कम आत्मविश्वास का स्तर होता है।
3.	**अनुमानित खनिज संसाधन (333)**	(1) अनुमानित खनिज संसाधन किसी खनिज भंडार से संबद्ध ग्रेड सहित वह मात्रा है जिसका अनुमान कम विश्वास स्तर के साथ लगाया जा सकता है। (2) यह उपयुक्त खोज तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसमें व्यापक रूप से फैले हुए समुद्र तल कोरिंग या ड्रिलिंग के बाद उपयुक्त उप-नमूनाकरण और विश्लेषण, समुद्र तल की विस्तृत आकृति विज्ञान, उप-तल प्रोफाइलिंग जैसे संवेदी सर्वेक्षण और/या उथले भूकंपीय सर्वेक्षण सम्मिलित होते हैं ताकि खनिजयुक्त निकाय की भूवैज्ञानिक निरंतरता को पार्श्व और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से माना जा सके। अयस्क निकाय को समझने के लिए निक्षेप के प्रकार और उसके होने के रीति के आधार पर उपयुक्त औचित्य के साथ नमूना बिंदुओं से परे बहिर्वेशन के कुछ स्तर की अनुमति दी जा सकती है। (3) इस संसाधन को खनिज भंडार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अतिरिक्त सूचना के साथ इसे संकेतित खनिज संसाधन में उन्नत किया जा सकता है।

4.	**संकेतित खनिज संसाधन (332)**	(1) संकेतित खनिज संसाधन किसी खनिज निक्षेप से संबद्ध ग्रेड सहित वह मात्रा है जिसका अनुमान मध्यम स्तर के विश्वास के साथ लगाया जा सकता है। (2) यह उचित खोज तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसमें पिछले चरण की तुलना में कम अंतराल पर समुद्र तल कोरिंग या ड्रिलिंग और/या उथली ड्रिलिंग, समुद्र तल की विस्तृत रूपरेखा, बंद अंतराल वाले संवेदी सर्वेक्षण (सब-बॉटम प्रोफाइलिंग और/या उथले भूकंपीय सर्वेक्षण) सम्मिलित हैं, जिसमें मापे गए संसाधनों के अनुमान के लिए आवश्यक अंतराल से अधिक अंतराल होता है जो पार्श्व और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से खनिजयुक्त निकाय की भूवैज्ञानिक निरंतरता की धारणा सुनिश्चित करता है। इसमें यदि आवश्यक हो तो पुनर्प्राप्ति और उप-उत्पादों, यदि कोई हो, को समझने के लिए प्रयोगशाला पैमाने पर सज्जीकरण अध्ययन भी सम्मिलित है। (3) संकेतित खनिज संसाधन को अधिक भूवैज्ञानिक आंकड़ा, विस्तृत आर्थिक मूल्यांकन आदि एकत्र करके पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से पूर्णतः या आंशिक रूप से संभावित खनिज भंडार में परिवर्तित किया जा सकता है।
5.	**मापित खनिज संसाधन (331)**	(1) मापित खनिज संसाधन किसी खनिज निक्षेप से संबद्ध ग्रेड सहित वह मात्रा है जिसका अनुमान भूवैज्ञानिक विश्वास के बहुत उच्च स्तर के साथ लगाया जा सकता है। (2) यह उचित खोज तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें पर्याप्त रूप से निकट अंतराल वाले समुद्र तल कोरिंग/ड्रिलिंग, उथली ड्रिलिंग के बाद उपयुक्त उप-नमूनाकरण और विश्लेषण सम्मिलित है, ताकि पार्श्व और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से खनिजयुक्त निकाय की भूवैज्ञानिक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त खनिजों के साथ प्रतिशत पुनर्प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए बेंच स्केल सज्जीकरण अध्ययन किए जा सकते हैं, यदि कोई वापस कराया गया हो। (3) मापित खनिज संसाधन को संभाव्यता या पूर्व संभाव्यता अध्ययन के माध्यम से पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रमाणित या संभावित खनिज भंडार में परिवर्तित किया जा सकता है।
6.	**खनिज भंडार**	खनिज भंडार मापित और/या संकेतित खनिज संसाधन का आर्थिक रूप से खनन योग्य हिस्सा है। इसमें कमजोर करने वाली सामग्री और नुकसान के लिए भत्ते सम्मिलित हैं, जो सामग्री के खनन या निष्कर्षण के दौरान हो सकते हैं। खनिज भंडार की मात्रा और ग्रेड उपयुक्त संशोधित कारकों के अनुप्रयोग द्वारा उपयुक्त पूर्व व्यवहार्यता या व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से पता लगाया जाता है।

7.	**प्रमाणित खनिज भंडार (111)**	प्रमाणित खनिज भंडार मापित खनिज संसाधन का आर्थिक रूप से खनन योग्य हिस्सा है। ग्रेड के साथ मात्रा को व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से आर्थिक रूप से खनन योग्य चित्रित किया जाता है। प्रमाणित खनिज भंडार का तात्पर्य संशोधित कारकों में उच्च स्तर के विश्वास से है।
8.	**संभावित खनिज भंडार (121 और 122)**	(1) संभावित खनिज भंडार एक संकेतित खनिज संसाधन का आर्थिक रूप से खनन योग्य हिस्सा है, और कुछ परिस्थितियों में, एक मापित खनिज संसाधन है। ग्रेड के साथ मात्रा को पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से आर्थिक रूप से खनन योग्य प्रदर्शित किया जाता है। (2) संभावित खनिज भंडार पर लागू होने वाले संशोधित कारकों में विश्वास, प्रमाणित खनिज भंडार पर लागू होने वाले विश्वास से कम है।
9.	**व्यवहार्यता खनिज संसाधन (211)**	व्यवहार्यता खनिज संसाधन मापित खनिज संसाधन का वह हिस्सा है जो आर्थिक रूप से खनन योग्य नहीं है और व्यवहार्यता स्तर पर अध्ययनों द्वारा इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वर्तमान में निष्कर्षण उचित नहीं है। इस सामग्री की पहचान तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय या अन्य सुसंगत स्थितियों में परिवर्तन के अधीन संभवतः आर्थिक रूप से व्यवहार्य के रूप में की जाती है।
10.	**पूर्व-व्यवहार्यता खनिज संसाधन (221 और 222)**	पूर्व-व्यवहार्यता खनिज संसाधन, संकेतित खनिज संसाधन का वह भाग है, और कुछ परिस्थितियों में मापित खनिज संसाधन है, जो आर्थिक रूप से खनन योग्य नहीं है तथा पूर्व-व्यवहार्यता स्तर पर अध्ययनों द्वारा इसे वर्तमान में निष्कर्षण के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। इस सामग्री की पहचान तकनीकी, आर्थिक, एवं पर्यावरणीय और/या अन्य सुसंगत स्थितियों में परिवर्तनों के अधीन संभवतः आर्थिक रूप से व्यवहार्य के रूप में की जाती है।

भाग 2

खोज के लिए भूवैज्ञानिक मापदंड

1.	**भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (समुद्रतल मानचित्रण):** प्रादेशिक जल क्षेत्र में अवीक्षण सर्वेक्षण (जी4) चरण के लिए 1:50,000 पैमाने पर; प्रादेशिक जल क्षेत्र से परे अवीक्षण सर्वेक्षण (जी4) चरण के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 1:3,00,000 पैमाने पर; प्रारंभिक खोज (जी3) चरण के लिए 1:50,000 या बड़े पैमाने पर; सामान्य खोज (जी2) चरण के लिए 1:10,000 या बड़े पैमाने पर; विस्तृत खोज (जी1) चरण के लिए 1:5,000 या बड़े पैमाने पर। आम तौर पर, मानचित्रण के इस चरण में गहराई मापन, सब-बॉटम प्रोफाइलिंग और/या उथले भूकंपीय प्रोफाइलिंग, व्यापक अंतराल पर समुद्र तल की सतह का नमूना लेना, उप-समुद्र तल की सीमित कोरिंग/ड्रिलिंग, जल नमूना लेना, चयनित स्थानों (जी4) चरण में अवीक्षण सर्वेक्षण में वर्तमान माप; (जी4) चरण के परिणामों के आधार पर प्रारंभिक खोज (जी3) चरण में कम अंतराल के साथ सर्वेक्षण के सभी या कुछ तरीकों की गहनता; मल्टीबीम गहराई मापन /स्वैथ गहराई मापन, कम अंतराल पर सब-बॉटम प्रोफाइलिंग या उथले भूकंपीय प्रोफाइलिंग, बहुत कम अंतराल पर समुद्र तल की गहन कोरिंग या उथली ड्रिलिंग, बल्क नमूना लेना, प्रयोगशाला सज्जीकरण अध्ययन, जल नमूना लेना, सामान्य खोज (जी2) चरण में लक्ष्य क्षेत्रों में वर्तमान अध्ययन; विस्तृत संवेदी अध्ययनों के साथ बहुत करीब से, गहन जांच, विस्तृत खोज (जी1) चरण में बेंच स्तर सज्जीकरण।

2.	**तकनीकी:** समुद्र तल पर स्थित स्थानों से उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके खोज और नमूनाकरण। खनिज समृद्ध निकायों और इसकी पार्श्व और ऊर्ध्वाधर निरंतरता के साक्ष्य को सिद्ध करने के लिए नमूनाकरण स्थानों को उपयुक्त रूप से (जहां तक संभव हो ग्रिड पैटर्न में और समुद्र तल की आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं के आधार पर संशोधित किया जा सकता है) स्थान दिया गया है। अधिक ब्यौरा के लिए अनुसूची के भाग-3 को उल्लिखित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो, अवीक्षण सर्वेक्षण (जी4) चरण के लिए समुद्र तल से नमूना आंकड़ा का उपयोग संसाधनों के आकलन के लिए किया जा सकता है। खनिजीकरण की गहन निरंतरता को उस गहराई तक सीमित माना जा सकता है, जहां तक खनिजीकरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य सिद्ध होता है। संसाधन मूल्यांकन के लिए विचार किया जाने वाला पार्श्व विस्तार भूवैज्ञानिक विचारों पर निर्भर करेगा, जो मानचित्रण या अन्य माध्यमों के माध्यम से भूवैज्ञानिक निरंतरता द्वारा पूरित होगा और किसी भी मामले में जांच बिंदुओं के ग्रिड अंतराल के 50% से अधिक नहीं होगा। पृथक नमूनों और विश्लेषण जैसी चयनित सूचना के आधार पर निर्धारण की सिफारिश नहीं की जाती है।
3.	**नमूनाकरण और उप-नमूनाकरण:** (क) व्यवस्थित रूप से व्यापक अंतराल पर ग्रैब नमूनाकरण, सीमित कोर नमूनाकरण और अवीक्षण चरण के लिए कोर नमूनों से उप-नमूने। (ख)भूवैज्ञानिक मूल्यांकन के अन्य चरणों के लिए भूवैज्ञानिक और ग्रेड निरंतरता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त निकटता से लगाए गए कोर नमूनों और सीमित ड्रिल कोर से व्यवस्थित नमूनाकरण। (ग) नियमित अंतराल पर तलछट कोर का भूवैज्ञानिक लॉगिंग और नमूनाकरण, अधिमानतः पूरे कोर के लिए 1 मीटर या उससे कम। (घ) अपतट अशांत परिस्थितियों में ड्रिलिंग अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोग की जाने वाली तकनीक सामान्य रूप से समुद्र की स्थिति और मौसम के अनुसार मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगी। कोर रिकवरी ड्रिलिंग उपस्कर और फ्लोटिंग प्लेटफ़ॉर्म की स्थिरता पर निर्भर करती है। (ड.) प्रतिनिधि खोज नमूने, सतह के नमूने, कोर को भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाएगा।
4.	**प्रयोगशाला परीक्षण:** तलछट और जल के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण।
5.	**तलछट विज्ञान, शैल विज्ञान और खनिज विज्ञान अध्ययन:** तलछट कण के आकार, तलछट के प्रकार, बनावट और मौजूद खनिजों और उनके संयोजन का पता लगाना।
6.	**थोक घनत्व अध्ययन:** थोक घनत्व, छिद्रण, कतरनी शक्ति, तरलता, संघनन आदि को चयनित नमूनों के लिए भू-तकनीकी गुणों और ढलान स्थिरता के लिए मानक तरीकों से मापा जाना चाहिए।
7.	**सज्जीकरण अध्ययन के लिए थोक नमूनाकरण:** प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए यदि आवश्यक हो तो थोक नमूनाकरण।
8.	**समुद्री पर्यावरणीय सेटिंग:** धारा, लहर, शोर का स्तर, सतह और उप-सतह तलछट में मौजूद हानिकारक तत्व (यदि कोई हो), समुद्री जल की गुणवत्ता, निलंबित ठोस पदार्थ, कुल घुलित ठोस (टीडीएस), लवणता, तापमान, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), समुद्री जीव आदि के बारे में ब्यौरा और पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य आंकड़ा जांच के जी 2 चरण में लिया जा सकता है।

9.	भू-तकनीकी और ढलान स्थिरता अध्ययन **सहित कोई अन्य आंकड़ा जो सुसंगत हो सकता है।**

भाग 3
विभिन्न प्रकार के निक्षेपों और खनिजों के लिए खोज मानदंड

निक्षेप का प्रकार और प्रमुख खनिज

I. **समुद्रतटीय रेत खनिज** (समुद्रतल तलछट जिसमें इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, सिलिमेनाइट, गार्नेट, मोनाजाइट, जिरकोन, रूटाइल, ल्यूकोक्सीन जैसे आर्थिक रूप से भारी खनिजों की मात्रा पाई जाती है, और अन्य आर्थिक रूप से खनन योग्य भारी खनिज जो महाद्वीपीय शेल्फ पर व्यापक निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं)।

जी4 चरण	**जी3 चरण**	**जी2 चरण**	**जी1 चरण**
(क) 1:50,000 स्केल में गहराई माप मानचित्र, जिसे उचित अंतराल पर सिंगल बीम इको साउंडर या स्पॉट डेप्थ मापन और टाई लाइनों के साथ तैयार किया गया हो (ख) ब्लॉक में एक या एक से अधिक उथले भूकंपीय प्रोफाइल या उप तल प्रोफाइलर जो उपसतह तलछटी इकाइयों/चट्टानों के विन्यास को दर्शाते हैं, 1: 50,000 के क्षैतिज पैमाने और 1:10,000 के ऊर्ध्वाधर पैमाने पर प्रस्तुत किए जाते हैं। (ग) 5 x 5 किमी ग्रिड स्पेसिंग पर ग्रैब या किसी अन्य उपस्कर का उपयोग करके समुद्र तल का नमूना लेना। (घ) विभिन्न खनिज घटकों, उनके आकार, सीमा और सामग्री (भार, थोक नमूने में प्रतिशत), उपस्थिति की प्रकृति आदि की पहचान करने के लिए नमूने का तलछटीय या शैलविज्ञान और खनिज विज्ञान विश्लेषण। (ङ) यह निर्धारित करने के	500 मीटर या उससे कम अंतराल पर एकल बीम इको साउन्डर माप के साथ 1:50,000 पैमाने पर गहराई माप मानचित्र तैयार किया गया तथा उचित अंतराल पर टाई लाइनें बनाई गईं। ब्लॉक में उथली भूकंपीय प्रोफाइल या उप तल प्रोफाइलर, जो 2 किमी के अंतराल पर उपसतह तलछटी इकाइयों या चट्टानों की स्थिति को दर्शाती है, 1:50,000 के क्षैतिज पैमाने और 1:10,000 के ऊर्ध्वाधर पैमाने पर प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त कोरर या किसी अन्य युक्ति का उपयोग करके 2 कि.मी. x 2 किमी ग्रिड स्पेसिंग पर कम से कम 4 मीटर की गहराई तक या खनिजकरण की गहराई तक, जो भी कम हो, समुद्र तल का नमूना लेना।	आसन्न लाइनों के बीच 50% साइड ओवरलैप के साथ निर्बाध कवरेज के साथ मल्टीबीम गहराई माप सर्वेक्षण। 1:5,000 स्केल में मल्टीबीम गहराई माप मानचित्र, एमबीईएस (मल्टी बीम इको साउंडर) बैकस्कैटर आंकड़ा के साथ चित्र भी प्रस्तुत किए जाने हैं। ब्लॉक में उथली भूकंपीय प्रोफाइल या उप तल प्रोफाइलर, जो 1 किमी के अंतराल पर उपसतह तलछटी इकाइयों या चट्टानों की स्थिति को दर्शाती है, 1:5,000 के क्षैतिज पैमाने और 1:1,000 के ऊर्ध्वाधर पैमाने पर प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त कोरर या किसी अन्य उपस्कर का उपयोग करके 1,000 मीटर x 1,000 मीटर ग्रिड स्पेसिंग पर कम से कम 6 मीटर की गहराई तक या खनिजकरण की गहराई तक, जो भी कम हो, समुद्र तल तलछट या चट्टान का नमूना लेना।	आसन्न लाइनों के बीच 50% साइड ओवरलैप के साथ निर्बाध कवरेज के साथ मल्टीबीम गहराई माप सर्वेक्षण। 1:2,500 स्केल में मल्टीबीम गहराई माप मानचित्र। एमबीईएस बैकस्कैटर आंकड़ा वाली छवियां भी प्रस्तुत की जानी हैं। ब्लॉक में उथली भूकंपीय प्रोफाइल या उप तल प्रोफाइलर, जो 500 मीटर के अंतराल पर उपसतह तलछटी इकाइयों या चट्टानों की स्थिति को दर्शाता है, 1:2,500 के क्षैतिज पैमाने और 1:500 के ऊर्ध्वाधर पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त कोरर या किसी अन्य उपस्कर का उपयोग करके 500 X 500 मीटर ग्रिड स्पेसिंग पर कम से कम 6 मीटर की गहराई तक या खनिजकरण की गहराई तक, जो भी कम हो, समुद्र तल तलछट या चट्टान का नमूना लेना। कोर नमूनों को ऊपर से 1

लिए कि क्या तलछट इस श्रेणी में आती है, प्रमुख ऑक्साइड और ट्रेस तत्वों या दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के लिए थोक तलछट/चट्टान का रासायनिक विश्लेषण। (च) सर्वेक्षण क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों की पहचान करने और आगे खोज के लिए उनके संभावित स्थानों की पहचान करने के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का संश्लेषण। (छ) उपरोक्तानुसार कार्यकलाप या प्रारंभिक खोज (जी3) चरण के लिए अपेक्षित कार्यकलापों से कम।	कोर नमूनों को ऊपर से 1 मीटर के अंतराल में विभाजित किया जाना है। तलछट/चट्टान का तलछट विज्ञान या शैल विज्ञान और खनिज विज्ञान संबंधी विश्लेषण, जिससे विभिन्न खनिज घटकों, उनके आकार, सीमा और सामग्री (थोक नमूने में भार प्रतिशत), उपस्थिति की प्रकृति आदि की पहचान की जा सके। यह निर्धारित करने के लिए कि तलछट इस श्रेणी में आती है या नहीं, प्रमुख ऑक्साइड और ट्रेस तत्वों या दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए थोक तलछट या चट्टान का रासायनिक विश्लेषण। सर्वेक्षण क्षेत्र में मौजूद खनिजों की प्रकृति और मात्रा या ग्रेड की व्याख्या करने के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का संश्लेषण। सामान्य खोज (जी2) चरण के लिए आवश्यक कार्यकलापों के समान या उससे कम।	कोर नमूनों को ऊपर से 1 मीटर के अंतराल में विभाजित किया जाना है। तलछट या चट्टान का तलछट विज्ञान या शैल विज्ञान और खनिज विज्ञान संबंधी विश्लेषण, जिससे विभिन्न खनिज घटकों, उनके आकार, तलछट के प्रकार और सामग्री (थोक नमूने में भार प्रतिशत), उपस्थिति की प्रकृति आदि की पहचान की जा सके। खनिज की संरचना और उसके आर्थिक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए थोक तलछट या चट्टान और आर्थिक महत्व के घटक खनिजों का रासायनिक विश्लेषण। रुचिकर खनिज या धातु की मात्रा का आकलन करने के लिए तलछट या चट्टान का प्रयोगशाला पैमाने पर सज्जीकरण अध्ययन। सर्वेक्षण क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों की पहचान करने और आगे खोज के लिए उनके संभावित स्थानों की पहचान करने के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का संश्लेषण। विस्तृत खोज (जी1) चरण के लिए उपरोक्त या उससे कम कार्यकलाप आवश्यक हैं। नमूनों का विश्लेषण, खोजात्मक उत्पादन और प्रारंभिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।	मीटर के अंतराल में विभाजित किया जाना है। तलछट या चट्टान का तलछट विज्ञान या शैल विज्ञान और खनिज विज्ञान संबंधी विश्लेषण, जिससे विभिन्न खनिज घटकों, उनके आकार, तलछट के प्रकार और सामग्री (थोक नमूने में भार प्रतिशत), उपस्थिति की प्रकृति आदि की पहचान की जा सके। खनिज की संरचना और उसके आर्थिक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए थोक तलछट या चट्टान और आर्थिक महत्व के घटक खनिजों का रासायनिक विश्लेषण। रुचिकर खनिज या धातु की मात्रा का आकलन करने के लिए तलछट या चट्टान का प्रयोगशाला पैमाने पर सज्जीकरण अध्ययन। उपस्थित खनिजों की प्रकृति और मात्रा या ग्रेड की व्याख्या करने के लिए सभी उपलब्ध आंकड़ों का संश्लेषण।

भाग 4
खनिज संसाधनों की रिपोर्टिंग

भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट के लिए मानक टेम्पलेट जो पूर्व-साध्यता या साध्यता रिपोर्ट का भी एक भाग होगा

1. खनिज संसाधनों के आकलन और रिपोर्टिंग के लिए प्रौद्योगिकीय, जिसमें समुद्री भू-भौतिकीय, भू-रासायनिक, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, समुद्री पर्यावरण और प्रौद्योगिकीय अध्ययन के माध्यम से की गई खोज, नमूनाकरण और परीक्षण के सभी आंकड़ों को एकीकृत किया जाएगा तथा संसाधनों का निर्धारण करने के लिए खोज के प्रत्येक चरण यानी जी4 से जी1 तक के लिए एक भू-वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

2. खनिज संसाधन निर्धारण साधारणतया एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें बहु-विषयक दृष्टिकोण अंतर्वलित होता है। यह अपेक्षा की जाती है कि रिपोर्ट तैयार करने के प्रत्येक भाग में सम्मिलित व्यष्टिकों या विषय वस्तु विशेषज्ञों को रिपोर्ट में उचित अभिस्वीकृति के साथ उस भाग के लिए सम्यक् श्रेय दिया जाए और साथ ही, वे उस भाग की सटीकता और प्रामाणिकता के बारे में उचित उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हों। तथापि, रिपोर्ट की अंतिम जिम्मेदारी प्रमुख विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह के पास होगी, जो रिपोर्ट के सभी भागों की उचित परिश्रम के बाद संसाधनों और भंडारों के अंतिम अनुमान पर पहुंचे हैं और संसाधन अनुमानों पर पहुंचने में अपनाई गई पद्धति और प्रक्रियाओं के बारे में आश्वस्त हैं। रिपोर्ट के लिए अंतिम उत्तरदायित्व लेने वाले इन विशेषज्ञों को अर्हित व्यक्ति कहा जाएगा और वे अपनी साख के साथ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट को प्रमाणित करेंगे।

क्र. सं.		रिपोर्टिंग के मापदंडों सहित मानदंड
1.		**कार्यकारी सारांश**
	(i)	कार्यकारी सारांश में खनिज भंडार के स्थान, खनिज जांच का प्रयोजन और खोज के चरण, संक्षिप्त भू-विज्ञान, खनिजीकरण, नमूना बिंदुओं के बीच अंतर के साथ खोज की योजना, खोज की गहराई और क्या खनिजीकरण प्रत्यक्ष अस्तित्व की गहराई से आगे तक फैला हुआ है, के बारे में ब्यौरा सम्मिलित होंगे। विभिन्न वर्गों के अधीन ग्रेड और गुणवत्ता के साथ पहचाने गए संसाधनों की मात्रा सहित खोज अध्ययनों का परिणाम।
	(ii)	इस सारांश में, वर्तमान प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, सामाजिक और बाजार स्थितियों के आधार पर भंडार के उत्पादन की अनुकूलता सहित भंडार के लिए भविष्य की योजना या रणनीति से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां भी सम्मिलित होंगी।
2.	(i)	**अर्हित व्यक्ति(व्यक्तियों) या खोज अभिकरण का ब्यौरा** (रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सभी अर्हित व्यक्तियों के लिए अलग से उपलब्ध कराया जाएगा) (क) नाम (ख) पता (ग) संपर्क मोबाइल नं. (घ) ईमेल आईडी (ङ) अर्हता (च) अनुभव (छ) सहबद्धता किसी संगठन/कंपनी को, यदि हां, तो संगठन या कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें

	(ii)	संसाधनों और भंडारों की खोज के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं से जुड़े व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव का ब्यौरा।
3.		**शीर्षक और स्वामित्व**
	(i)	संक्रिया संबंधी अधिकार के धारक का नाम
	(ii)	पता
	(iii)	टेलीफ़ोन नं.
	(iv)	ईमेल आईडी
	(v)	संक्रिया संबंधी अधिकार की अवधि का ब्यौरा, यदि कोई हो:
	(vi)	अनुज्ञप्ति या पट्टे की दशा में
		(क) अनुदान की तारीख (ख) निष्पादन की तारीख (ग) अनुज्ञप्ति या पट्टे की अवधि (घ) पूर्ण होने की तारीख
4.		**अध्ययनाधीन क्षेत्र का ब्यौरा**
	(i)	तट या समुद्र
	(ii)	अपतट क्षेत्र
	(iii)	निकटतम तटीय स्थान
	(iv)	क्षेत्रफल वर्ग किमी में
	(v)	पानी की गहराई (मीटर में)
	(vi)	निकटतम बंदरगाह या पत्तन
	(vii)	भूमि पर निकटतम प्रमुख रेल हेड
	(viii)	निकटतम विमानपत्तन
	(ix)	क्षेत्र के निकटवर्ती गांव(गांवों) या एनएचओ (नौसेना हाइड्रो ग्राफिक कार्यालय) चार्ट संख्या का नाम, क्षेत्र के सभी कोने बिंदुओं के विभेदक वैश्विक स्थिति प्रणाली (डीजीपीएस) निर्देशांक और अक्षांश और देशांतर (डिग्री मिनट सेकंड) में नमूना बिंदु रुपविधान डब्ल्यूजीएस-84 आंकड़ा
	(x)	जांच के अधीन या अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन अनुदत्त खनिज जिनके लिए आवेदन किया गया है
5.		**समुद्रतल की आकृति विज्ञान, कनेक्टिविटी और जनसांख्यिकी आंकड़ा** *(क्षेत्र और निकटवर्ती तट से आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे)*
	(i)	न्यूनतम और अधिकतम जल गहराई वाले क्षेत्र या समुद्र तल की राहत।
	(ii)	समुद्र तल का बायोटोप मानचित्र जिसमें महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थिति तंत्रों जैसे मूंगा, समुद्री घास आदि (यदि कोई हो) को दर्शाया गया हो।
	(iii)	क्षेत्र में वाणिज्यिक मछली पकड़ने के स्थान, यदि कोई हों।
	(iv)	तट पथ और क्षेत्र में वनस्पति और जीव।
	(v)	जल निकाय जैसे नदी, नाला, झरना आदि जो आस-पास के क्षेत्र में समुद्र से मिलते हैं।

IndiaCode

	(vi)	तटीय क्षेत्र के साथ की जलवायु परिस्थितियां : (क) तापमान (वार्षिक) न्यूनतम__ अधिकतम__ औसत__ (ख) वर्षा (वार्षिक) न्यूनतम__ अधिकतम__ औसत__ (ग) आर्द्रता (वार्षिक) न्यूनतम__ अधिकतम__ औसत__
	(vii)	कोई अन्य भू-आकृति, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक जो परियोजना की व्यवहार्यता और संसाधनों और भंडारों के निर्धारण को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो।
6.		**अवसंरचना**
		क्षेत्र के आस-पास की स्थानीय अवसंरचना जिसमें सड़कें, रेलवे, पत्तन सुविधाएं, मत्स्य पालन, बंदरगाह, बिजली, पानी आदि सम्मिलित हैं। क्षेत्र में आस-पास के उद्योगों का ब्यौरा जो खनन किए जाने वाले खनिज पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं।
7.		**भू-विज्ञान**
	(i)	क्षेत्र की संक्षिप्त क्षेत्रीय भू-आकृति विज्ञान या समुद्रतल आकृति विज्ञान, जिसमें व्यापक भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक ढांचे की रूपरेखा दी गई हो।
	(ii)	खनिजीकरण की शैली और जांच के अधीन खनिजों के आधार पर जमा के प्रकार पर चर्चा। खोज के चरण के अनुरूप नमूना बिंदुओं की दूरी और खोज की गहराई सहित सुझाई गई खोज या उत्पादन योजना।
8.		**पूर्व में की गई खोज**
	(i)	क्षेत्र की खोज में सम्मिलित संक्रिया संबंधी अधिकार धारक का नाम और पता, खोज का वर्ष और अवधि (यदि एक से अधिक अभिकरण सम्मिलित हैं तो प्रत्येक अभिकरण के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाए)।
	(ii)	की गई खोज का संक्षिप्त ब्यौरा (प्रत्येक अभिकरण के लिए अलग से दिया जाएगा)।
	(iii)	पिछले खोज अभियान के दौरान अनुमानित भंडार या संसाधन, यदि कोई हो, विभिन्न प्रवर्गों के अधीन मात्रा और श्रेणी के साथ।
9.		**समुद्री भू-भौतिकीय या भू-रासायनिक आंकड़ा**
		किए गए समुद्री भूभौतिकीय और भू-रासायनिक सर्वेक्षण और उनके परिणामों का ब्यौरा।
10.		**अब तक की गई खोज**
	(i)	भौगोलिक निर्देशांकों के साथ नमूना बिंदुओं (सतह और उप-सतह) का ब्यौरा।
	(ii)	**खोज के परिणामों की रिपोर्टिंग के लिए आंकड़ा स्पेसिंग:** क्या आंकड़ा स्पेसिंग और वितरण, खनिज संसाधन आकलन प्रक्रिया (प्रक्रियाओं) और लागू वर्गीकरण के लिए उपयुक्त भू-वैज्ञानिक और ग्रेड निरंतरता की डिग्री स्थापित करने के लिए पर्याप्त है।
11.		**आंकड़ा बिंदु का अवस्थान**
		खनिज संसाधन आकलन में प्रयुक्त नमूना बिंदुओं के निर्देशांक अवधारित करने के लिए प्रयुक्त सर्वेक्षणों, गहराई माप सर्वेक्षणों और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों की सटीकता और गुणवत्ता।
12.		**नमूनाकरण तकनीक**
	(i)	नमूनाकरण की प्रकृति और गुणवत्ता (ग्रैब, कोर या ड्रिल कोर और जल नमूनाकरण) तथा नमूना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम।

13.		**कोरिंग तकनीक और कोर नमूनाकरण का उपयोग**
	(i)	कोरर का प्रकार [जैसे कोर, ग्रेविटी कोरर (ग्रेविटी कोर), वाइब्रोकोरर (वाइब्रोकोर), पिस्टन कोरर (पिस्टन कोर), बॉक्स कोरर (बॉक्स कोर), स्पेड कोरर (स्पेड कोर) आदि] और ब्यौरा (जैसे कोर व्यास, कोर लंबाई)।
	(ii)	लॉगिंग - क्या उचित खनिज संसाधन आकलन, खनन अध्ययन और धातुकर्म अध्ययन का समर्थन करने के लिए कोर को विस्तार के स्तर तक लॉग किया गया है।
14.		**उप-नमूनाकरण तकनीक और नमूना तैयारी**
	(i)	(क) यदि कोर है, तो क्या काटा गया है या आरी से काटा गया है और क्या चौथाई, आधा या सभी कोर लिए गए नमूना गीला या सूखा लिया गया है। (ख) सभी प्रकार के नमूनों के लिए नमूना तैयार करने की तकनीक की प्रकृति, गुणवत्ता और उपयुक्तता।
	(ii)	नमूनों के प्रतिनिधित्व को अधिकतम करने के लिए सभी उप-नमूनाकरण चरणों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं अपनाई गईं।
	(iii)	यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए कि नमूना एकत्रित की गई सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है।
	(iv)	क्या नमूने का आकार नमूना ली जाने वाली सामग्री के दाने के आकार के लिए उपयुक्त है।
15.		**खनिज विश्लेषण, शैलविज्ञान अध्ययन और अवसाद विज्ञान विश्लेषण**
		(क) खनिज विज्ञान के अध्ययन की पद्धति। (ख) अपनाई गई गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की प्रकृति (जैसे मानक, रिक्त स्थान, अनुलिपि, बाहरी प्रयोगशाला जांच) और क्या सटीकता (अर्थात पूर्वाग्रह की कमी) और परिशुद्धता के स्वीकार्य स्तर स्थापित किए गए हैं। (ग) नमूनों की सुरक्षा और नियंत्रण श्रृंखला का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
16.		**यथा अपेक्षित सज्जीकरण अध्ययन**
		प्रयोगशाला स्तर पर किए गए सज्जीकरण अध्ययनों का ब्यौरा जिसमें बेंच स्केल सम्मिलित है, जिसमें खोजे गए खनिज उत्पाद की इष्टतम प्राप्ति के लिए तकनीकी कारकों को समझने और सुझाव देने के लिए बल्क सैंपलिंग परीक्षण सम्मिलित हैं, तलछट में उपलब्ध किसी भी अतिरिक्त उप-उत्पाद या सह-उत्पाद पर भी चर्चा की जाएगी। उपज प्राप्ति कारकों के साथ विस्तृत प्रवाह पत्र पर चर्चा की जाएगी।
17.		**संसाधन आकलन तकनीकें**
	(i)	खनिजीकरण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंकड़ा घनत्व पर चर्चा और प्रयुक्त आकलन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त आंकड़ा बेस के संश्लेषण पर चर्चा।
	(ii)	आधारभूत समुद्री पारिस्थितिकी, बायोटॉप मानचित्र, समुद्री जीवन पर उत्पादन के संभावित प्रभाव और शमन उपायों पर चर्चा।
	(iii)	क्या अद्यतन संसाधनों के निर्धारण के लिए पिछली खोज के आंकड़ा का उपयोग किया गया है तथा उसे वर्तमान खोज के आंकड़ा के साथ एकीकृत किया गया है।
	(iv)	लागू की गई आकलन तकनीक (तकनीकों) की प्रकृति और उपयुक्तता तथा प्रमुख धारणाएं, जिनमें चरम ग्रेड मानों का उपचार, डोमेनिंग, इंटरपोलेशन मापदंड, आंकड़ा बिंदुओं से एक्सट्रापलेशन की अधिकतम दूरी सम्मिलित है।

	(v)	खनिज संसाधनों को विश्वस्त वर्गों में वर्गीकृत करने का आधार।
	(vi)	उप-उत्पादों की वसूली के संबंध में की गई धारणाएं।
	(vii)	टन भार और ग्रेड (अनुभाग, बहुभुज, व्युत्क्रम दूरी, भू-सांख्यिकीय, या अन्य विधि) का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त पद्धति और की गई धारणाओं का विस्तृत ब्यौरा।
	(viii)	भूविज्ञानी निर्वचन संसाधन आकलन के लिए कैसे प्रयुक्त थी, का ब्यौरा।
	(ix)	संसाधनों के आकलन के लिए किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की चर्चा की गई, सॉफ्टवेयर का नाम, उसका संस्करण और चुनी गई पद्धति, प्रयुक्त कार्यक्रमों और मापदंडों का ब्यौरा दिया गया।
	(x)	भू-सांख्यिकी पद्धतियां अत्यंत विविध हैं और उनका विस्तृत वर्णन किया जाना चाहिए। चुनी गई विधि को उचित ठहराया जाना चाहिए। वैरियोग्राम सहित भू-सांख्यिकी मापदंडों और भूवैज्ञानिक निर्वचन के साथ उनकी संगतता पर चर्चा की जानी चाहिए। समान भंडारों पर भू-सांख्यिकी लागू करने में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
	(xi)	सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट सहित प्रयुक्त आंकड़ा सत्यापन या विधिमान्यता प्रक्रियाएं।
18.		**संसाधनों की रिपोर्टिंग**
		विभिन्न वर्गों में संसाधनों की रिपोर्टिंग का आधार। वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड और पद्धति विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए ग्रेड के साथ मात्रा विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ग के अधीन औसत ग्रेड विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उपयुक्त मामलों के अधीन ग्रेड वार वर्गीकरण की भी रिपोर्ट की जानी चाहिए। सोने, कीमती धातुओं और आधार धातुओं जैसे धातु जमा के मामले में धातु की मात्रा विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए और संसाधनों का अनुमान विभिन्न कट ऑफ ग्रेड पर लगाया जाना चाहिए। वास्तविक अनुमानों से विश्वास स्तर का ख्याल रखने के लिए लागू किए गए कारक, यदि कोई हो, को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। अनुमानित, संकेतित और मापे गए संसाधनों को एक सारणी में उजागर किया जाना चाहिए।
19.		**सारांश और सिफारिशें**
	(i)	(क) खोज कार्य के परिणाम पर चर्चा जिसमें भंडार की प्रकृति, भंडार का आयाम, सामान्य संरचनात्मक प्रवृत्ति, घटना की गहराई और जिस गहराई तक खोज की गई है, खोज की गहराई से परे खनिजीकरण की निरंतरता की संभावना और भविष्य की खोज अवेक्षाएं, यदि कोई हों, का ब्यौरा दिया जाएगा। (ख) विभिन्न वर्गों के अधीन ग्रेड सहित अनुमानित संसाधन। (ग) वर्तमान प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, सामाजिक और बाजार स्थितियों के आधार पर आर्थिक निष्कर्षण की संभावना। (घ) जमा की आर्थिक निकासी में प्रत्याशित बाधाएं, यदि कोई हों।
	(ii)	आगे की खोज और उत्पादन के लिए भंडार हेतु सुझाई गई भविष्य की योजना या रणनीति पर चर्चा।
20.		**प्लेटें और मानचित्र**
	(i)	विरासत आंकड़ा के आधार पर परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्र की बैथिमेट्री को दर्शाने वाली क्षेत्र की स्थान योजना।

	(ii)	उपलब्ध विरासत आंकड़ा से आस-पास के क्षेत्र की समुद्र तल आकृति विज्ञान।
	(iii)	सतह तलछटी मानचित्र, गहराई माप मानचित्र, उचित पैमाने पर डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ विश्वसनीयता दिखाते हुए - सतह और कोर नमूनों के स्थान के वैश्विक निर्देशांक। यदि क्षेत्र या उसका हिस्सा पूर्व की खोज के अधीन कवर किया गया है, तो स्थान ब्यौरे के साथ इसे उचित पैमाने पर मानचित्र में दिखाया जाना चाहिए।
	(iv)	उपयुक्त अंतराल पर अनुप्रस्थ काट, लिथो-इकाइयों और खनिजीकरण के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण को दर्शाता है।
	(v)	परियोजना क्षेत्र के समुद्रतल का बायोटोप मानचित्र।
21.		**रिपोर्ट के उपाबंध या संलग्नक**
	(i)	रिपोर्ट में अनुमान के समर्थन में मानचित्र, अनुभाग, लॉग, विश्लेषण रिपोर्ट, फोटोग्राफ आदि सहित सभी सुसंगत आंकड़ा सम्मिलित होंगे।
	(ii)	संयुक्त अनुज्ञप्ति के मामले में, अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने, निष्पादन के सभी सुसंगत आदेश भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे।
22.		कोई अन्य जानकारी जो किसी प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में उपलब्ध हो या अपेक्षित हो।

IndiaCode

भाग 5
पूर्व-साध्यता और साध्यता रिपोर्ट की सामग्री

खनिज भंडारों के आकलन और रिपोर्टिंग के लिए पूर्व-साध्यता या साध्यता रिपोर्ट के लिए मानदंड (भू-वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट में सूचीबद्ध मानदंड भी इस टेम्पलेट का एक अभिन्न अंग होंगे)।

क्र. सं.	अंतर्वस्तु	स्पष्टीकरण
1.	खनिज रिज़र्व में संपरिवर्तन के लिए खनिज संसाधन आकलन	- खनिज संसाधन आकलन का ब्यौरा, जिसका उपयोग खनिज रिजर्व में संपरिवर्तन के लिए आधार के रूप में किया जाता है। - इस बारे में स्पष्ट ब्यौरा कि क्या खनिज संसाधनों की रिपोर्ट खनिज भंडार के अतिरिक्त है या उनमें सम्मिलित है। - खनिज संसाधनों को खनिज भंडार में परिवर्तित करने के लिए किए गए अध्ययन का प्रकार और स्तर अर्थात पूर्व- साध्यता/ साध्यता स्तर।
2.	कट-ऑफ ग्रेड या गुणवत्ता मापदंड	- अपनाए गए कट-ऑफ ग्रेड या लागू गुणवत्ता मापदंडों का आधार, जिसमें समतुल्य धातु सूत्रों और विनिर्दिष्ट सीमा मूल्यों का आधार, यदि उपयुक्त हो, सम्मिलित है।
3.	उत्पादन कारक या धारणाएं	- खनिज संसाधन को खनिज रिजर्व में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति और धारणाएं (अर्थात या तो अनुकूलन द्वारा उपयुक्त कारकों के अनुप्रयोग द्वारा या उत्पादन के लिए संकल्पनात्मक योजना के साथ समर्थित प्रारंभिक या ब्यौरेबद्ध डिज़ाइन द्वारा)। - चयनित उत्पादन पद्धति(पद्धतियों) की प्रकृति और उपयुक्तता

		का चुनाव, चयनित उत्पादन इकाई का आकार (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) और अन्य उत्पादन मापदंड जिसमें सहबद्ध डिजाइन मुद्दे जैसे प्री-स्ट्रिप, पहुंच आदि सम्मिलित हैं। - भू-तकनीकी मापदंडों (जैसे ढलान स्थिरता, आदि), ग्रेड नियंत्रण और उत्पादन-पूर्व ड्रेजिंग के बारे में की गई धारणाएं। - समुद्र तल की खोज, ड्रेजिंग (यदि उपयुक्त हो) के लिए की गई प्रमुख धारणाएं और उपयोग किए गए खनिज संसाधन मॉडल। - उत्पादन कमजोर पड़ने वाले कारक, उत्पादन पुनर्प्राप्ति कारक और उपयोग की गई न्यूनतम उत्पादन चौड़ाई। - चयनित उत्पादन पद्धतियों की अवसंरचना अपेक्षाएं। जहां उपलब्ध हो, निष्पादन मापदंडों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता।
4.	धातुकर्म संबंधी कारक या धारणाएं	- प्रस्तावित धातुकर्म प्रक्रिया और जमा के प्रकार के लिए उस प्रक्रिया की उपयुक्तता। - किए गए धातुकर्म परीक्षण कार्य की प्रकृति, मात्रा और प्रतिनिधित्व और लागू किए गए धातुकर्म पुनर्प्राप्ति कारक। - हानिकारक तत्वों के लिए की गई कोई भी धारणा या अनुमति। - किसी भी थोक नमूने या प्रायोगिक पैमाने पर परीक्षण कार्य का अस्तित्व और इस तरह के नमूने किस हद तक अयस्क निकाय के समग्र रूप से प्रतिनिधि हैं। - खनिज भंडार के लिए रिपोर्ट किए गए टन भार और ग्रेड में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि क्या ये संयंत्र के लिए सामग्री के संबंध में हैं या पुनर्प्राप्ति के बाद। - प्रतिस्थापन और बचाव मूल्य के संकेत सहित विद्यमान संयंत्र और उपस्करों पर टिप्पणी।
5.	लागत और राजस्व कारक	- संभावित पूंजी और संक्रिया संबंधी लागत के बारे में व्युत्पन्न, या की गई धारणाएं। - हेड ग्रेड, धातु या खनिज पदार्थ मूल्य (मूल्यों) विनिमय दरों, परिवहन और उपचार प्रभार, शास्ति आदि सहित राजस्व के संबंध में की गई धारणाएं। - संदर्भ स्वामिस्व के लिए किए गए भत्ते। - कथित अवधि के लिए मूल नकदी प्रवाह इनपुट। - वार्षिक नियोजित उत्पादन, जमा का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) और आंतरिक दर प्रतिफल (आईआरआर), वार्षिक अनुमानित उत्पादन के आधार पर जमा का आंतरिक मूल्य।
6.	बाजार निर्धारण	- किसी विशिष्ट वस्तु की मांग, आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति, उपभोग के रुझान और भविष्य में आपूर्ति और मांग को प्रभावित

		करने वाले संभावित कारक। - उत्पाद के लिए संभावित मार्केट विंडो की पहचान के साथ-साथ ग्राहक और प्रतिस्पर्धा संबंधी विश्लेषण। - कीमत और मात्रा पूर्वानुमान और इन पूर्वानुमानों का आधार। - औद्योगिक खनिजों के लिए आपूर्ति अनुबंध से पहले ग्राहक विनिर्देशन, परीक्षण और स्वीकृति अपेक्षाएं।
7.	अन्य उपांतरित कारक	- किसी परियोजना की संभावित व्यवहार्यता और/या खनिज भंडार के आकलन और वर्गीकरण पर प्राकृतिक जोखिम, अवसंरचना, पर्यावरणीय, विधिक, विपणन, सामाजिक या सरकारी कारकों का प्रभाव, यदि कोई हो। - परियोजना की व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण शीर्षकों और अनुमोदनों की प्रास्थिति, जैसे उत्पादन पट्टे, उन्मोचन परमिट, सरकारी और कानूनी अनुमोदन। - प्रत्याशित दायित्वों के पर्यावरणीय ब्यौरा। खनिज अधिकारों और शीर्षकों की अवस्थान योजनाएं।
8.	वर्गीकरण	- खनिज भंडारों को विभिन्न विश्वास श्रेणियों में वर्गीकृत करने का आधार। - प्रस्तावित प्रारंभिक खान अभिकल्प/संकल्पनात्मक योजना के साथ ग्रेड-वार खनन योग्य मात्रा के आकलनों को अंतिम रूप देना, सभी आवश्यक अनुमोदन/संविदाओं की पुष्टि हो गई हो या उचित अपेक्षाएं हों कि सभी ऐसे अनुमोदन या संविदाएं युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर अभिप्राप्त कर लिए जाएंगे और इस प्रमाणीकरण के साथ कि आर्थिक व्यवहार्यता अल्पकालिक प्रतिकूल बाजार स्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होगी, के अधीन होगा, परंतु कि दीर्घकालिक पूर्वानुमान सकारात्मक रहें।
9.	खनिज सज्जीकरण और पर्यावरणीय संरक्षण	- उत्पादन, सज्जीकरण और अपशिष्ट निपटान के लिए संक्षिप्त कार्यप्रणाली। - उत्पादन, सज्जीकरण और अपशिष्ट निपटान के दौरान पर्यावरणीय संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का संक्षिप्त जानकारी। - समुद्री वनस्पतियों और जीवों सहित आधारभूत समुद्री पर्यावरणीय स्थिति, उत्पादन के संभावित प्रभावों और सुझाए गए शमन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा। - सभी प्रचालनो के लिए तकनीकी कार्मिको की उपलब्धता का ब्यौरा।
10.	अर्हित व्यक्ति से प्रमाण पत्र	नाम, तारीख और हस्ताक्षर।

IndiaCode

अनुसूची ख
[नियम 11(1)(क), 11(1)(ख) देखिए]

अनुज्ञप्ति क्षेत्र से हटाए जाने योग्य अयस्कों और खनिजों की अधिकतम मात्रा

वर्ग	खनिज	वह मात्राएं जो बिना किसी भुगतान के ले जाई जा सकती है	अधिकतम मात्रा जिसे स्वामिस्व का भुगतान करके ले जाया जा सकता है
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग – I	समुद्र तटीय रेत खनिज	5 टन	200 टन
वर्ग – II	अन्य सभी खनिज जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं	5 टन	200 टन

प्ररूप क
संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए निष्पादन प्रतिभूति रुपविधान
[नियम 6 (9) (ख) देखिए]

[बैंक की संदर्भ सं.]

[तारीख]

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

[पता]

जबकि

क [नाम], जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है या [कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में निगमित एक सरकारी कंपनी जिसकी निगमित पहचान सं. [आवेदक का सीआईएन] है या [निगम के क़ानून/विनियम अंत:स्थापित करें] के अधीन भारत में समस्यक रुप से निगमित एक निगम, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से अलग है] पर है (**आवेदक**) को [निष्पादन बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति की तारीख] ("समाप्ति तारीख") तक वैध निष्पादन प्रतिभूति के रूप में भारतीय मुद्रा [अंकों में] (भारतीय रुपये [शब्दों में]) के बराबर रकम के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभूति प्रदान करना अपेक्षित है।

ख निष्पादन प्रतिभूति भारत के राष्ट्रपति को, जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक प्राधिकारी (**केंद्रीय सरकार**) द्वारा किया जा रहा है, [मूल दस्तावेजों के संदर्भ में, अर्थात् संयुक्त अनुज्ञप्ति की खोज अनुज्ञप्ति विलेख] तारीख, [तारीख] [संयुक्त अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां] (सामूहिक रूप से **"करार"**) के संबंध में कतिपय बाध्यताओं के निर्वहन के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है।

ग हम, [बैंक का नाम] (**बैंक**) आवेदक के अनुरोध पर, इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर केंद्रीय सरकार से मांग पर करार के अधीन आवेदक की बाध्यताओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार को भारतीय मुद्रा [अंकों में] (भारतीय रुपये [शब्दों में]) (**प्रत्याभूति रकम**) के अनधिक रकम का भुगतान करने का वचन देते हैं।

IndiaCode

अब इसलिए**,** बैंक आवेदक की ओर से प्रत्याभूति रकम में केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अपरिवर्तनीय और बिना शर्त भुगतान बैंक प्रत्याभूति (**प्रत्याभूति**) जारी करता है:

1. इस प्रयोजन के लिए बैंक, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, चेतावनी, विरोध या सहारे के, केंद्रीय सरकार से प्रथम लिखित मांग प्राप्त होने पर, तुरन्त केंद्रीय सरकार को (एक या अधिक दावों के माध्यम से), कुल मिलाकर प्रत्याभूति राशि से अधिक नहीं (के बराबर), एक राशि या राशियों का भुगतान करने का बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से वचनबद्धता व्यक्त करता है, तथा इसमें विनिर्दिष्ट राशि के लिए ऐसी मांग के लिए केंद्रीय सरकार को बैंक के समक्ष आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, तथा भले ही केंद्रीय सरकार और आवेदक के बीच किसी भी मामले पर कोई विवाद या मतभेद हो। बैंक, केंद्रीय सरकार को इस प्रकार मांगी गई कोई भी धनराशि देने का वचन देता है, भले ही आवेदक द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद या विवाद उत्पन्न हो, इस के अधीन बैंक का दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है।

2. बैंक यह स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग, करार के अधीन आवेदक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकमों के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इस प्रकार आवेदक से उक्त रकम या उसके किसी भाग की मांग करने की केंद्रीय सरकार की आवश्यकता को अधित्यक्त करता है तथा इस प्रत्याभूति के अधीन भुगतान के लिए बैंक को कोई लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले, आवेदक के विरुद्ध केंद्रीय सरकार से विधिक उपाय अपनाने की मांग करने के बैंक के किसी भी अधिकार को भी अधित्यक्त करता है।

4. बैंक बिना किसी शर्त के केंद्रीय सरकार से सहमत है कि केंद्रीय सरकार, बैंक की सहमति के बिना और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक के बाध्यताओं को किसी भी रीति में प्रभावित किए बिना, निम्नलिखित कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगी:-—

 (i) करार की शर्तों और निबंधनों में उपांतरण करना;
 (ii) करार के अधीन आवेदक की बाध्यताओं के निष्पादन के लिए समय को स्थगित करना, या
 (iii) करार की शर्तों और निबंधनों के अधीन आवेदक के विरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार को रोकना या लागू करना,

 और बैंक को केंद्रीय सरकार की ओर से किसी ऐसे कार्य या चूक के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक को दी गई किसी रियायत या अन्य किसी कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो प्रतिभूतियों से संबंधित विधि के अधीन, यदि यह उपबंध न होता, तो बैंक को इस प्रत्याभूति के अधीन अपनी बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव डालता।

5. इसके अधीन किया गया कोई भी भुगतान किसी भी प्रकृति के वर्तमान या भविष्य के करों, उदग्रहणों, अधिरोपण, शुल्क, प्रभार, फीस, कमीशन, कटौती या रोक के लिए या उसके कारण कटौती के बिना मुक्त और स्पष्ट किया जाएगा।

6. बैंक इस बात से सहमत है कि केंद्रीय सरकार अपने विकल्प पर आवेदक के खिलाफ पहली बार कार्यवाही किए बिना, पहले उदाहरण में मुख्य देनदार के रूप में बैंक के खिलाफ इस प्रत्याभूति को लागू करने का हक होगा।

7. बैंक इस बात पर भी सहमत है कि इस प्रत्याभूति में अंतर्विष्ट प्रत्याभूति करार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में उक्त करार के अधीन या इसके आधार पर आवेदक के सभी बाध्यताओं का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों को केंद्रीय सरकार की संतुष्टि के अनुसार संतुष्ट या निर्वहन नहीं कर दिया जाता है या जब

तक कि केंद्रीय सरकार यह प्रमाणित नहीं कर देती है कि निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में करार की शर्तों और निबंधनों का आवेदक द्वारा पूरी तरह से और उचित रीति से पालन किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का निर्वहन करती है। इस प्रत्याभूति में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जब तक कि समाप्ति तारीख पर या उससे पहले बैंक पर लिखित रूप में इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, तब तक बैंक को इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया भुगतान, इसके अधीन भुगतान के लिए बैंक के दायित्व का वैध उन्मोचन होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे भुगतान के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकता।

9. यह प्रत्याभूति भारत की विधियों के अधीन है। इस प्रत्याभूति या इसके विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत में न्यायालयों के अनन्य अधिकारिता के अधीन होगी।

10. बैंक यह दर्शाता है कि उसके पास केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी करने का प्राधिकार और शक्ति है। बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण यह प्रत्याभूति व्यपगत नहीं होगी।

11. बैंक यह वचन देता है कि वह लिखित रूप में केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना इस प्रत्याभूति को इसके प्रचलन के दौरान वापिस नहीं लेगा।

12. केंद्रीय सरकार, बैंक को पूर्व सूचना देकर, इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार किसी अन्य विभाग, मंत्रालय या किसी सरकारी अभिकरण को सौंप सकती है, जो राष्ट्रपति के नाम पर कार्य कर सकती है। इस खंड में उपबंधित के सिवाय, यह प्रत्याभूति आवंटनीय या हस्तांतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी—

(a) इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं होगी।

(b) यह बैंक प्रत्याभूति समाप्ति तारीख तक वैध रहेगी।

14. बैंक इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूति रकम या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए केवल तभी उत्तरदायी होगा, जब केंद्रीय सरकार समाप्ति तारीख को या उससे पहले बैंक को लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करेगी।

तारीख [दिन] [मास] का दिन [वर्ष]

जिसके साक्ष्य स्वरूप बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं एवं मुहर लगा दी है।

(हस्ताक्षर)

(नाम एवं पदनाम)

(बैंक की मुहर)

IndiaCode

प्ररूप ख
खोज अनुज्ञप्ति विलेख का रुपविधान
[नियम 6 (12) (क) देखिए]

संयुक्त अनुज्ञप्ति ("अनुज्ञप्ति") अनुदत्त करने के लिए यह विलेख निम्नलिखित के द्वारा और बीच बनाया गया है:

पक्षकार

क. भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक प्राधिकारी (**"केंद्रीय सरकार"**) के माध्यम से कार्य करते हुए।

और

ख. [अनुज्ञप्तिधारी का नाम], जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है या एक [सरकारी कंपनी] जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में निगमित है, जिसकी निगमित पहचान सं. [सीआईएन] है या एक निगम जो भारत में [निगम के क़ानून/विनियम भरें] के अधीन समस्यक रुप से निगमित है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से अलग है] पर है (**"अनुज्ञप्तिधारी"**)।

पृष्ठभूमि:

ग. अनुज्ञप्तिधारी ने अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) (**"अधिनियम"**) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है और एक संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदत्त होने के लिए पात्र हो गया है।

घ. तदनुसार, केंद्रीय सरकार अब अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए इस विलेख को निष्पादित कर रही है, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की ओर से भुगतान, पालन और निष्पादन के लिए आरक्षित और अंतर्विष्ट फीस, स्वामिस्व, अनुबंध और करार सम्मिलित हैं।

1. **परिभाषाएं**

इस अनुज्ञप्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिया गया है।

2. **अनुज्ञप्ति अनुदत्त होना**

2.1. केंद्रीय सरकार (प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए) खोज संबंधी संक्रयाओ के संचालन के लिए निम्नलिखित खनिजों, [खनिजों का नाम] (**खनिज**) के संबंध में सम्यक रुप से, संयुक्त अनुज्ञप्ति के निष्पादित खोज अनुज्ञप्ति विलेख रजिस्ट्रीकृत है, को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुसूची-1 (**अनुज्ञप्ति क्षेत्र**) में वर्णित क्षेत्र पर अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति प्रदान करती है।

2.2. यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में या उसके अधीन स्थित, पड़े या मौजूद सभी खनिज भंडारों के संबंध में होगी।

2.3. अनुज्ञप्तिधारी स्वामिस्व का भुगतान करने तथा संदत्त किए जाने वाले अन्य अपेक्षित संदायों के अद्यावधीन रहते हुए और इसमें अंतर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं और करारों का पालन करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उसको अनुपालित तथा निष्पादित किया जाएगा, और वह पट्टा क्षेत्र के अधिकारों और परिसरो को इस प्रकार प्रदत्त अवधि के लिए तथा उसके दौरान केंद्रीय सरकार या

इसके अद्यीन अधिकार पूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के अविधिमान्य अवरोध के बिना शांतिपूर्वक धारण कर सकेगा।

3. **अधिकार और बाध्यताए**

3.1. केंद्रीय सरकार और अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार और दायित्व अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट होंगे, जिसमें बिना किसी परिसीमा के अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 और अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार तारीख [तारीख] सम्मिलित हैं।

3.2. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) अनुज्ञप्तिधारी,—

(i) हर समय अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) सहित वर्तमान में लागू सभी अन्य विधियों का अनुपालन करेगा;

(ii) स्वामिस्व और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रभार या अन्य भुगतान का शीघ्र भुगतान करेगा;

(iii) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई क्षति, चोट या अशांति के लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा और किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसी किसी भी क्षति, चोट या अशांति के संबंध में किए गए सभी दावों और उससे संबंधित सभी लागतों और व्ययों के विरुद्ध केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक प्राधिकरण और विभाग को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा;

(iv) खोज संबंधी संक्रियाओं से प्रभावित समुद्र तल के प्राकृतिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करेगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी उपाय सम्मिलित हो सकते हैं;

(v) इस अनुज्ञप्ति के अधीन संक्रिया संबंधी के क्रम में होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट अविलंब के नौवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को भेजेगा, जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचे या जीवन या संपत्ति को गंभीर रूप से प्रभावित या खतरा हो;

(vi) अनुज्ञप्ति क्षेत्र से प्राप्त सभी खनिजों को तौलेगा या मापेगा, या तुलवाएगा या माप करवाएगा तथा तथा प्रत्येक तौल या माप के लिए निदेशालय के प्रशासनिक प्राधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी को सात दिन की लिखित पूर्व सूचना देगा ताकि वह या उसके निमित कोई व्यक्ति वहां उपस्थित हो सके;

(vii) इस विलेख के संबंध में लागू स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभार का भुगतान करेगा;

(viii) अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करेगा और अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, इस विलेख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए खोज संबंधी संक्रिऐं संबंधी करेगा;

(ix) उचित, कुशल और कुशल कारीगरीपूर्ण रीति में खोज संबंधी संक्रियाओ को जारी रखेगा;

(x) अधिनियम की धारा 19क के अधीन बनाए गए नियमों और अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी निदेशों सहित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(xi) निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:—

(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट जिसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या बताई गई हो और अवधि के दौरान एकत्र किए गए भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय या अन्य संग्रहित आंकड़ों का पूरा खुलासा किया गया हो। रिपोर्ट उस तिमाही के समापन के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिससे यह संबंधित है;

(ख) वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कार्य का पूरा ब्यौरा हो तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन आने वाले क्षेत्र के भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में इस अनुज्ञप्ति के अधीन की गई संक्रियाओं के दौरान प्राप्त की गई सभी जानकारी का खुलासा हो। रिपोर्ट उस वर्ष की समाप्ति के बाद साठ दिनों की अवधि के भीतर संबंधित निदेशालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रशासनिक प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए को प्रस्तुत की जाएगी;

परन्तु, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि उपरोक्त खंड 3.2 (क) (xi) के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ों का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित प्राधिकारी प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ों के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा उचित समझा जाए:

परन्तु, यह और कि, केंद्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह और कि, यदि अनुज्ञप्तिधारी अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के नियम 7 के उप-नियम (7) में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसे व्यपगत करने पर या खोज संबंधी संक्रियाओं को छोड़ दिया जाता है या अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के नियम 6 के उप-नियम (19) के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र का अभ्यर्पण किया जाता है, जो भी पूर्वतर हो, उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और आंकड़ा केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे;

(xii) निष्पादन प्रतिभूति को वापस करने या किसी अन्य खाते में स्थानांतरित करने से पहले किसी भी समय, या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या समाप्ति के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, या खोज संबंधी संक्रियाओ को छोड़ दिया जाना, या अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संचालन अधिकार नियम, 2025 के नियम 6 के उप-नियम (19) के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र को सौंप दिया जाना, जो भी पूर्वतर हो,

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के बारे में इस अनुज्ञप्ति के अधीन की गईं खोज संबंधी संक्रियाओ के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित जानकारी का खुलासा करना होगा

परन्तु, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी यह विनिर्दिष्ट कर सकता है कि उपरोक्त खंड 3.2 (क) (xii) के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ा का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा और संबंधित प्राधिकारी प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे, जैसा उचित समझा जाए:

परन्तु यह और कि, केंद्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और आंकड़ों का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह भी कि, यदि अनुज्ञप्तिधारी अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के नियम 7 के उप-नियम (7) में निर्धारित समय अवधि के भीतर उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत उत्पादन पट्टे के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, या अनुज्ञप्ति की समाप्ति या उसे व्यपगत करने पर या खोज संबंधी संक्रियाओ को छोड़ दिया जाता है या अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रियाओ संबंधी अधिकार नियम, 2025 के नियम 6 के उप-नियम (19) के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र का अभ्यर्पण किया जाता है, जो भी पूर्वतर हो, उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और आंकड़ा केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति बन जाएंगे;

(xiii) यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रयोजन के लिए तैनात किए गए उपस्कर या जलयानों को इस प्रकार रखा, चिह्नित, सुसज्जित और प्रकाशित किया जाए कि पोत परिवहन के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो;

(xiv) यह सुनिश्चित करेगा कि नौवहन के प्रयोजनों के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग में किसी मार्गाधिकार में कोई हस्तक्षेप न किया जाए;

(xv) अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर खोज संबंधी संक्रियाओ से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट सहित ठोस या तरल अपशिष्ट का व्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उचित कदम उठाएगा और उपाय करेगा;

(xvi) यथास्थिति, समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री अभयारण्यों या किसी अन्य क्षेत्र सहित संरक्षित क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित उपाय करना, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

(xvii) किसी भी दूरसंचार केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट बिजली उप-स्टेशन, तेल प्लेटफार्म या पाइपलाइनों, पानी के नीचे के पुरातात्विक स्थलों, रक्षा प्रतिष्ठानों या किसी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई उत्पादन संक्रिया संबंधी नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा, सिवाय सक्षम प्राधिकारी और प्रशासनिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा इस

निमित, अधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अनुसार और उसके अधीन और उसके अनुसार और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी सुसंगत जलयान, संरचना या स्थापना के बाहरी किनारे से मापी जाएगी, जैसा भी लागू हो;

(ख) केंद्रीय सरकार को—

(i) हर समय किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने और उस पर स्वतंत्रता प्रदान करने या देने का अधिकार होगा, सिवाय उन सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए जिनके लिए अनुज्ञप्तिधारी को स्पष्ट रूप से एकमात्र अधिकार और अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, जिसमें बिना किसी परिसीमा के, अनुज्ञप्ति क्षेत्र में, उसके ऊपर या उसके माध्यम से ऐसे जलयानों, उपस्करों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और अन्य ऐसे उपस्करों को तैनात करना सम्मिलित है, जिन्हें किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन माना जाएगा, और अनुज्ञप्ति क्षेत्र से ऐसे पत्थर, मिट्टी या अन्य सामग्री प्राप्त करना जो ऐसे जलयानों, उपस्करों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और अन्य ऐसे उपस्करों की तैनाती, मरम्मत या रखरखाव के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो, सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे क्षेत्र से हर समय गुजरने और फिर से गुजरने के लिए और जैसा कि अवसर की आवश्यकता होगी।

(ii) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उपबंधित किसी भी निष्पादन प्रतिभूति को ऐसी निष्पादन प्रतिभूति के निबंधनों के अनुसार विनियोजित करने का अधिकार होगा और अनुज्ञप्तिधारक से निष्पादन प्रतिभूति की भरपाई करने की अपेक्षा करती है। यदि अनुज्ञप्ति की समाप्ति और अनुज्ञप्तिधारक के सभी बाध्यताओं की पूर्ति के पश्चात् निष्पादन प्रतिभूति, प्रतिभूति के माध्यम से प्रदान की गई है, तो ऐसी प्रतिभूति जमा रकम उचित कटौती के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारक को वापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा;

(iii) किसी कार्य या मामले को करने या निष्पादित करने का अधिकार होगा, जो उस निमित अनुबंधों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना है, लेकिन उस निमित विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया है या निष्पादित नहीं किया गया है, और अनुज्ञप्तिधारी केंद्रीय सरकार को मांग पर सभी व्ययों का भुगतान करेगा जो इसके कार्यान्वयन या निष्पादन में व्यय होंगे।

(iv) अपनी ओर से किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या व्यक्ति को अनुज्ञप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने और (i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज करने, खुदाई करने, निकालने और ले जाने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी; (ii) अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उपस्टेशनों को बिछाने या रखरखाव करने, मरम्मत करने या बदलने की शक्ति होगी; (iii) यथास्थिति, इन प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत, केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, ऐसे संयंत्र, प्रतिष्ठानों, पाइपलाइन, केबल, जलमार्ग, इंजन, मशीनरी और सुविधाओं को डुबाने, चलाने, खड़ा करने, निर्माण करने, रखरखाव करने और उपयोग करने की शक्ति होगी, जैसा आवश्यक समझा जाए:

परन्तु, ऐसी शक्ति के प्रयोग में इन उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों में कोई भौतिक बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित मुआवजा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है या असहमति की

स्थिति में, जैसा कि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है, का भुगतान किया जाएगा,—

(i) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण अनुज्ञप्तिधारी को हुई किसी हानि या क्षति के लिए;

(ii) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को हुई किसी हानि या क्षति के लिए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपूर्ति; तथा

(v) सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या प्रचालक को उक्त क्षेत्रों में प्रवेश करने और पाइपलाइन बिछाने या सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या प्रचालक द्वारा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के प्रयोजनों के लिए पंपिंग स्टेशन स्थापित करने की शक्ति प्रदान करने और हस्तांतरित करने का अधिकार होगा और अनुज्ञप्तिधारी किसी भी पेट्रोलियम संक्रिया संबंधी या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी भी संक्रिया संबंधी या अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऑपरेटर द्वारा किए जा रहे या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे अन्य प्रचालनों में बाधाओं या हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा।

3.3. यदि केंद्रीय सरकार किसी खनिज के संबंध में अपने अग्रक्रय के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छुक है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे खनिजों के औसत विक्रय कीमत का भुगतान करेगी, जैसा कि निदेशालय द्वारा प्रकाशित किया गया है और जो अग्रक्रय के समय प्रचलित होगा।

3.4. युद्ध या आपातकाल की स्थिति के होने की स्थिति में (जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति एकमात्र न्यायाधीश होंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निर्णायक सबूत होगी) केंद्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान हर समय (अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों को लिखित में नोटिस द्वारा प्रयोग किया जाने वाला) अनुज्ञप्ति क्षेत्र या इस अनुज्ञप्ति के अधीन संक्रिया के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के जलयानों, प्रतिष्ठानों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस्करों और परिसर को तुरंत कब्जे में लेने और नियंत्रण करने का अधिकार होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे जलयानों, प्रतिष्ठानों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस्करों, परिसरों और खनिजों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी निमित दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा, परन्तु उचित मुआवजा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा करार के चूक में अवधारित किया जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या परिणामस्वरूप उसके द्वारा उठाए गए सभी नुकसान या क्षति के लिए भुगतान किया जाएगा और परंतु यह भी कि ऐसी शक्ति का कोई भी प्रयोग उक्त अवधि को व्यपगत नहीं करेगा या इस खंड की शर्तों और उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।

3.5. अनुज्ञप्तिधारी को दिया जाने वाला प्रत्येक नोटिस लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे नामनिर्देशन की लिखित रूप में प्रशासनिक प्राधिकारी को सूचना दी जाएगी। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन में दर्शाए गए पते पर या

भारत में ऐसे अन्य पते पर जिसे अनुज्ञप्तिधारी अभिहित कर सकता है, अनुज्ञप्तिधारी को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और ऐसी प्रत्येक सेवा अनुज्ञप्तिधारी पर उचित और वैध सेवा मानी जाएगी और उसके द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा या उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

3.6. यदि किसी भी स्थिति में प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेशों को केंद्रीय सरकार द्वारा अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के अधीन कार्यवाहियों के अनुसरण में पुनरीक्षित, समीक्षा या रद्द कर दिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, इन उपबंधों द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।

4. **अनिवार्य बाध्यता**

4.1. इस खंड में "*अनिवार्य बाध्यता*" से दैवीय कृत्य, युद्ध, विद्रोह, दंगा, नागरिक उपद्रव, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वार की लहर, बाढ़, बिजली, विस्फोट, आग या कोई अन्य घटना अभिप्रेत है जिसे अनुज्ञप्तिधारी उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता।

4.2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा करने में विफलता से केंद्रीय सरकार को अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कोई दावा नहीं मिलेगा या इसे इस अनुज्ञप्ति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जहां तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी विफलता को *अनिवार्य बाध्यता* से उत्पन्न माना जाता है, और यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के किसी भी निबंधन और शर्त को पूरा करने में अनिवार्य बाध्यता से देरी होती है, तो ऐसी देरी की अवधि को इस अनुज्ञप्ति द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा।

4.3. प्रशासनिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार किसी भी रीति में, किसी भी *अनिवार्य बाध्यता* के घटित होने या अस्तित्व में आने से उत्पन्न होने वाली किसी हानि के लिए अनुज्ञप्तिधारी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी।

5. **शासित विधि**

इस अनुज्ञप्ति और इसके निर्वचन के सभी प्रश्नों का भारत में तत्समय प्रवृत विधि के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा। अधिनियम की धारा 28 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, इस विलेख के अधीन उद्भूत होने वाले विवादों पर नई दिल्ली की अदालतों की अनन्य रुप से अधिकारिता होगी।

जिसके साक्ष्य में [तारीख] को [स्थान के नाम] को प्रस्तुतियां निष्पादित की गई हैं।

अनुसूची 1 : संयुक्त अनुज्ञप्ति का क्षेत्र

(अक्षांश और देशांतर सहित, अपतट क्षेत्र का ब्यौरा उपबंधित किया जाना है।)

प्ररूप ग

उत्पादन पट्टे के लिए निष्पादन प्रतिभूति का रुपविद्यान

[नियम 7(9)(ख) देखिए]

[बैंक की संदर्भ सं.] **[तारीख]**

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

[पता]

जबकि

क. [नाम], जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है या [कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में निगमित एक सरकारी कंपनी जिसकी निगमित पहचान सं. [आवेदक का सीआईएन] है या [निगम के क़ानून/विनियम डालें] के अधीन भारत में सम्यक् रुप से निगमित एक निगम, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से अलग है] पर है (**आवेदक**) को [निष्पादन बैंक प्रत्याभूति की समाप्ति की तारीख] ("समाप्ति तारीख") तक वैध निष्पादन प्रतिभूति के रूप में भारतीय मुद्रा [अंकों में] (भारतीय रुपये [शब्दों में]) के बराबर रकम के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक प्रत्याभूति प्रदान करना आवश्यक है।

ख. निष्पादन प्रतिभूति भारत के राष्ट्रपति को, जिसका प्रतिनिधित्व प्रशासनिक प्राधिकारी (**केंद्रीय सरकार**) द्वारा किया जाता है, [मूल दस्तावेजों के संदर्भ में, अर्थात् उत्पादन पट्टा विलेख, अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार] तारीख, [तारीख] [उत्पादन पट्टे का ब्यौरा] (सामूहिक रूप से (**करार**) के संबंध में कतिपय बाध्यताओं के उन्मोचन के लिए उपबंधित किया जाना है।

ग. हम, [बैंक का नाम] (**बैंक**) आवेदक के अनुरोध पर, इसमें अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों पर केंद्रीय सरकार के मांग पर करार के अधीन आवेदक की बाध्यताओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार को भारतीय मुद्रा [अंकों में] (भारतीय रुपये [शब्दों में]) (**प्रत्याभूति रकम**) के अनधिक रकदम का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब इसलिए, बैंक आवेदक की ओर से प्रत्याभूति रकम में केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अपरिवर्तनीय और बिना शर्त भुगतान बैंक प्रत्याभूति (**प्रत्याभूति**) जारी करता है:

1. इस प्रयोजन के लिए बैंक, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, चेतावनी, विरोध या सहारे के, केंद्रीय सरकार से प्रथम लिखित मांग प्राप्त होने पर, तुरन्त केंद्रीय सरकार को (एक या अधिक दावों के माध्यम से) कुल मिलाकर प्रत्याभूति रकम से अधिक नहीं (के बराबर), एक राशि या राशियों का भुगतान करने का बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से वचनबद्धता व्यक्त करता है, तथा इसमें विनिर्दिष्ट राशि के लिए ऐसी मांग के लिए केंद्रीय सरकार को बैंक के समक्ष आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, तथा भले ही केंद्रीय सरकार और आवेदक के बीच किसी भी मामले पर कोई विवाद या मतभेद हो। बैंक केंद्रीय सरकार को इस प्रकार मांगी गई कोई भी धनराशि देने का वचन देता है, भले ही आवेदक द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई विवाद या विवाद उत्पन्न हो, इस वर्तमान प्रणाली के अधीन बैंक का दायित्व पूर्ण और स्पष्ट है।

2. बैंक यह स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकम के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग, करार के अधीन आवेदक द्वारा केंद्रीय सरकार को संदेय रकम के संबंध में अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इस प्रकार आवेदक से पूर्वोक्त रकम या उसके किसी भाग की मांग करने की केंद्रीय सरकार की आवश्यकता को अधित्यक्त करता है तथा इस प्रत्याभूति के अधीन भुगतान के लिए बैंक को कोई लिखित मांग प्रस्तुत करने से पहले आवेदक के विरुद्ध केंद्रीय सरकार से विधिक उपचार अपनाने की मांग करने के बैंक के किसी भी अधिकार को भी अधित्यक्त करता है।

4. बैंक बिना किसी शर्त के केंद्रीय सरकार से सहमत है कि केंद्रीय सरकार, बैंक की सहमति के बिना और इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक के दायित्व को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना, निम्नलिखित कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगी—
 i. करार की शर्तों और नियमों में उपांतरण करना;
 ii. करार के अधीन आवेदक के बाध्यताओं के निष्पादन के लिए समय को स्थगित करना, या

iii. करार की शर्तों और नियमों के अधीन आवेदक के विरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसी भी अधिकार को रोकना या लागू करना,

और बैंक को केंद्रीय सरकार की ओर से किसी ऐसे कार्य या चूक के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदक को दी गई किसी रियायत या अन्य किसी बात के कारण अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो प्रतिभूतियों से संबंधित विधि के अधीन, यदि यह उपबंध न होता, तो बैंक को इस प्रत्याभूति के अधीन अपने बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव डालता।

5. इसके अधीन किया गया कोई भी भुगतान किसी भी प्रकार के वर्तमान या भविष्य के करों, उद्ग्रहण, अधिरोपण, शुल्क, प्रभार, फीस, कमीशन, कटौती या रोक के लिए या उसके कारण कटौती के बिना मुक्त और स्पष्ट किया जाएगा।

6. बैंक इस बात से सहमत है कि केंद्रीय सरकार अपने विकल्प पर आवेदक के खिलाफ पहली बार कार्यवाही किए बिना, पहले उदाहरण में मुख्य देनदार के रूप में बैंक के खिलाफ इस प्रत्याभूति को लागू करने की हकदार होगी।

7. बैंक इस बात पर भी सहमत है कि इस प्रत्याभूति में अंतर्विष्ट प्रत्याभूति करार में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कि निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में उक्त करार के अधीन या इसके आधार पर आवेदक के सभी बाध्यताओं का पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उसके दावों को केंद्रीय सरकार की संतुष्टि के अनुसार संतुष्ट या उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है या जब तक कि केंद्रीय सरकार यह प्रमाणित नहीं कर देती है कि निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में करार की शर्तों और निबंधनों का आवेदक द्वारा पूरी तरह से और उचित रीति से पालन किया गया है और तदनुसार इस प्रत्याभूति का उन्मोचन करती है। इस प्रत्याभूति में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जब तक कि समाप्ति तारीख पर या उससे पहले बैंक पर लिखित रूप में इस प्रत्याभूति के अधीन कोई मांग या दावा नहीं किया जाता है, तब तक बैंक को इस प्रत्याभूति के अधीन सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा।

8. इस प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा किया गया भुगतान, इसके अधीन भुगतान के लिए बैंक के दायित्व का वैध उन्मोचन होगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे भुगतान के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकेगा।

9. यह प्रत्याभूति भारत के तत्समय प्रवृत विधि के अधीन है। इस प्रत्याभूति या इसके विषय-वस्तु से उत्पन्न होने वाला कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नई दिल्ली, भारत में न्यायालयों के अनन्य अधिकारिता के अधीन होगी।

10. बैंक इसका प्रतिनिधित्व करता है कि उसके पास केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह प्रत्याभूति जारी करने का अधिकार और शक्ति है। बैंक के संविधान में परिवर्तन के कारण यह प्रत्याभूति उन्मोचित नहीं होगी।

11. बैंक यह वचन देता है कि वह लिखित रूप में केंद्रीय सरकार की पूर्व सहमति के सिवाय इस प्रत्याभूति को इसके प्रचलन के दौरान रद्द नहीं करेगा।

12. केंद्रीय सरकार, बैंक को पूर्व सूचना देकर, इस प्रत्याभूति के अधीन अधिकार किसी अन्य विभाग, मंत्रालय या किसी सरकारी अभिकरण को सौंप सकती है, जो राष्ट्रपति के नाम पर कार्य कर सकती है। इस खंड में दिए गए उपबंधों के सिवाय, यह प्रत्याभूति आवंटनीय या हस्तांतरणीय नहीं होगी।

13. इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन बैंक का दयित्व प्रत्याभूति की रकम से अधिक नहीं होगी।
(ख) इस बैंक की प्रत्याभूति समाप्ति तारीख तक वैध रहेगी।

14. बैंक, इस बैंक प्रत्याभूति के अधीन प्रत्याभूत रकम या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए केवल तभी दायी होगा, जब केंद्रीय सरकार समाप्ति तारीख को या उससे पहले बैंक को लिखित दावा या मांग प्रस्तुत करेगी।

तारीख [दिन] [मास] का दिन [वर्ष]

जिसके साक्ष्य स्वरूप बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं एवं मुहर लगा दी है।

(हस्ताक्षर)

(नाम एवं पदनाम)
(बैंक की मुहर)

प्ररूप घ
उत्पादन पट्टा विलेख का रूपविद्यान
[नियम 7 (12) (क) *देखिए*]

उत्पादन पट्टा (पट्टा) अनुदान के लिए यह विलेख निम्नलिखित द्वारा और उनके बीच बनाया गया है:

पक्षकार

क. भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक प्राधिकारी (**केंद्रीय सरकार**) के माध्यम से कार्य करते हुए।

और

ख. [पट्टेदार का नाम], जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है या [सरकारी कंपनी] जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अद्यीन भारत में निगमित है, जिसकी निगमित पहचान सं. [सीआईएन] है या निगम जो भारत में [निगम के विधि विनियम भरें] के अद्यीन सम्यक रूप से निगमित है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता], भारत में है और कारबार का मुख्य स्थान [कारबार के मुख्य स्थान का पता, यदि रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से भिन्न है] पर है (**पट्टेदार**)।

पृष्ठभूमि:

ग. पट्टेदार ने अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) (**अधिनियम**) और बनाए गए नियमों के अद्यीन अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है और उत्पादन पट्टे के अनुदान के लिए पात्र हो गया है।

घ. तदनुसार, केंद्रीय सरकार, इसमें इसके पश्चात् आरक्षित और पट्टेदार के भाग पर संदत्त, अनुपालित और निष्पादित किए जाने वाली अंतर्विष्ट फीस, स्वामित्व, प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफल में पट्टेदार को पट्टे अनुदान करने के लिए इस विलेख को अब निष्पादित कर रही है।

1. **परिभाषाएं**

इस पट्टे में प्रयुक्त पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम और तकीन बनाए गए नियमों में है।

2. **पट्टे का अनुदान**

2.1. केंद्रीय सरकार (प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए) अनुसूची 1 (**पट्टा क्षेत्र**) में वर्णित क्षेत्र पर पट्टेदार को निम्नलिखित खनिज, [खनिजों का नाम] (**खनिज**) के संबंध में उत्पादन संक्रिया करने के लिए उस तारीख से प्रारंभ होने वाले पट्टे का अनुदान करती है, जिस तारीख को यह सम्यक रूप से निष्पादित उत्पादन पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जब तक कि ऐसे क्षेत्र में ऐसे खनिजों की समाप्ति नहीं हो जाती।

2.2. यह पट्टा, पट्टा क्षेत्र में या उसके अद्यीन स्थित, पड़े या अस्तित्वमय सभी खनिजों के भंडारों के संबंध में होगा।

2.3. पट्टेदार स्वामिस्व का भुगतान करने तथा संदत्त किए जाने वाले अन्य अपेक्षित संदायों के अद्याद्यीन रहते हुए और इसमें अंतर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं और करारों का पालन करेगा तथा पट्टेदार की ओर से उसको अनुपालित तथा निष्पादित किया जाएगा, और वह पट्टा क्षेत्र के अधिकारों और परिसरो को इस प्रकार प्रदत्त अवधि के लिए तथा उसके दौरान केंद्रीय सरकार या इसके अद्यीन अधिकार पूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के अविधिमान्य अवरोध के बिना शांतिपूर्वक धारण कर सकेगा।

3. **अधिकार और बाध्यताएं**

3.1. केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के अधिकार और बाध्यताएं अधिनियम और तद्धिन बनाए गए नियमों में यथाविनिर्दिष्ट होंगे, जिसके अंतर्गत् बिना परिसीमा के अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया अधिकार नियम, 2025 और अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार तारीख [तारीख] भी हैं।

3.2. पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) पट्टेदार:

(i) प्रत्येक समय अधिनियम, तद्धिन बनाए गए नियमों और तत्समय प्रवृत्त सभी अन्य लागू विधि, जिसके अंतर्गत् परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) भी है, के उपबंधों का अनुपालन करेगा;

(ii) पट्टेदार द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित स्वामित्व और किसी प्रभार या अन्य भुगतान का शीघ्र भुगतान करेगा;

(iii) पट्टेदार द्वारा किए गए नुकसान, क्षति या विघन् के लिए तत्समय प्रवत्त विधि के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करेगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघन् तथा उससे संबंधित लागतों और खर्चों के संबंध में किए गए दावों के विरूद्ध केंद्रीय सरकार और प्रशासनिक प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा;

(iv) उत्पादन संक्रियाओं जिसके अंतर्गत् कोई उपाय भी है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए से प्रभावित समुद्र तल के नैसर्गिक पुनर्वास को सक्षम करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करेगा;

(v) इस पट्टे के अद्यीन संक्रिया के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना की रिपोर्ट, जिससे मृत्यु या गंभीर शारीरिक क्षति *या* संपत्ति को गंभीर क्षति कारित हो या जीवन या संपत्ति पर गंभीर रूप से प्रभाव डालने वाली या संकटापन्न करने वाली हो बिना किसी देरी के नौवहन महानिदेशालय, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी और किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा;

(vi) पट्टा क्षेत्र से उत्पादित और प्रेषित सभी खनिजों को तौलेगा या मापेगा, या तुलवाएगा या माप करवाएगा तथा तथा प्रत्येक ऐसी तौल या माप के लिए निदेशालय के प्रशासनिक प्राधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी को सात दिन पूर्व लिखित सूचना देगा जिससे वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति वहां उपस्थित हो सके;

(vii) ऐसे स्टाम्प-शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा जो इस विलेख की बाबत लागू हो;

(viii) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करेगा और इस विलेख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए उत्पादन संक्रियाएं करेगा;

(ix) अधिनियमऔर तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों जिसके अंतर्गत् अधिनियम की धारा 19क के अ्द्यीन बनाए गए नियम और अधिनियम की धारा 21 के अद्यीन जारी किए गए निदेश भी है, का अनुपालन करेगा;

(x) उनके नियोजन से पहले, यह सुनिश्चित करना होगा कि पट्टेदार या संवेदित कंपनियों द्वारा पट्टा क्षेत्र में नियोजित किए जाने वाले सभी जलयानों और स्थापित किए जाने वाले संस्थापनों को संबंधित नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और फ्लैग ऑफिसर, अपतट रक्षा सलाहकार समूह के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के नौसैनिक सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना होगा और उसे पास करना होगा और ऐसे निरीक्षण और अनापत्ति की सुविधा के लिए पट्टेदार द्वारा उपरोक्त कार्यालयों को एक मास की स्पष्ट सूचना दी जाएगी;

(xi) संरक्षित क्षेत्रों जिसके अंतर्गत् समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्री अभयारण्यों या किसी अन्य क्षेत्र भी है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संबंध में केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट उपाय करेगा;

(xii) किसी भी दूरसंचार केबल, अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उपकेंद्र, तेल प्लेटफॉर्म या पाइपलाइनों, भूमिगत जल के पुरातात्विक स्थलों, रक्षा संस्थापनों या किसी पत्तन क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी भी बिंदु पर कोई उत्पादन संक्रिया नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा, सिवाय सक्षम प्राधिकारी और इस निमित्त प्रशासनिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन और उसके अनुसार और पांच सौ मीटर की उक्त दूरी सुसंगत जलयान, संरचना या संस्थापन के बाहरी किनारे से जैसा भी लागू हो, मापी जाएगी;

(xiii) प्रस्तुत करना—

(क) वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पट्टेदार द्वारा की गई संक्रियाओं का पूरा विवरण हो तथा पट्टेदार द्वारा इस पट्टे के अद्यीन की गई संक्रियाओं के दौरान पट्टे के अंतर्गत् आने वाले क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में अर्जित सभी जानकारी को प्रकट करना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो तथा ऐसे अन्य प्राधिकरण को जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, किया जा सकेगा। रिपोर्ट उस वर्ष की समाप्ति के पश्चात साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जिससे वह संबंधित है;

(ख) सम्पादन प्रतिभूति को वापस करने या किसी अन्य लेखा में अंतरित करने से पूर्व किसी भी समय, या पट्टे की समाप्ति या पयर्वसान या परित्याग या अभ्यर्पण के पश्चात तीन मास की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, पट्टेदार द्वारा किए गए कार्य की पूरी रिपोर्ट प्रशासनिक प्राधिकारी और निदेशालय को प्रस्तुत करना तथा पट्टा क्षेत्र के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के संबंध में इस पट्टे के अद्यीन किए गए उत्पादन संक्रियाओं के दौरान पट्टेदार द्वारा अर्जित सभी जानकारी को प्रकट करना:

परन्तु, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उपरोक्त खंड 3.2 (क) (xiii) के अनुसरण में उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और डाटा का पूरा या उसका कोई भाग गोपनीय रखा जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी उसके बाद प्रस्तुत रिपोर्ट और डाटा के ऐसे भागों को गोपनीय रखेंगे जो उचित समझे:

परन्तु यह और कि, केंद्रीय सरकार ऐसी गोपनीय रिपोर्टों और डाटा का अपने प्रयोजनों के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेगी:

परन्तु यह भी कि, पट्टे का पर्यवसान या समाप्ति या अभ्यर्पण या परित्याग पर, जो भी पहले हो, उक्त पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्ट और डाटा केंद्रीय सरकार की एकमात्र संपत्ति हो जाएंगे।

(xiv) यह सुनिश्चित करना कि नौवहन के प्रयोजनों के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग में किसी मार्गाधिकार में कोई हस्तक्षेप न किया जाए;

(xv) विभाग, निदेशालय, प्रशासनिक प्राधिकारी और अन्य संबंधित सरकारी प्राधिकरणों जिसके अंतर्गत् भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना भी है, के समाधान के लिए पट्टा क्षेत्र की सीमा को चिह्नित करने वाली सभी सूचनाएं या उत्प्लावक या साइनेज या बोया को स्थापित करना, बनाए रखना, प्रदर्शित करना और मरम्मत करना;

(xvi) पट्टा क्षेत्र के भीतर उत्पादन संक्रियाओं, सज्जीकरण या प्रसंस्करण संक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले ठोस या तरल अपशिष्ट जिसके अंतर्गत् परिसंकटमय अपशिष्ट भी है, का व्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उचित कदम उठाना और उपाय करना; और

(xvii) उचित, कुशल और कुशलता से कार्य करना और उत्पादन संक्रिया जारी रखना।

(ख) केंद्रीय सरकार—

(i) सभी समयों पर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करने और उस पर स्वतंत्रता प्रदान करने या हस्तांतरित करने का अधिकार होगा, सिवाय उन सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए जिनके लिए एकमात्र अधिकार और पट्टा स्पष्ट रूप से पट्टेदार को प्रदान किए गए हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के, पट्टा क्षेत्र में, उसके ऊपर या उसके माध्यम से ऐसे जलयानों, उपस्करों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और अन्य ऐसे उपस्करों को नियोजित करना सम्मिलित है, जिन्हें किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन माना जाएगा, और पट्टा क्षेत्र से ऐसे पत्थर, भूमि या अन्य सामग्री प्राप्त करना जो ऐसे जलयानों, उपस्करों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, दूरसंचार केबलों और अन्य ऐसे उपस्करों के नियोजन, मरम्मत या रखरखाव के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो, सभी प्रयोजनों के लिए और अवसर की अपेक्षा के अनुसार ऐसे क्षेत्र से सभी समय गुजरने और पुनः गुजरने के लिए अपेक्षित होगा;

(ii) पट्टेदार द्वारा प्रदान की गई किसी संपादन प्रतिभूति को ऐसी निष्पादन प्रतिभूति के निबंधनों के अनुसार विनियोजित करने का अधिकार होगा और पट्टेदार को संपादन प्रतिभूति की पुन:पूर्ति करना अपेक्षित होगा। यदि निष्पादन प्रतिभूति निक्षेप के माध्यम से प्रदान कराई गई है, ऐसी दशा में पट्टे की समाप्ति और पट्टेदार की

सभी बाध्यताओं की पूर्ति पश्चात्, ऐसी प्रतिभूति निक्षेप समुचित कटौतियों के पश्चात् पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं लगेगा;

(iii) किसी कार्य या मामले को करने या संपादन करने का अधिकार होगा, जो उस संबंध में संविदाओं के अनुसार पट्टेदार द्वारा किया जाना है, किंतु उस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा नहीं किया गया है या संपादित नहीं किया गया है, और पट्टेदार केंद्रीय सरकार को मांग किए जाने पर सभी खर्चों का भुगतान करेगा जो इसके कार्यान्वयन या संपादन में खर्च होंगे।

(iv) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या अपनी ओर से किसी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र में प्रवेश करने और (i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज करने, खोदने, निकालने और ले जाने के लिए प्राधिकृत होंगे; (ii) अपतट पवन टरबाइन जनरेटर, अपतट विद्युत उपकेंद्रों को लगाने या रखरखाव करने, मरम्मत करने या बदलने की होगी; (iii) इन प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया, ऐसे संयंत्र, संस्थापनों, पाइपलाइन, केबल, जलमार्ग, इंजन, मशीनरी और सुविधाओं को निमग्त कसे, चलाने, खड़ा करने, निर्माण करने, रखरखाव करने और उपयोग करने की शक्ति होगी, जो आवश्यक समझा जाए:

परन्तु, ऐसी शक्ति के प्रयोग में इन प्रस्तुतियों के अद्यीन पट्टेदार के अधिकारों में कोई पर्याप्त बाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उचित प्रतिकर, जिस पर पारस्परिक सहमति हो या असहमति की स्थिति में, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाए है, को संदत्त करेगा,—

(i) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा पट्टेदार को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण पट्टेदार को हुई किसी हानि या नुकसान के लिए, क्षतिपूर्ति;

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के कारण ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए पट्टेदार द्वारा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या ऐसे अन्य व्यक्ति को, प्रतिपूर्ति के लिए; और

(v) सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदार या प्रचालक को उक्त क्षेत्रों में प्रवेश करने और पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस निकालने के प्रयोजनों के लिए पाइपलाइन बिछाने या पंपिंग स्टेशन स्थापित करने की शक्ति प्रदान करने और पट्टांतरण करने की शक्ति है, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, पट्टेदार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रचालक द्वारा और पट्टेदार किसी भी पेट्रोलियम संक्रियाओं या अपतट पवन ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित किसी भी संक्रिया या ऐसे अन्य संक्रिया में बाधाओं या हस्तक्षेप से बचाव के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा, जो पट्टा क्षेत्र के भीतर सरकारी प्राधिकरण द्वारा सम्यक् प्राधिकृत प्रचालक द्वारा किए जा रहे हैं या किए जाने का प्रस्ताव है।

3.3. यदि केंद्रीय सरकार किसी खनिज के संबंध में अपने अग्रक्रय के अधिकार का प्रयोग करने की इच्छुक है, तो केंद्रीय सरकार अग्रक्रय के समय विधमान जो निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाए, ऐसे खनिजों के औसत विक्रय कीमत का भुगतान करेगी।

3.4. युद्ध या आपातकाल की स्थिति, के अस्तित्व की घटना (जिसके अस्तित्व के लिए भारत के राष्ट्रपति एकमात्र न्यायाधीश होंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निर्णायक सबूत होगी) केंद्रीय सरकार को उक्त अवधि के दौरान सभी समय (पट्टेदार या पट्टेदारों को लिखित में सूचना द्वारा प्रयोग किया जाने वाला) पट्टा क्षेत्र या इस पट्टे के अद्यीन संक्रियाओं के संबंध में पट्टेदार के जलयानों, संस्थापनों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस्करों और परिसर को तुरंत अपने कब्जे में लेने और नियंत्रण करने का अधिकार होगा और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान, पट्टेदार ऐसे जलयानों, संस्थापनों, प्लेटफार्मों, पाइपलाइनों, संयंत्रों, मशीनरी, उपस्करों, परिसरों और खनिजों के उपयोग के नियोजन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा अवधारित, परन्तु उचित प्रतिकर, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा समझौते के चूक में अवधारित किया जाएगा, पट्टेदार को इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण या उसके परिणामस्वरूप उसे/उन्हें हुई सभी हानि या नुकसान के लिए संदत्त किया जाएगा और परंतु यह भी कि ऐसी शक्ति का प्रयोग दी गई उक्त अवधि को समाप्त नहीं करेगा या इस खंड की शर्तों और उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगा।

3.5. पट्टेदार को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना लिखित रूप में ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसे पट्टेदार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे नामांकन की सूचना लिखित रूप में प्रशासनिक प्राधिकारी को दी जाएगी। यदि ऐसा कोई नामांकन नहीं किया जाता है तो पट्टेदार को सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल द्वारा पट्टे के लिए आवेदन में दर्शाए गए पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजा जाएगा जिसे पट्टेदार अभिहित करे और ऐसी प्रत्येक सेवा पट्टेदार पर उचित और विद्यिमान्य सेवा मानी जाएगी और उस पर उसके द्वारा प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे या उसे चुनौती नहीं दी जाएगी।

3.6. यदि किसी भी घटना में प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेशों को केंद्रीय सरकार द्वारा अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के अद्यीन कार्यवाही के अनुसरण में पुनरीक्षित, समीक्षा या रद्द किया जाता है, तो पट्टेदार इन उपबंधों द्वारा पट्टेदार को प्रदत्त शक्तियों और विशेषाधिकारों के प्रयोग में पट्टेदार को हुए किसी भी नुकसान के लिए प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

4. अपरिहार्य घटना

4.1. इस खंड में "अपरिहार्य घटना" से दैवीय कृत्य, युद्ध, विद्रोह, दंगा, नागरिक उपद्रव, हड़ताल, भूकंप, तूफान, ज्वार की लहर, बाढ़, बिजली, विस्फोट, आग, या कोई अन्य घटना से अभिप्रेत है जिसे पट्टेदार उचित रूप से रोक या नियंत्रित नहीं कर सकता।

4.2. पट्टेदार द्वारा इस पट्टे की किसी भी शर्त को पूरा करने में असफलता से केंद्रीय सरकार को पट्टेदार के विरुद्ध कोई दावा प्राप्त नहीं होगा या इसे इस पट्टे का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा, जहां तक केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी असफलता को अपरिहार्य घटना से उत्पन्न माना जाता है, और यदि पट्टेदार द्वारा इस पट्टे की किसी भी शर्त को पूरा करने में अपरिहार्य घटना से देरी होती है, तो ऐसी देरी की अवधि को इस पट्टे द्वारा नियत अवधि में जोड़ दिया जाएगा।

4.3. प्रशासनिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार, किसी रीति से, किसी अप्ररिहार्य घटना के घटित होने या अस्तित्व में आने से उत्पन्न होने वाली किसी हानि के लिए पट्टेदार के प्रति दायी नहीं होगी।

5. शासित विधि

इस पट्टे और इसके निर्वचन के सभी प्रश्नों को भारत के तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार समझा जाएगा। अधिनियम की धारा 28 में निहित उपबंधों के अधीन, इस विलेख के अधीन उद्भूत होने वाले विवादों पर नई दिल्ली के न्यायालयों की अनन्य अधिकारित होगा।

जिसके साक्ष्य में [स्थान का नाम] पर [तारीख] को सांप्रतिक निष्पादित किए गए हैं।

अनुसूची I: उत्पादन पट्टे का क्षेत्र

(अपतट क्षेत्र, जिसके अंतर्गत् अक्षांश और देशांतर भी है, का विवरण उपबंधित किया जाना है।)

प्ररूप ङ

अंतरण आवेदन का रूपविद्यान

[नियम 19 (2) देखिए]

सेवा में,

[*पता*]

मैं/हम संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतरण के लिए अनुरोध करते हैं।

क्र. सं.	मद के ब्यौरे	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	अंतरक का नाम	
2.	अंतरक का पता	
3.	अंतरिती का नाम	
4.	अंतरिती का पता	
5.	उत्पादन पट्टा या संयुक्त अनुज्ञप्ति संख्या	
6.	किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति या पट्टे, जिसके अंतर्गत् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा परियोजना, या आवेदन किए गए क्षेत्र में विद्यमान पत्तन, केबल, पाइपलाइन जैसी कोई अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं भी हैं, की विशिष्टियां।	
7.	संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
8.	क्या अंतरिती अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा रखने के लिए पात्र है?	हां/नहीं
9.	अंतरिती द्वारा देय प्रतिफल, जिसके अंतर्गत् पहले से किए गए खोज संबंधी संक्रियाएं तथा संक्रियाओं के दौरान सृजित रिपोर्ट और डाटा के संबंध में प्रतिफल भी है।	
10.	क्या अंतरिती, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए सहमत है, जिनके अधीन अंतरक, ऐसे संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के सम्बन्ध में था।	हां/नहीं

हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और हम अन्य ब्यौरे भी देने के लिए तैयार हैं, जो आपके द्वारा अपेक्षित हो।

IndiaCode

अंतरिकी और अंतरक संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतरण के संबंध में अधिनियम की धारा 13ख और अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 के उपबंधों का अनुपालन करने का भी वचन देते हैं।

भवदीय,

अंतरक

.....

अंतरिती

.....

स्थान:

तारीख:

आवेदकों के लिए अनुदेश:

(a) यदि आवेदक कोई कंपनी है तो आवेदन आवेदक के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(b) आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरी (जो एक कंपनी है) का निगमित प्राधिकरण आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ऐसे निगमित प्राधिकरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत केंद्रीय सरकार को दी जानी चाहिए।

(c) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा रखने के लिए अंतरिती की पात्रता की पुष्टि करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्ररूप च
अंतरण विलेख का रूपविद्यान

भाग क
संयुक्त अनुज्ञप्ति के लिए अंतरण विलेख का रूपविद्यान

[नियम 19 (6) देखिए]

अंतरण विलेख (**विलेख**) इस [*दिन*] [*मास*], [*वर्ष*] के बीच बनाया जाता है:

1. (*सरकार का नाम*), जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत्, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*सरकारी कंपनी का नाम), (जिस अधिनियम के अधीन निगमित किया गया)* के *अधीन* रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता] पर है (जिसे इसमें इसके बाद **अंतरक** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत् जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*निगम का नाम),* [निगम के क़ानून/विनियम अंत: स्थापित करें] के सम्मिलित समझे जाएंगे भारत में सम्यक् रूप से निगमित और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् **अंतरक** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत् जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती समझे जाएंगे) पहले पक्ष के रूप में;

और

2. (*सरकार का नाम*), जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है (जिसे इसमें, इसके पश्चात् **अंतरिती** कहा जाएगा, जिस पद के अंतर्गत्, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*सरकारी कंपनी का नाम), (अधिनियम जिस के अधीन निगमित किया गया)* के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [*पता]* पर है (जिसे इसके पश्चात् **अंतरिती** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत् जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*निगम का नाम*), [निगम के क़ानून/विनियम अंत: स्थापित] के अधीन भारत में सम्यक् रूप से निगमित और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् **अंतरिती** में संदर्भित किया जाएगा, जिस पद के अंतर्गत् में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) दूसरे पक्ष के रूप में;

और

3. भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **केंद्रीय सरकार** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत्, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे) तीसरे पक्ष के रूप में।

यत:

क. अंतरक को केंद्रीय सरकार द्वारा संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुरत्त की गई है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार और अंतरक ने संयुक्त अनुज्ञप्ति की खोज अनुज्ञप्ति विलेख तारीख [*तारीख*] को निष्पादित किया है और संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में [*पता]* के उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में [*तारीख*] को सं. [*संख्या]* के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया है (सामूहिक रूप से **रियायत दस्तावेज**) और इसे ***उपाबंध क*** के रूप में संलग्न किया गया है ।

ख. रियायत दस्तावेजों के अनुसार, अंतरक रियायत दस्तावेजों की अनुसूचियों में वर्णित अपतट क्षेत्र में खोज संबंधी संक्रिया करने का हकदार है (विशेष रूप से ***उपाबंध ख में उपवार्णित***) (**अनुज्ञप्ति क्षेत्र**), किराए और स्वामिस्वों के भुगतान और अंतरक की प्रसंविदा और रियायत दस्तावेजों में निबंधनों के पालन और निष्पादन के अधीन है, जिसके अंतर्गत् लागू विधियों के उल्लंघन में संयुक्त अनुज्ञप्ति को अंतरिती न करने की प्रसंविदा भी है।

ग. अंतरक ने अपने तारीख [*तारीख*] के अंतरित आवेदन पत्र के अनुसरण में, अंतरिती को संयुक्त अनुज्ञप्ति के अंतरित के संबंध में अनुमोदन के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

घ. प्रशासनिक प्राधिकारी ने अपने तारीख [*तारीख*] के पत्र के अनुसरण में, इस विलेख में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अंतरिती द्वारा अनुपालन के अंतरित आवेदन पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षित करता है:

1. बड़े अक्षरों वाले पदों जो इस विलेख में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, रियायत दस्तावेजों या अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) (**अधिनियम**) और बनाए गए नियमों, में हैं।

2. अंतरिती केंद्रीय सरकार के साथ प्रंसविदा करता है कि संयुक्त अनुज्ञित के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश्चात् अंतरिती से प्रसंविदाओं के सभी उपबंधो, रियायत दस्तावेजों में अंतर्विष्ट अनुबंधों और शर्तों से उसी रीति में सभी आबद्ध होंगे, और उनका पालन संपादन करेंगे तथा सम्मत होंगे और उनके अध्यधीन होंगे, मानो संयुक्त अनुज्ञित तद्धीन पट्टेदार के रूप में अंतरिती को अनुदत की गई है और उसने मूलत: रियायत दस्तावेज उस रूप में निष्पादित किए थे ।

3. एक पक्षकर के रूप में अंतरक तथा दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती द्वारा यह और करार किया जाता है, तथा घोषित किया जाता है कि:

3.1. अंतरिती और अंतरक यह घोषणा करते हैं कि अंतरिती उन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है और पूरा करता रहेगा, जिन्हें संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए अंतरक द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित था।

3.2. अंतरक और अंतरिती यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उस अनुज्ञप्ति क्षेत्र जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति की जा रही है, उस पर खनिज अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित किए जा रहे हैं।

3.3. अंतरिती यह अभिस्वीकार करता है कि उसने रियायत दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त कर ली है और उसे पढ़ लिया है तथा समझ लिया है, एवं यह प्रसंविदा करार और पुष्टि करता है कि वह रियायत दस्तावेजों के सभी उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा, यह उसका मूल पक्षकार हो।

3.4. अंतरक यह घोषणा करता है कि उसने अब अंतरित की जा रही संयुक्त अनुज्ञप्ति को समनुदेशित नहीं किया है या किसी अन्य रीति में अंतरित नहीं किया है तथा यह कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है जिसके अधीन वर्तमान में संयुक्त अनुज्ञप्ति को अंतरित किया जा रहा है।

3.5. अंतरिती यह घोषणा करता है कि उसने सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जिसको अंतरक ऐसे संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में रखता था।

3.6. अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि वह या यह वित्तीय रुप से सक्षम है और खोज संबंधी संक्रिया सीधे तौर पर करेगा।

3.7. अंतरक ने अंतरिती को अनुज्ञप्ति क्षेत्र में अभित्यज्ञित खुदाई के सभी मानचित्रों, खंडों और योजनाओं की मूल या प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करा दी हैं।

3.8. इसके अतिरिक्त अंतरिती यह भी घोषणा करता है कि इस अंतरण के परिणामस्वरूप, संक्रिया संबंधी अधिकारों के अधीन उसके या इसके द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हुआ।

3.9. अंतरक ने संयुक्त अनुज्ञप्ति के संबंध में केंद्रीय सरकार को आज की तारीख तक सभी किराये, स्वामिस्व और अन्य बकाया राशि संदत्त कर दी है।

साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने सर्वप्रथम ऊपर लिखी तारीख और वर्ष को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

केंद्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

पदनाम: _____

अंतरक के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

अंतरिती के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

IndiaCode

उपाबंध क :
रियायत दस्तावेजों की प्रति

उपाबंध ख :
संयुक्त अनुज्ञप्ति का अवस्थान और क्षेत्र
[*क्षेत्र की विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत् भू-निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर भी है उपबंधित किया जाना है।*]

भाग ख
उत्पादन पट्टे के लिए विलेख का रूपविधान
[नियम 19 (6) *देखिए]*

अंतरण विलेख (**विलेख**) इस [*दिन*] [*मास*], [*वर्ष*] के बीच बनाया जाता है:

1. (*सरकार का नाम),* जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् **अंतरक** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत्, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उनके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*सरकारी कंपनी का नाम), (जिस अधिनियम के* अधीन *निगमित किया गया)* के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरक कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत् जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*निगम का नाम*), [निगम के क़ानून/विनियम अंत: स्थापित को] के अधीन भारत में सम्यक रूप से निगमित और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "**अंतरक**" रूप कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत् जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) पहले पक्ष का;

और

2. (*सरकार का नाम*), जिसका कार्यालय [सरकार का पता] पर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंतरिती कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत्, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*सरकारी कंपनी का नाम), (जिस अधिनियम के अधीन निगमित किया गया)* के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [*पता*] पर है (जिसे इसमें इसके बाद **अंतरिती** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे); या

(*निगम का नाम*), [निगम के क़ानून/विनियम अंतस्थपित] के अधीन भारत में सम्यक रूप से निगमित और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय [पता] पर है (जिसे इसमें इसके बाद **अंतरिती** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत् जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे) दूसरे पक्ष का;

और

3. भारत के राष्ट्रपति, द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए, (जिसे इसमें इसके पश्चात् **केंद्रीय सरकार** कहा गया है, जिस पद के अंतर्गत्, जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी सम्मलित समझे जाएंगे) तीसरे पक्ष के रुप मे ।

Indiacode

जबकि:

क. अंतरक को केंद्रीय सरकार द्वारा उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार और अंतरक ने निष्पादित किया है: (क) अपतट खनिज विकास और उत्पादन करार, तारीख [*तारीख*]; और (ख) उत्पादन पट्टे के संबंध में [पता] के [उप-रजिस्ट्रार] कार्यालय में [तारीख] को [संख्या] के रूप में रजिस्ट्रीकृत एक पट्टा विलेख (जिसे सामूहिक रूप से रियायती दस्तावेज कहा गया है) **और** इसे **उपाबंध *क*** के रूप में संलग्न किया गया है।

ख. रियायत दस्तावेजों के अनुसार, अंतरक रियायत दस्तावेजों की अनुसूचियों में वर्णित अपतट क्षेत्र (विशेष रूप से **उपाबंध *ख*** में उपवर्णित) (**पट्टा क्षेत्र) में (***खनिजों के नाम) के संबंध में अपतट खानों और खनिजों की खोज, अधिग्रहण और कार्य करने*** का हकदार है, जो कि किराए और स्वामिस्व के भुगतान और अंतरक के प्रसंविदा और रियायत दस्तावेजों में शर्तों के पालन और अभ्यर्पण के अधीन है, जिसमें लागू विधियों के उल्लंघन में उत्पादन पट्टे को अंतरित नहीं करने का प्रसंविदा भी है।

ग. अंतरक ने अपने तारीख [*तारीख*] के अंतरक आवेदन पत्र के अनुसरण में, अंतरिती को उत्पादन पट्टे के अंतरक के संबंध में प्रशासनिक प्राधिकारी से अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

घ. प्रशासनिक प्राधिकारी ने अपने तारीख [*तारीख*] के पत्र के अनुसरण में इस विलेख में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तो के अंतरिती द्वारा अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए अंतरक के आवेदन पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अब यह विलेख निम्न प्रकार साक्षित करता है:

1. जों बड़े अक्षरों वाले पदों के इस विलेख में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, रियायत दस्तावेजों या अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) (**अधिनियम**) और तद्धीन बनाए गए नियमों में है।

2. अंतरिती केंद्रीय सरकार के साथ प्रसंविदा करता है कि उत्पादन पट्टे के अंतरण और समनुदेशन से और उसके पश्चात् अंतरिती सभी प्रसंविदाओं के सभी उपबंधों रियायत दस्तावेजों में अंतर्विष्ट अनुबंधों और शर्तों से उसी रीति में सभी आबद्ध होंगें, और उनका पालन संपादन करेंगे तथा सम्मत होंगे और उनके अध्यधीन होंगे, मानों उत्पादन पट्टे ताकीन पट्टेदार के रुप में अंतरिती को अनुदत्त की गई हो और उसने मूलत: रियायत दस्तावेज उस रुप में निष्पादित किए थे।

3. एक पक्षकार के रुप में अंतरक तथा दूसरे पक्षकार के अंतरिती द्वारा यह और करार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि:

 3.1. अंतरिती और अंतरक यह घोषणा करते हैं कि अंतरिती उन सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है और पूरा करता रहेगा, जिन्हें उत्पादन पट्टा के अनुदान के लिए अंतरक द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित था।

 3.2. अंतरक और अंतरिती यह घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उस पट्टा क्षेत्र के लिए उत्पादन पट्टा अंतरित किया जा रहा है, उस पर खनिज अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित हैं।

 3.3. अंतरिती यह अभिस्वीकार करता है कि उसने रियायत दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त कर ली है, तथा उसे पढ़ लिया है और समझ लिया है, तथा यह प्रसंविदा, करार पुष्टि करता है कि वह रियायत दस्तावेजों के सभी उपबंधों द्वारा आबद्ध होगा, मानो वह उसका मूल पक्षकार हो।

 3.4. अंतरक यह घोषणा करता है कि उसने अब अंतरित किए जा रहे उत्पादन पट्टे का समनुदेशित नहीं किया है या किसी अन्य रीती अंतरित नहीं किया है तथा यह कि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है जिसके अधीन वर्तमान में उत्पादन पट्टे को अंतरित किया जा रहा है।

IndiaCode

3.5. अंतरिती यह घोषणा करता है कि उसने उन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जिनको अंतरक ऐसे उत्पादन पट्टे के संबंध में रखता था।

3.6. अंतरक ने अंतरिती को पट्टा क्षेत्र में अभित्यक्त कार्यों के सभी मानचित्रों, खंडों और योजनाओं की मूल या प्रमाणित प्रतियां अंतरिती को उपलब्ध करा दी हैं।

3.7. अंतरिती इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा करता है कि इस अंतरक परिणामस्वरूप, संक्रिया संबंधी अधिकारों के अधीन उसके द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

3.8. अंतरक ने उत्पादन पट्टे के संबंध में केंद्रीय सरकार को आज की तारीख तक का सभी किराया, स्वामिस्व तथा अन्य बकाया राशि भुगतान कर दी है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने सर्वप्रथम ऊपर लिखी तारीख और वर्ष को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

केंद्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

पदनाम: _____

अंतरक के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

अंतरिती के लिए और उसकी ओर से:

नाम: _____

IndiaCode

उपाबंध क
रियायत दस्तावेजों की प्रति

उपाबंध ख

उत्पादन पट्टे का अवस्थान और क्षेत्र

[*क्षेत्र की विशिष्टियां भू-निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर भी है उपबंधित किया जाना है*]

प्ररूप छ
संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के अंतरण की सूचना
[नियम 19 (9) *देखिए*]

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

i. यह प्ररूप सम्यक रूप से भरा हुआ, नियम के भीतर यथाविनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों के पास, ऐसे अंतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऑनलाइन या ईमेल द्वारा पहुंच जाना चाहिए।

ii. प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएं।

1.	**संक्रिया संबंधी अधिकार का प्रकार**				***जाँचें जो लागू है***		
	(क) उत्पादन पट्टा						
	(ख) संयुक्त अनुज्ञप्ति						
2	**भारतीय खान ब्यूरो रजिस्ट्रीकरण संख्या**						
3.	**विशिष्ट भारतीय खान ब्यूरो संक्रिया संबंधी अधिकार संख्या**						
	उत्पादन पट्टा कोड						
	संयुक्त अनुज्ञप्ति कोड						
4.	**खान कोड**						
5.	**खान का नाम**						
6.	**खनिज या खनिजों के नाम जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है**				***(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)***		
7.	**संक्रिया संबंधी अधिकार धारक का नाम और पता**				***(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)***		
8.	**संक्रिया संबंधी अधिकार की विशिष्टियां**				***(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)***		
9.	**पट्टा क्षेत्र/अनुज्ञप्ति क्षेत्र का स्थान**				***(सूचना प्रणाली द्वारा सृजित की जाएगी)***		
10.	**अंतरिती या समनुदेशिती का नाम और पता**						
	नाम	पता	ईमेल	पैन नंबर	आधार संख्या/रजिस्ट्रीकरण संख्या	पासपोर्ट संख्या/जीएसटी संख्या	मोबाइल नंबर
11	**प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी अंतरण आदेश का पत्र क्रमांक और तारीख**						
स्थान: **तारीख:**					***हस्ताक्षर*** **पूरा नाम:** **पद :स्वामी/भूविज्ञानी/खनन इंजीनियर**		

IndiaCode

प्ररूप ज
अपील ज्ञापन का रूपविद्यान

[नियम 26 (1) *देखिए*]

सेवा में,

[पता]

मैं/हम निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ निम्नलिखित अपील प्रस्तुत करता हूं/ करते हैं।

क्र. सं.	मद के ब्यौरे	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	अपीलार्थी का नाम	
2.	अपीलार्थी का पता	
3.	अपीलार्थी की प्रास्थिति • सरकार • सरकारी कंपनी • निगम	
4.	क्या अपील विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर फाइल की गई है?	हां/नहीं
5.	यदि नहीं, तो विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने तथा देरी के लिए क्षमा मांगने के क्या कारण हैं?	
6.	अपील का प्रयोजन	
7.	अपीलार्थी निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें— (क) अपीलार्थी को आदेश की संसूचना की संख्या और तारीख तथा आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अपील की गई है; (ख) क्या यह संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के संबंध में है; (ग) कोई अन्य विषय	
8.	अपील के लिए देय फीस	
9.	बैंक का नाम, मांगदेय ड्राफ्ट या चालान संख्या तथा तारीख, जिसके माध्यम से फीस का भुगतान किया गया है।	
10.	खनिज या खनिजों जिसके लिए अपील फाइल की गई है	
11	उस क्षेत्र का ब्यौरा जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है (क्षेत्र को कवर करने वाले अक्षांश और देशांतर बताएं)।	
12.	अभियोजित पक्षकार/पक्षकारों का नाम और पूरा पता	
13.	अपील ज्ञापन की संलग्न प्रतियों की संख्या (यदि किसी पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो अपील ज्ञापन की तीन प्रतियां प्रस्तुत की जाएं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अतिरिक्त प्रति संलग्न की जानी है)	
14.	अपील के आधार	
15.	मांगी गई प्रार्थना(एँ)	

मैं/हम घोषणा करता हू/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं और अन्य ब्यौरे जो आपके द्वारा अपेक्षित हो/भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

स्थान:
तारीख:

अपीलार्थिओं के लिए अनुदेश.—

(क) यदि अपीलार्थी कोई कंपनी है तो अपील पर अपीलार्थी के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ख) अपीलार्थी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी (जो सरकार, सरकारी कंपनी या निगम है) का निगम प्राधिकार पत्र अपील के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ऐसे निगम प्राधिकार पत्र में किसी भी परिवर्तन की सूचना प्रशासनिक प्राधिकारी को तुरंत दी जानी चाहिए।

प्ररूप झ

विशिष्टियों में परिवर्तन की सूचना

[नियम 31 *देखिए]*

सेवा में,

1. परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, मुंबई

2. प्रशासनिक प्राधिकारी

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

इस प्ररूप में सूचना इस प्रकार भेजी जाएगी कि वह नाम और पते में परिवर्तन की तारीख से साठ दिन के भीतर संबंधित प्राधिकारियों तक पहुंच जाए।

IndiaCode

1.	(i) खोज संबंधी संक्रियाओं या उत्पादन संक्रियाओं के लिए खनिज (खनिजों) का नाम	
	(ii) अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हों, जिनके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है	
2.	(i) खान का नाम	
	(ii) खानों के नाम में परिवर्तन, यदि कोई हो: (पुराना नाम और परिवर्तन का कारण उपदर्शित करें)	
3.	(i) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या स्वामी का नाम और पता	
	(ii) अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या स्वामी के नाम और पते में परिवर्तन (पुराना नाम और परिवर्तन का कारण उपदर्शित करें)	
4.	संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे की विशिष्टिया	
	(i) निष्पादन की तारीख	
	(ii) अवधि वर्ष, से तक	
	(iii) उत्पादन पट्टे या संयुक्त अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र का विस्तार [वर्ग किलोमीटर में]	
5.	संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे का अवस्थान: [देशान्तर और अक्षांश]:	
	i. एनएचओ चार्ट संख्या	
	ii. क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	
	iii. ब्लॉक के सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	

	iv. तट या समुद्र	
	v. अपतट क्षेत्र	
	vi. निकटतम तटीय अवस्थान	
	vii. जल की गहराई (मीटर में)	
	viii. निकटतम बदंरगाह/पत्तन	
6.	अभिकर्ता की विशिष्टियां, यदि कोई हो; नाम और पता (यदि लागू हो)	
7.	खान के प्रबंधक की विशिष्टियां; नाम और पता (यदि लागू हो)	
8.	खानों में नियोजित खनन इंजीनियर का विवरण (यदि लागू हो):	
	(i) नाम और पता	
	(ii) अर्हता	
	(iii) नियुक्ति तारीख	
	(iv) नियोजन की प्रास्थिति	पूर्णकालिक
9	पत्र संख्या और तारीख जिसके माध्यम से खोज संबंधी योजना या उत्पादन योजना को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था जैसा कि अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम 2024 में विनिर्दिष्ट है, अनुमोदन पत्रों की संख्या और अनुमोदन की तारीख	
10.	कोई अन्य विनिर्दिष्ट जानकारी:	

स्थान: तारीख:	*हस्ताक्षर:* पूरा नाम: पद: स्वामी/अभिकर्ता/प्रबंधक/खनन इंजीनियर

IndiaCode

प्ररूप ञ
भाग क

संयुक्त अनुज्ञप्ति का रजिस्टर
[नियम 33 *देखिए*]

1. क्रम संख्या।
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम।
3. अनुज्ञप्तिधारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास का पता।
4. (क) संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान की संख्या और तारीख।
 (ख) संयुक्त अनुज्ञप्ति के खोज अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन की तारीख।
 (ग) खोज अनुज्ञप्ति विलेख के रजिस्ट्री की तारीख, संयुक्त अनुज्ञप्ति।
5. अपतट क्षेत्र के भू-निर्देशांक।
6. कुल अपतट क्षेत्र जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है।
7. वह खनिज या खनिजें जिसके लिए मूलतः संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है।
8. संयुक्त अनुज्ञप्ति में तारीख सहित जोडा गया खनिज या जोड़ें गए खनिज।
9. उस अपतट क्षेत्र के ब्यौरे जिसके लिए मूलतः संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी।
10. वह अवधि जिसके लिए संयुक्त अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई।

11. अनुज्ञप्तिधारी के नाम, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बहुसंख्यक स्वामियों या अन्य विशिष्टियों में हुए परिवर्तन ब्यौरे के साथ परिवर्तन के तारीख।
12. स्वामिस्व और अन्य भुगतान, यदि देय हो।
13. संपादन प्रतिभूति के ब्यौरे।
14. समाप्ति या पर्यवसान या परित्याग या अभ्यर्पण की तारीख।
15. वह तारीख जिससे अपतट क्षेत्र पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध होगा।
16. कोई अन्य जानकारी, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।
17. टिप्पिणियां।
18. अधिकारी के हस्ताक्षर।

भाग ख

उत्पादन पट्टों का रजिस्टर

[नियम 33 *देखिए*]

1. क्रम संख्या।
2. पट्टेदार का नाम।
3. पट्टेदार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और निवास का पता।
4. (क) उत्पादन पट्टे के अनुदान की संख्या और तारीख।
 (ख) उत्पादन पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख।
 (ग) उत्पादन पट्टा विलेख के रजिस्ट्री की तारीख।
5. अपतट क्षेत्र के भू-निर्देशांक।
6. कुल अपतट क्षेत्र जिसके लिए उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है।
7. वह खनिज या खनिजें जिसके लिए मूलतः उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है।
8. उत्पादन पट्टे में तारीख सहित जोड़ा गया खनिज या जोड़े गए खनिज।
9. उस अपतट क्षेत्र के ब्यौरे जिसके लिए मूलतः उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया था।
10. वह अवधि जिसके लिए उत्पादन पट्टा अनुदत्त किया गया है।
11. पट्टेदार के नाम, राष्ट्रीयता, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, बहुसंख्यक स्वामियों या अन्य विशिष्टियों में हुए परिवर्तन के ब्यौरे के साथ परिवर्तन की तारीख।
12. स्वामिस्व और अन्य भुगतान, यदि देय हो।
13. संपादन प्रतिभूति के ब्यौरे, यदि देय हो।
14. समाप्ति या पर्यवसान या परित्याग या अभ्यर्पण की तारीख।।
15. वह तारीख जिससे अपतट क्षेत्र पुनः अनुदान के लिए उपलब्ध होगा।
16. कोई अन्य जानकारी, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।
17. टिप्पिणियां।
18. अधिकारी के हस्ताक्षर।

[फा. सं. एम-VI 1/10/2024-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2025

G.S.R. 468(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);

(b) "Beach Sand Minerals" shall have the same meaning as assigned in serial number 6 of Part B of the First Schedule of the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(c) "Board" means the Atomic Energy Regulatory Board constituted under section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(d) "Department" means the Department of Atomic Energy in the Central Government;

(e) "Directorate" means the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research under the Department;

(f) "Form" means form appended to these rules;

(g) "illegal mining" means any reconnaissance operation or exploration operation or production operation undertaken by any person or a company in any offshore area without holding an operating right as required under sub-section (1) of section 5 of the Act or such operation is outside the boundaries of the offshore area for which the operating right has been granted:

Provided that violation of any rules, other than the rules made under clause (pa) of sub-section (2) of section 35 of the Act, within the licence area or lease area by a licensee or lessee shall not be construed as illegal mining;

(h) "lease area" means the area for which a production lease has been granted in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(i) "licence area" means the area for which a composite licence has been granted in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(j) "prescribed substances" means minerals included in the list of prescribed substances under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(k) "run-of-mine" means the raw unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after dredging or mining, from mineralised zone of a lease area;

(l) "Schedule" means the Schedule to these rules; and

(m) "threshold value in respect of atomic minerals" means the grade of atomic mineral, specified as percentage of weight of the prescribed substances contained in the ore, as specified and notified in Schedule A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the threshold value for the particular atomic mineral occurring as such, or in association with one or more minerals.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meanings as assigned to them in the Act, the rules made thereunder or the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), as the case may be.

(3) Application.— (1)These rules shall apply only to operating rights relating to atomic minerals occurring as such or in association with one or more other minerals, provided the grade of such atomic minerals is equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.

(2) Operating rights relating to atomic minerals where the grade of atomic mineral contained in the ore is less than the threshold value in respect of atomic minerals shall be governed, *mutatis mutandis*, by the provisions of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, in force.

(3) A determination regarding applicability of these rules pursuant to assessment of threshold value in respect of atomic minerals against the existence of mineral resources shall be made by the Directorate in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4 or sub-rule (6) of rule 6 or sub-rule (6) of rule 7, as the case may be.

(4) If one or more atomic minerals occur in association with other minerals but the grade of atomic minerals is less than the threshold value in respect of atomic minerals, then any atomic minerals resulting from production operations, processing or beneficiation shall be handled and disposed of in accordance with directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety.

CHAPTER II

RECONNAISSANCE OPERATION OR EXPLORATION OPERATION FOR ATOMIC MINERALS

4. **Reconnaissance operation or exploration operation for atomic minerals under proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act.**— (1) The agencies, permitted under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act may carry out reconnaissance operation or exploration operation for atomic minerals without an operating right and such operations shall be carried out in compliance with the Schedule A:

Provided that where reconnaissance operation or exploration operation is to be undertaken under this sub-rule, the agencies desirous of undertaking such operations shall submit a request to the administering authority along with particulars of the area and the period required for reconnaissance operation or exploration operation.

(2) The administering authority, with prior consultation with the Department shall, within a period of thirty days of receipt of the request, issue a notification in the Official Gazette.

(3) Upon issuance of the notification, the administering authority shall not grant any operating right to any other person or agency for an area or a part thereof in relation to which a notification has been issued.

(4) Upon completion of reconnaissance operation or exploration operation under sub-rule (1), the agency conducting such operations shall submit a geological report of its findings to the Department, Directorate and the administering authority in the format specified in the Schedule A.

(5) Upon receipt of a geological report under sub-rule (4), the Directorate shall compare the grade of atomic minerals in the area where the reconnaissance operation or exploration operation has been undertaken with the threshold value in respect of atomic minerals and, if —

(a) the grade of atomic minerals is less than the threshold value in respect of atomic minerals, the Directorate shall provide a written intimation, along with a copy of the geological report, to the Central Government, which may grant operating right over such area as per section 8, section 12 or section 13 of the Act, as the case may be, and the rules made thereunder:

Provided that atomic minerals extracted during the exploration operations or production operations shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety;

(b) the grade of atomic minerals is equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals and, —

(i) at least General Exploration (G2) has been completed to establish Indicated Mineral Resource (332), then a production lease shall be granted by the administering authority only in accordance with these rules; or

(ii) at least Reconnaissance Survey (G4) has been completed to estimate Reconnaissance Mineral Resource (334) or mineral potentiality of the mineral block has been identified based on the available geoscience data but resources are yet to be established, then a composite licence shall be granted by the administering authority only in accordance with these rules.

(6) The Directorate shall subject the geological reports, for reconnaissance operation or exploration operation generated by the Directorate, to a similar scrutiny as specified in sub-rule (5) and hand over the data to the administering authority for action contemplated under clauses (a) and (b) of sub-rule (5).

(7) If the Directorate finds the geological report submitted under sub-rule (4) to be insufficient for making a determination under sub-rule (5), it may seek additional information or direct further reconnaissance operation or exploration operation and submission of findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate and upon receipt of such findings and data, the Directorate shall take action as specified in sub-rule (5).

(8) The administering authority may revoke the notification granted under sub-rule (2), if the Directorate communicates in writing that the reconnaissance operation or exploration operation has been completed.

India Code

CHAPTER III
DISCOVERY AND GRANT OF OPERATING RIGHTS

5. Grant of operating right at the instance of Department.— Where on an examination of a geological report prepared in conformity with the parameters specified in the Schedule A by the Directorate, in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 4, indicates the grade of atomic minerals to be equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, the administering authority shall —

(a) identify and demarcate the area where a composite licence or production lease, as the case may be, is proposed to be granted;

(b) submit a proposal for grant of composite licence or production lease over the area identified and demarcated under clause (a) with the precise areas along with longitude and latitude, to the Department and the Central Government with a request to nominate the Government, a Government company, or a corporation for the grant of such production lease or composite licence.

6. **Procedure for grant of composite licence.—** (1) In response to the request made by the administering authority under clause (b) of rule 5, the Department in consultation with the Central Government shall intimate to the Directorate and administering authority in writing of the prospective licensee, along with a confirmation regarding grade of atomic minerals in such area being equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.

(2) On receipt of intimation under sub-rule (1), the Central Government, after consultation with the administering authority, may by notification in the Official Gazette, reserve such area in accordance with sub-section (1) of section 8 of the Act.

(3) The Central Government shall consult the Department; Ministry of Defence; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Home Affairs; Ministry of External Affairs; Department of Space; Department of Telecommunications; Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Ministry of Earth Sciences; Ministry of Ports, Shipping and Waterways; Ministry of Petroleum and Natural Gas; Ministry of Science and Technology; Ministry of New and Renewable Energy; and any other Ministry or department as may be considered necessary, by the Central Government, before notifying any offshore area under sub-rule (2).

(4) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be considered to be evidence of the existence of mineral resources for atomic minerals in the area for the purposes of second proviso to clause (b) of section 6 of the Act.

(5) Upon notification of such area by the Central Government under sub-rule (2), a copy of intimation referred to in sub-rule (1) shall be sent by the administering authority to the prospective licensee.

(6) Irrespective of anything contained in sub-rules (1), (2) and (4), the Department shall reserve its rights, wherever required, to additionally notify region and deposit-specific threshold values in the case of uranium and thorium bearing minerals, and authorise the administering authority, subject to the terms and conditions specified by the Department, to grant composite licence for one or more specific mineral present associated with atomic minerals.

(7) The prospective licensee shall, within a period of two months from the receipt of a copy of the intimation under sub-rule (5), submit an application to the administering authority for grant of a composite licence in the format specified by the Department along with an application fees of ten thousand rupees per standard block.

(8) The administering authority shall within a period of ninety days of receipt of a duly completed application under sub-rule (7), communicate to the prospective licensee to submit an approved exploration plan and other necessary clearances from the concerned Government agencies as required, for grant of composite licence.

(9) Upon receipt of such communication from the administering authority under sub-rule (8), the prospective licensee shall -

(a) prepare an exploration plan in accordance with provisions of Chapter IV and submit the same for approval of the Directorate, within a period of twelve months from the date of issuance of the communication from the administering authority under sub-rule (8);

(b) provide a performance security to the administering authority in the form of a bank guarantee in Form A or as a security deposit, for an amount equivalent to 0.25 per cent. of the value of estimated resources, which performance security may be invoked by the administering authority as per the terms and conditions of the exploration licence deed of composite licence;

(c) obtain approval or permit or no-objection or the like, from the Government authorities as may be required under the law for the time being in force for commencement of exploration operations;

(d) meet other conditions as may be specified.

(10) The prospective licensee shall submit the documents in support of the fulfilment of the conditions specified in sub-rule (9), and within a period of ninety days of receipt of such documents the administering authority shall issue an order to the prospective licensee for granting the composite licence under sub-section (3) of section 8 of the Act.

(11) The prospective licensee shall execute an exploration licence deed of composite licence within a period of ninety days of receipt of the order of grant of licence as in sub-rule (10), and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the prospective licensee, the administering authority may revoke the order granting the composite licence and in that event the fee paid under sub-rule (7) shall be forfeited by the administering authority.

(12) The exploration licence deed of composite licence shall be subject to the following conditions, namely: -

(a) the exploration licence deed of composite licence shall be in Form B;

(b) the area of such composite licence shall be the same as specified by the administering authority as in clause (a) of rule 5;

(c) no change in area shall be made by the administering authority without the prior approval of the Department:

Provided that if the Central Government, after consultation with the Department, is of the opinion that in the interest of the development of atomic mineral or industry, it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, increase or decrease the said area limit in respect of any mineral or any specified category of deposits of such mineral or such group of associated minerals, in accordance with section 13A of the Act;

(d) in case the atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals exist in association with other minerals, then the composite licence shall be granted for all such minerals including the atomic minerals to the same licensee.

(13) The date of the commencement of the period for which a composite licence is granted shall be the date on which a duly executed exploration licence deed of composite licence is registered.

(14) All exploration operations under a composite licences granted under these rules shall be for a period of three years from the date of grant of composite licence:

Provided that the administering authority may, on an application made by the licensee within a period of three months before the lapse of the said period, for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as may be specified, grant an extension for a period of two years to the licensee for satisfactory completion of the exploration operations:

Provided further that no further extension shall be granted upon expiry of the extended period, if any, granted under the first proviso.

(15) The administering authority shall not include any new minerals found in the existing licence area granted to the Government, a Government company, or a corporation without obtaining prior approval of the Department:

Provided that on receipt of approval from the administering authority, the licensee shall modify the exploration plan including the new minerals and get the approval from the Directorate:

Provided further that where subsequent to grant of a composite licence, one or more mineral is found in the licence area and such minerals are included in the composite licence, the period of composite licence for such mineral which has been included in the composite licence shall be the same for which the first composite licence was originally granted.

(16) The holder of a composite licence shall conduct exploration operations of the area under the composite licence so as to ascertain existence of mineral resources and shall submit periodic reports, as applicable to exploration operations and all reports, studies and other documentation related to the exploration operations of the area under the composite licence shall be submitted to the Directorate and administering authority.

(17) If a holder of a composite licence—

(a) fails to complete exploration operations or fails to establish the existence of atomic mineral resources in accordance with the provisions of Schedule A, or fails to comply with the terms and conditions of the composite licence or the requirements of the Act and the rules made thereunder, such holder shall not be eligible to receive a production lease and the composite licence shall be terminated;

(b) completes exploration operations and submits to the Directorate and the administering authority the result of the exploration operations in the form of a geological report, demonstrating existence of mineral resources conforming to Schedule A, and the Directorate shall, within ninety days from the date of receipt of the geological report, confirm the licensee's findings under the geological report in writing to the administering authority:

IndiaCode

Provided that the geological report shall comprise of details specifying the area required for grant of a production lease:

Provided further that if the Directorate finds the geological report submitted under clause (b) to be insufficient for making a determination, it may seek additional information or direct further exploration operation and submission of findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate and upon receipt of such findings and data, the Directorate shall take action as specified in clause (b):

Provided also that notwithstanding the Directorate's requirement of submission of additional information or findings, the maximum time period available to the licensee to complete exploration operations shall be as specified in sub-rule (14).

(18) Upon receipt of confirmation from the Directorate, the administering authority shall intimate to the licensee its eligibility for making an application for grant of production lease in accordance with sub-rule (7) of rule 7.

(19) Upon the submission of the geological report to the Directorate and the administering authority under clause (b) of sub-rule (17), the holder of composite licence may relinquish the entire area in accordance with this rule and in such case the administering authority shall, after being satisfied that the geological report has been prepared in conformity with the Schedule A, return the performance security.

IndiaCode

7. Procedure for grant of production lease.—(1) In response to the request made by the administering authority under clause (b) of rule 5, the Department in consultation with the Central Government shall intimate to the Directorate and administering authority in writing of the prospective lessee, along with a confirmation regarding grade of atomic minerals in such area being equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals.

(2) After intimation under sub-rule (1), the Central Government, in consultation with the administering authority, by notification in the Official Gazette, reserve such area in accordance with sub-section (1) of section 8 of the Act.

(3) The Central Government shall consult the Ministry of Defence; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Home Affairs; Ministry of External Affairs; Department of Space; Department of Telecommunications; Department of Fisheries under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Ministry of Earth Sciences; Ministry of Ports, Shipping and Waterways; Ministry of Petroleum and Natural Gas; Ministry of Science and Technology; Ministry of New and Renewable Energy; and any other Ministry or department as may be considered necessary, by the Central Government, before notifying any offshore area under sub-rule (2).

(4) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be considered to be evidence of the existence of mineral resources for atomic minerals in the area for the purposes of second proviso to clause (b) of section 6 of the Act.

(5) Upon notification of such area by the Central Government under sub-rule (2), a copy of intimation referred to in sub-rule (1) shall be sent by the administering authority to the prospective lessee.

(6) Irrespective of anything contained in sub-rules (1), (2) and (4), the Department shall reserve its rights, wherever required, to additionally notify region and deposit-specific threshold values in the case of uranium and thorium bearing minerals, and authorise the administering authority, subject to terms and conditions specified by the Department, to grant production lease for one or more specific mineral present associated with atomic minerals.

(7) The prospective lessee, shall within a period of two months from the receipt of a copy of the intimation under sub-rule (5), or within a period of two months from the receipt of a copy of intimation under sub-rule (18) of rule 6 submit an application to the administering authority for

grant of a production lease in the format specified by the Department along with an application fees of ten thousand rupees per standard block.

(8) The administering authority shall within a period of ninety days of receipt of a duly completed application under sub-rule (7), communicate to the prospective lessee to submit an approved production plan and other necessary clearances from the concerned Government agencies as required, for grant of production lease.

(9) Upon receipt of such communication from the administering authority under sub-rule (8), the prospective lessee shall—

(a) prepare a production plan in accordance with provisions of Chapter IV and submit the same for approval of the Directorate, within a period of twelve months from the date of issuance of the communication from the administering authority under sub-rule (8);

(b) provide a performance security to the administering authority in the form of a bank guarantee in Form C or as a security deposit, for an amount equivalent to 0.50 per cent. of the value of estimated resources, which performance security may be invoked by the administering authority as per the terms and conditions of Offshore Mineral Development and Production Agreement and the production lease deed;

(c) adjust the performance security every five years so that it continues to correspond to 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources;

(d) obtain approval or permit or no-objection or the like from the Government authorities as may be required under the law for the time being in force, for commencement of production operations;

(e) sign an Offshore Mineral Development and Production Agreement with the administering authority as per the format specified by the Central Government after compliance of conditions specified in clause (a), clause (b), clause (c) and clause (d) of this sub-rule; and

(f) meet other conditions as may be specified.

(10) The prospective lessee shall submit the documents in support of the fulfilment of the conditions specified in sub-rule (9), and within a period of ninety days of receipt of such documents the administering authority shall issue an order to the prospective lessee for granting the production lease under sub-section (3) of section 8 of the Act.

(11) The prospective lessee shall execute a production lease deed within a period of ninety days of receipt of the order of grant of lease as in sub-rule (10), and if no such deed is executed within the said period due to any default on the part of the prospective lessee, the administering authority may revoke the order granting the production lease and in that event the fee paid under sub-rule (7) shall be forfeited to the administering authority .

(12) The production lease deed shall be subject to the following conditions, namely: -

(a) the production lease deed shall be in Form D;

(b) the area of such production lease shall be the same as specified by the administering authority as in clause (a) of rule 5;

(c) no change in area shall be made by the administering authority without the prior approval of the Department:

Provided that if the Central Government, after consultation with the Department, is of the opinion that in the interest of the development of atomic mineral or industry, it is necessary so to do, it may, for the reasons to be recorded in writing, increase or decrease the said area limit in respect of any mineral or any specified category of deposits of such mineral or such group of associated minerals, in accordance with section 13A of the Act;

(d) in case the atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals exist in association with other minerals, then the production lease shall be granted for all such minerals including the atomic minerals to the same lessee.

(13) The date of the commencement of the period for which a production lease is granted shall be the date on which a duly executed production lease is registered.

(14) All production leases granted under these rules, shall be granted for a period until the entire reserves of such minerals in the mine is exhausted.

(15) The administering authority shall not include any new minerals found in the existing lease area granted to the Government, a Government company, or a corporation without obtaining prior approval of the Department:

Provided that on receipt of approval from the Department, the lessee shall modify the production plan including the new minerals and get the approval from the Directorate:

Provided further that where subsequent to grant of a production lease, one or more mineral is found in the lease area and such minerals are included in the production lease, the periods of production lease for such included mineral shall be the same for which the first production lease was originally granted.

8. Discovery of atomic minerals by holder of an operating right.—(16) If a holder of an operating right which has been granted pursuant to the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024 discovers any atomic mineral, then he shall report the findings to the Department, Directorate and the administering authority in a format as may be specified by the Department.

(2) Upon receipt of a report under sub-rule (1), the Directorate shall compare the grade of atomic minerals in the area for which the operating right has been granted with the threshold value in respect of atomic minerals and,-

(a) if the grade of atomic minerals is less than the threshold value in respect of atomic minerals, the holder of the operating right may continue its operations in accordance with the provisions of Offshore Areas Operating Right Rules, 2024;

(b) if the grade of atomic minerals is equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, then—

(i) in case of a composite licence under section 12, the holder of such composite licence shall be eligible for grant of a composite licence, only if it is the Government, a Government company, or a corporation, by the administering authority, after consultation with the Department; or

(ii) in case of a production lease, the lessee shall continue production operations for that particular mineral for which the production lease was granted with the prior approval of the Department and in case of refusal by the Department the production lease shall be terminated by the Central Government, after consultation with the administering authority:

Provided that the atomic minerals so discovered during the production operations shall be handled and disposed of in accordance with the directives issued by the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety:

Provided further that in case the Central Government terminates the composite licence or in case the Central Government terminates the production lease on grounds of refusal by the Department, the Central Government shall pay the holder of the operating right such sum as in its opinion would represent a fair estimate of the expenditure incurred on such exploration operation or production operation, as the case may be.

(3) If the Directorate finds the report submitted under sub-rule (1) to be insufficient for making a determination under sub-rule (2), it may seek additional information from the holder of operating right or direct the holder

of operating right to continue exploration and submit findings with regard to such additional data as may be specified by the Directorate.

(4) On receipt of the findings and data referred to in sub-rule (3), the Directorate shall take action as specified in sub-rule (2).

CHAPTER IV
EXPLORATION PLAN AND PRODUCTION PLAN FOR ATOMIC MINERALS

9. Exploration plan.—(1) No exploration operations shall be undertaken with respect to a composite licence granted under sub-rule (10) of rule 6, except in accordance with an exploration plan which has been prepared, submitted, approved, modified and reviewed under the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.

(2) If a composite licence granted under sub-rule (10) of rule 6 is also for minerals other than atomic minerals, as per clause (c) of sub-rule (12) or rule 6, then the licensee shall prepare a composite exploration plan for undertaking exploration operations in respect of all the minerals specified in the composite licence, including the atomic minerals.

10. Production plan.—(1) No production operations shall be undertaken with respect to a production lease granted under sub-rule (10) of rule 7, except in accordance with a production plan which has been prepared, submitted, approved, modified and reviewed under the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules, 2024.

(2) If a production lease granted under sub-rule (10) of rule 7 is also for minerals other than atomic minerals, as per clause (c) of sub-rule (12) of rule 7, then the lessee shall prepare a composite production plan for undertaking production operations in respect of all the minerals specified in the production lease, including the atomic minerals.

CHAPTER V
TERMS AND CONDITIONS OF COMPOSITE LICENCE AND PRODUCTION LEASE

11. Terms and conditions of composite licence.—(5) Every composite licence shall be subject to the following conditions, namely:—

(a) for licence area, the licensee may win and carry, for the purposes other than commercial purposes,—

(i) any quantity of such atomic minerals within the limits specified in column (3) of Schedule B without any payment;

(ii) any quantity of such minerals not exceeding the limits specified in column (4) of Schedule B on payment of royalty specified in the First Schedule to the Act in respect to those minerals:

Provided that if any quantity in excess of the quantities referred to in this clause is won and carried away, the administering authority shall, recover the value of the excess quantity of minerals won and carried away or may initiate action under section 23 of the Act;

(b) with the prior approval of the administering authority, the licensee may carry away quantities of atomic minerals in excess of the limits specified in Schedule B, on payment of royalty specified in the First Schedule to the Act, for chemical, metallurgical, beneficiation or ore-dressing and other test purposes;

(c) if the licensee is convicted for illegal mining and there are no orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction, the Central Government may, in consultation with the Department and with intimation to the administering authority may,

without prejudice to any other proceedings that may be initiated under the Act or the rules made thereunder, terminate such composite licence and direct the administering authority to forfeit the performance security submitted by the licensee, after giving such licensee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and communicated to the licensee;

(d) the licensee shall take all necessary steps and measures for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government;

(e) the licensee shall comply with the provisions of the Act, the rules and all other applicable laws for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(f) the licensee shall make available all exploration data, reports, samples, including the data pertaining to quantum of such samples won and extracted, and other relevant information collected by him pursuant to an exploration operation, and shall submit the following, namely:–

(i) quarterly report within a period of thirty days after the close of the quarter;

(ii) annual report within a period of sixty days after the close of the year;

(iii) any other report as may be specified in the composite license,

to the Directorate, Department, Geological Survey of India, administering authority, and such other authority as may be specified;

(g) the licensee shall not share any data collected during the course of exploration operations with any third party for storage, processing or interpretation without the prior approval of the administering authority;

(h) the licensee shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the administering authority or the Central Government to enter upon any vessel, platform, installation or any other infrastructure in the licence area for the purpose of inspecting the same;

(i) the licensee shall maintain an accurate and true account of all the expenses incurred by it on exploration operations, and also the quantity and other particulars of all minerals obtained during such operations and their dispatch;

(j) the licensee shall maintain a daily log of data collected during the course of exploration operations on the vessel or installation whereby such operations are being carried out in the licence area and shall allow any officer authorised by the Department or Directorate or Central Government or the administering authority in this behalf to inspect such data logs and the licensee shall also comply with any other reporting requirements specified in the composite licence;

(k) the licensee shall have the right to deploy vessels, drones and bring upon the licence area all such temporary buoys, structures, steam and other engines, machineries, conveniences, and effects as may be deemed proper and necessary for effectively carrying on its exploration operations or for the employment of workmen thereon;

(l) the licensee shall comply with all applicable laws and regulations pertaining to movement and deployment of vessels, installations, machineries, engines, platforms, drones and other installations or implements in the offshore areas;

(m) the licensee shall ensure that any vessel, installation, machinery, engine, platform, drone and other installations or implements that have been deployed by it in the offshore areas have on board, and use equipment, such as satellite tracking equipment and voyage data recorder, that monitors and reports their activity

(n) the licensee shall, within a period of six months after the expiry or termination of the composite licence or date of abandonment of operations or surrender of excess area, whichever is earlier,—

(i) take all necessary steps enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government; and

(ii) remove expeditiously at his own cost, all vessels, structures, buoys, engines, machineries, implements, equipment and other property and effects erected or brought by the licensee on or in the licence area together with all minerals won by the licensee:

Provided that the provisions of this clause shall not apply, in the case of the area over which the licensee has been granted a production lease on or before the expiry or termination of the composite license, as the case may be;

(o) the licensee shall give at least two months' notice prior to commencement of the exploration operation to the Department, Directorate, administering authority, Indian Bureau of Mines and Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defense, to ensure that such operations do not interfere with any naval exercise in the area;

(p) in case foreign domiciled entities or foreign entities or contractors, personnel, vessels or equipments are engaged or deployed, for undertaking exploration operations, prior approval shall be obtained from the Government authorities, including any specific approvals mandated by the Central Government; any data collected and work carried out shall be under the supervision and control of Indian representatives of the licensee, who shall ensure appropriate security safeguards;

(q) the licensee shall ensure that the data generated during exploration operations, including any geological data, is processed, by foreign entities or contractors, in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign entity only with prior approval of the administering authority;

(r) prior to their deployment all vessels, to be deployed and installations to be erected, for exploration operations by the licensee himself or contracted companies, shall undergo and clear security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the licensee to the said officers to facilitate such inspection and clearance;

(s) all vessels to be deployed for exploration operations by the licensee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder;

(t) intimation regarding award of contracts to contracted companies or persons along with relevant details of the contracts, including the name of the contracted entity, duration of the contract, subject matter of the contract, nature of equipment employed and data to be collected, if any, shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, along with a copy to the administering authority, before commencement of the operations by the licensee, providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;

(u) visa, and such other permissions as may be required under the law for the time being in force, shall have to be obtained from the Government authority for all foreign personnel on board the vessel;

(v) the licensee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels and equipments deployed for exploration operations and the personnel onboard;

(w) the licensee shall, for issuing the marine safety warnings, immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations or platforms, equipments and machineries deployed within the licence area, and thereafter its new location as and when it is shifted;

(x) the licensee shall not interfere with any right of way in recognised sea lanes for the purposes of navigation or any other purpose as may be authorised by the Central Government;

(y) the licensee shall allow reasonable facilities of access to the other licensees or lessees over any area which is comprised in or adjoins or is reached by the licence area held by the licensee:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by the licensees or lessees to the operations of the licensee and fair compensation, as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority, shall be paid by them to the licensee for any loss or damage sustained by the licensee;

(z) the licensee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority, within the licence area;

(za) the licensee shall ensure that all personnels, vessels, installations, equipments and infrastructure deployed for the purposes of exploration operations in the licence area shall, at all times during the term of the composite licence, be insured by the licensee in accordance with such regulatory requirements, as applicable under any law for the time being in force, and such other terms and conditions as may be specified by the Central Government or the administering authority;

(zb) the Central Government or the Department shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the licence area in respect of which the composite licence has been granted:

Provided that the average sale price as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the licensee for all such minerals;

(zc) the licensee shall not carry on or allow to be carried on, any exploration operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority or any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

(zd) the Central Government, or any lessee or person authorised by it in that behalf by the administering authority or the Central Government, shall have the right to enter into or upon the licence area and lay upon or maintain, repair or replace, over or through the same, any pipelines, cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused to, or with, the liberties, powers and privileges of the licensee, and fair compensation, as may be mutually agreed upon, or in the event of disagreement, as may be decided by the administering authority, shall be made—

(i) to the licensee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to the licensee by such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be; or

(ii) by the licensee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;

(ze) the licensee shall forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, administering authority and any other Government authority, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its exploration operations;

(zf) the licensee shall not employ, in connection with the exploration operations, any person who is not an Indian national except with prior approval of the administering authority;

(zg) the licensee shall not carry on his operations in a manner that would injure any person or prejudicially affect any installations, vessels, works, property or rights of other persons and no offshore area shall be used by the licensee for exploration operations for works or purposes not included in the composite licence;

(zh) the licensee shall ensure the safety of vessels, installations or any other implements in the licence area, to the satisfaction of the administering authority or any other Government authority, as the case may be; and

(zi) the licensee shall work and carry on the exploration operations in a proper, skilful and workman-like manner.

(2) Failure on the part of the licensee to fulfil any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the composite licence shall not give the Central Government or the administering authority or the Department any claim against the licensee or be deemed a breach of the composite licence, in so far as such failure is considered by the Central Government or the administering authority or the Department to arise from a force majeure and in the event of any delay by the licensee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the composite licence on account of a *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the composite licence.

Explanation. — For the purposes of this clause, the expression "*force majeure*" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the licensee could not reasonably prevent or control.

(3) In addition to the conditions specified in sub-rule (1), a composite licence may contain the following conditions, as the Department or Directorate or administering authority or the Central Government as may deem fit to impose, namely:—

(i) indemnity to the Central Government, Department and administering authority against claims of third parties;

(ii) measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;

(iii) restrictions on exploration operations in any area prohibited by any competent authority;

(iv) the reporting of accidents;

(v) conditions regarding entry in certain parts of offshore areas;

(vi) facilities to be given by the licensee for working other minerals, mineral oil and hydrocarbon resources in the licence area or adjacent areas; and

(vii) any other conditions specified in the tender document for auction for grant of composite licence.

(4) The administering authority may, either with the prior approval of the Department or the Central Government at the instance of the Department or the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of minerals.

(5) In the case of breach of any condition imposed on any licensee under the Act and the rules made thereunder, the Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, by order in writing, terminate the composite licence and may direct the administering authority to forfeit, in whole or part, the performance security submitted by the licensee and take such other action in accordance with the Act and the rules made thereunder:

Provided that no such order shall be made without giving the licensee a reasonable opportunity of being heard and without recording the reasons in writing.

12. Terms and conditions of production lease.—(1) Every production lease shall be subject to the following conditions, namely: -

(a) the lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the rules and all other applicable laws for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(b) the lessee shall pay, for every year of the production lease period, such yearly fixed rent at the rates specified in the Second Schedule to the Act and if the production lease permits the working of more than one mineral in the same area, the Central Government shall not charge separate fixed rent in respect of each mineral:

Provided that the lessee shall be liable to pay the fixed rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher;

(c) the lessee shall also pay for any area used by him for the purposes of production operations, surface rent and other applicable charges, fees, taxes, cess, duties and levies, applicable for such area, as may be specified or imposed by the Central Government;

(d) the lessee shall commence production operations within a period of two years, as specified under clause (c) of section 14 of the Act, from the date of execution of the production lease deed and shall thereafter conduct such operations in a proper, skilful and workman-like manner;

Explanation.—For the purposes of this clause, the expression "production operations" shall include deployment of any vessel, erection of buoys, operation of engines or machineries, implementation of equipments, construction of artificial island or platform in the lease area or any other operation undertaken for the purpose of winning minerals;

(e) the lessee shall not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

(f) the lessee shall keep accurate and true accounts showing the quantity and other particulars of—

(i) all minerals obtained and dispatched from the lease area;

(ii) waste material excavated from the lease area;

(iii) the number and nationality of persons employed therein;

(iv) complete plans of the lease area, and shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority in this behalf, to examine at any time any account, plans, data logs and records maintained by him and shall furnish to the administering authority with such information and returns as it or any officer authorised by it in this behalf may require; and

(v) any other reporting requirements specified in the production lease:

Provided that in the case of minerals containing prescribed substances such information and returns shall be furnished only to the Director of the Directorate;

(g) the lessee shall keep accurate records of all excavations, pits and drillings made by the lessee in the course of production operations carried on by the lessee under the production lease and shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or administering authority to inspect the same and such records shall contain the following particulars, namely—

(i) the subsoil and strata below the seabed through which such excavations, pits or drillings pass;

(ii) details of any mineral encountered; and

(iii) such other particulars as the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority may require;

(h) the lessee shall comply with all applicable laws and regulations pertaining to movement and deployment of vessels, installations, machineries, engines, platforms, drones and other installations or implements in the offshore areas;

(i) the lessee shall ensure that any vessels, installations, machinery, engine, platform, drone and other installations or implements that have been deployed by it in the offshore areas have on board, and use equipment, such as satellite tracking equipment and voyage data recorder, that monitors and reports their activity;

(j) the lessee shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority to enter upon any vessel, platform, installation or any other infrastructure in the lease area for the purpose of inspecting the same;

(k) whenever production operation is undertaken for beach sand mineral deposits or heavy mineral deposits or areas containing atomic mineral in association with other minerals, the lessee shall maintain the records and details of the list of minerals mined, details of production methodology and storage location of these minerals, tonnage of such minerals, the mineralogy, complete material balance towards conservation of such minerals with respect to in situ mineral contents:

Provided that in case of beach sand minerals, the preferential separation of one or more of the heavy minerals of commercial interest from beach sand minerals would invariably result in enhancement of the relative content of other minerals and atomic minerals including monazite in the left-over beach sands and the lessee shall—

(i) maintain the details of quantity of waste and tailings generated during production operations and mineral beneficiation activities;

(ii) maintain the storage location in the plans and registers;

(iii) not transfer or sell or dispose such materials without the prior approval of the Department regarding conservation of atomic minerals and the directives issued by the Board regarding radiological safety;

(l) the Central Government or the Department shall at all times have the right of pre-emption of the minerals won from the lease area in respect of which the production lease has been granted:

Provided that the average sale price as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee for all such minerals;

(m) the lessee shall store and maintain accounts properly within the lease area of the unutilised or non-saleable subgrade ores or minerals for future beneficiation;

(n) the lessee shall take all necessary steps and measures enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, including any measures as may be specified by the Central Government;

(o) the lessee shall also comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act.

(p) the lessee shall not carry on his operations in a manner that would injure any person or prejudicially affect any installations, vessels, works, property or rights of other persons and no offshore area shall be used by the lessee for production operations for works or purposes not included in the production lease;

(q) the lessee shall not interfere with any right of way in recognised sea lanes for the purposes of navigation, or any other purpose as may be authorised by the Central Government;

(r) the lessee shall allow reasonable facilities of access to any lessees over any area which is comprised in or adjoins or is reached by the lease area held by the lessee:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused by the lessees to the operations of the lessee and fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority shall be paid by them to the lessee for any loss or damage sustained by the lessee;

(s) the lessee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority, within the lease area;

(t) any lessee or person authorised by it in that behalf by the Department, Directorate, administering authority or the Central Government, shall have the right to enter into upon the lease area and lay upon or maintain, repair or replace, over or through the same, any pipelines, cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations or any other purpose authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be:

Provided that no substantial hindrance or interference shall be caused to, or with, the liberties, powers and privileges of the lessee, and fair compensation, as may be mutually agreed upon, or in the event of disagreement, as may be decided by the administering authority, shall be made—

(i) to the lessee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to the lessee by such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be; or

(ii) by the lessee for all loss or damage or substantial hindrance or interference caused to such other lessee or person authorised by the administering authority or the Central Government, as the case may be;

(u) the lessee shall at his own expense, erect, maintain, display and keep in repair all notices or floaters or signage or buoys, marking the boundary of the lease area to the satisfaction of

the Department, Directorate, administering authority and other Government authorities, including the Indian Coast Guard and the Indian Navy;

(v) the lessee shall maintain daily logs of data collected during the course of production operations on the vessel or installation whereby such operations are being carried out in the lease area and shall allow any officer authorised by the Department or Directorate or the Central Government or the administering authority in this behalf to inspect such data logs and the lessee shall also comply with any other requirements specified in the production lease;

(w) the lessee shall make available all production data, reports, samples, including the data pertaining to number of persons engaged, geological and geophysical data relating to production fields, engineering surveys, investigation of atomic minerals, quantum of minerals won and extracted, and other relevant information collected by him pursuant to a production operation, and shall submit the following, namely:—

(i) annual report within a period of sixty days after the close of the year;

(ii) any other report as may be specified in the production lease,

(x) to the Directorate, Geological Survey of India, administering authority, the Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified;

(y) the lessee shall not share any data collected during the course of production operations with any third party for storage, processing or interpretation without the prior approval of the administering authority;

(z) the lessee shall pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury or disturbance which may be caused by him and shall indemnify and keep indemnified, the Department, administering authority and the Central Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(aa) in case foreign domiciled entities or foreign entities or contractors, personnels, vessels or equipments are engaged or deployed, for undertaking production operations, prior approvals shall be obtained from the Government authorities, including any specific approvals mandated by the Central Government any data collected and work carried out shall be under the supervision and control of Indian representatives of the lessee, who shall ensure appropriate security safeguards;

(za) the lessee shall ensure the safety of vessels, installations or any other implements in the lease area, to the satisfaction of the administering authority or any other Government authority, as the case may be;

(zb) the lessee shall ensure that data generated during the production operations, including any geological data, is processed, by foreign entities or contractors, in India and such processed and unprocessed data may be imparted to any foreign entity only with prior approval of the administering authority**;**

(zc) the lessee shall give at least two months' notice prior to commencement of the operations to the Department, Directorate, administering authority, the Indian Bureau of Mines and the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, to ensure that such operations do not interfere with any naval exercise in the area;

(zd) prior to their deployment, the lessee shall ensure that all vessels to be deployed and installations to be erected in the lease area by the lessee or by the contracted companies, shall undergo and clear naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the lessee to the aforesaid offices to facilitate such inspection and clearance;

(ze) all vessels to be deployed for production operations by the lessee shall obtain prior clearance from the Directorate General of Shipping in terms of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and the rules made thereunder;

(zf) the lessee shall ensure that intimation regarding award of contracts to contracted companies or persons along with relevant details of the contracts, including the name of the contracted entity, duration of the contract, subject matter of the contract, nature of equipments employed and data to be collected, if any, shall be forwarded to the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence, along with a copy to the Department, Directorate, administering authority, before commencement of the operations by the lessee, providing six monthly long case on vessels deployment by operating companies;

(zg) visa and such other permissions as may be required under the law for the time being in force, shall have to be obtained from the Government authority for all foreign personnel on board the vessel;

(zh) the lessee shall take all precautionary measures for safety and security of all vessels and equipments deployed for production operations and the personnel on board;

(zi) the lessee shall, for issuing the marine safety warnings, immediately inform the Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and the Department, Directorate, administering authority, the location indicating co-ordinates of all vessels, existing and under construction offshore installations or platforms, equipments and machineries deployed within the lease area, and thereafter its new location as and when it is shifted;

(zj) the lessee shall forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Department, Directorate, administering authority and any other Government authority, without delay, a report of any accident causing death or serious bodily injury or serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of its production operations;

(zk) the lessee shall maintain a copy of the production plan at the vessel or installation by way of which production operations are being carried out in the lease area, or at an earmarked site;

(zl) the lessee shall not employ, in connection with the production operations, any person who is not an Indian national except with the prior approval of the administering authority;

(zm) the lessee shall allow any officer authorised by the Department or the Directorate or the Central Government or the administering authority as the case may be, to enter upon any portion of lease area to inspect the lease area at all reasonable times and shall also supply, on demand all applicable plans and sections of the lease area as also the quantity of reserves grade-wise;

(zn) the lessee shall, unless specifically exempted by the administering authority, provide, and at all times keep, within the lease area or at point of discharge from the lease area and at the port of unloading or discharge in India, at which the minerals shall be brought, a properly constructed and efficient weighing or measurement system, which may be specified;

(zo) the lessee shall weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all the produced and dispatched minerals, in accordance with the manner as may be specified:

Provided that the lessee shall at the close of each day ensure that the total data on production and dispatch of minerals, including all weights and measurements have been entered in the books of accounts maintained by the lessee:

Provided further that the lessee shall at all times during the term of the production lease, permit the administering authority, Department, Directorate and the Central Government to employ any person or persons to be present at the weighing or the

measurement of the said minerals as aforesaid, and to keep accounts thereof, and to check the accounts kept by the lessee and the lessee shall give seven days prior notice in writing to the administering authority and authorised officer of the Department and Directorate for every such weighing, or measuring, in order that he or some officer on his behalf may be present thereat;

(zp) the lessee shall at any time during the term of the production lease, allow any person or persons appointed in that behalf by the administering authority, Department, Directorate or the Central Government, to examine and test every weighing machine or measurement system to be provided and kept as aforesaid and the weights or systems used therewith in order to ascertain whether the same respectively are correct and in good repair and order:

Provided that if upon any such examination or testing, any such weighing machine or weights or measurement system is found incorrect, or out of order, the Department may require that the same be adjusted and put in order, by and at the expense of the lessee and if such requisition is not complied with within a period of fourteen days after the same has been made, the Department or any person authorised by the Central Government in this behalf may not grant transit permit till such weighing machine or weights or measurement system is calibrated and put in order;

(zq) if upon any such examination or testing as aforesaid, any error is discovered in any weighing machine or weights to the prejudice of the administering authority, Department, Directorate or the Central Government, such error shall be regarded as having existed for a period of three months prior to the discovery thereof or from the last occasion of examining and testing the same weighing machine, weights and measurement system, in case such occasion is within the said period of three months, and the lessee shall, in addition to any other penalty or civil liability which may be imposed under the Act or rules made thereunder, pay the rent, royalty or any such other payment as applicable, accounted for accordingly;

(zr) if the lessee fails to carry out or perform any of its obligations under this sub-rule or under the production lease deed within the time specified in that behalf, the Department may, at its discretion, cause the same to be carried out or performed and the lessee shall pay the Department, on demand, all expenses incurred in this regard by the Department and the decision of the Department as to such expenses shall be final.

(zs) the lessee may, after paying the rents, rates and royalties payable under the Act and the rules made thereunder or under the production lease deed, on the expiry or termination of the lease term or within a period of six months thereafter (unless the production lease is terminated for default of the lessee, and in that case at any time not less than three months nor more than a period of six months after such termination) dismantle and remove for its own benefit, all or any ore mineral excavated during the currency of the production lease, vessels, installations, engines, machineries, pipelines, structures, equipments, platforms and infrastructure, erections and conveniences which may have been erected, set up or placed by the lessee in or upon the lease area and which the lessee is not bound to deliver to the Department or which the Department does not desire to purchase;

(zt) if at the end of a period of six months after the expiry or termination of the production lease term there shall remain in or upon the lease area, any ore or mineral, engine, machineries, pipeline, structure, equipments, platform, and other work, erections and conveniences or other property which are not required by the lessee, the same shall, if not removed by the lessee within a period of one month of being notified to do so by the Department, be deemed to become the property of the Central Government and may be sold or disposed of, at the cost of the lessee, in such manner as the Department or the Central Government as may deem fit without liability to pay any compensation or to account to the lessee in respect thereof; and

(zu) the lessee shall ensure that every personnel, vessel, installation, equipment and infrastructure deployed for the purposes of production operations in the lease area shall, at all times during the term of the production lease, be insured by the lessee in accordance with such regulatory requirements, as applicable under any law for the time being in force, and such other terms and conditions as may be specified by the Central Government or the administering authority.

(2) Failure on the part of the lessee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and the rules made thereunder or under the production lease shall not give the Central Government or the administering authority or the Department any claim against the lessee or be deemed a breach of the production lease, in so far as such failure is considered by the Central Government or the administering authority or the Department to arise from a force majeure and in the event of any delay by the lessee to fulfill any of the terms and conditions of the Act and rules made thereunder or under the production lease on account of a *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by these rules or the production lease.

Explanation.— For the purposes of this clause the expression "*force majeure*" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire and any other happening which the lessee could not reasonably prevent or control.

(3) The lessee shall report to the Department, Directorate, administering authority, the discovery in the lease area of any mineral not specified in the production lease as soon as reasonably practicable, and in no event later than a period of sixty days from the date of such discovery, and shall not win and dispose of such discovered mineral without inclusion of such discovered mineral in the production lease deed.

(4) In addition to the conditions specified in sub-rule (1), a production lease may contain following conditions as the Department or Directorate or administering authority or the Central Government as may deem fit to impose, namely:-

(a) the time-limit, mode and place of payment of rents and royalties;

(b) take measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including, marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be notified by the Central Government;

(c) restrictions on production operations in any area prohibited by any competent authority;

(d) the notice by lessee for—

(i) entering into the lease area prior to commencement of production operations; and

(ii) commencement of production operations;

(e) the provision of proper weighment of mineral dispatched;

(f) the reporting of accidents;

(g) the indemnity to the Central Government, Department and administering authority against claims of third parties;

(h) the delivery of possession of lease area on the surrender, expiration or termination of the production lease;

(i) the forfeiture of property left after termination of production lease;

(j) the power to take possession of the lease area, vessels, installations and other infrastructure in the event of war or emergency; and

(k) any other conditions deemed necessary for grant of production lease.

IndiaCode

(5) The administering authority may, either with the prior approval of the Department or Central Government or at the instance of the Department or the Central Government, impose such further conditions as may be necessary in the interest of conservation and development of atomic minerals or areas containing atomic minerals in association with other minerals.

(6) When a production lease is granted by the administering authority, arrangements shall be made by the Department or Directorate or administering authority, at the expense of the lessee, for the survey and demarcation of the lease area.

(7) Subject to the conditions specified in this rule, the lessee for the purposes of production operations on the lease area to—

(a) work the mines, win and carry away the mineral;

(b) sink pits;

(c) erect, install or deploy, as the case may be, any vessels, platforms, equipments, installations and other infrastructure;

(d) use sea water if required for production operations or transportation;

(e) use any part of offshore lease area for storage purpose; and

(f) do any other thing specified in the production lease.

(8) If the lessee does not allow entry or inspection under clause (g), clause (j), clause (v), clause (zm), or clause (zp) of sub-rule (1), the Department shall give notice in writing to the lessee requiring him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why the production lease should not be terminated and the performance security submitted by the lessee be forfeited; and if the lessee fails to show cause within the aforesaid time to the satisfaction of the Department, the Central Government, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, may terminate the production lease and may direct the administering authority to forfeit the whole or part of the performance security submitted by the lessee and take such other action in accordance with the Act and the rules made thereunder.

(9) If the lessee is convicted for illegal mining and there are no orders of any court of law suspending the operation of the order of such conviction, the Central Government, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, may, without prejudice to any other proceedings that may be taken under the Act or the rules made thereunder, terminate such production lease and may direct the administering authority to forfeit the performance security submitted by the lessee, after giving such lessee an opportunity of being heard and for reasons to be recorded in writing and shall communicate to the lessee.

(10) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under sub-section (1) of section 16 of the Act or contribution to the Offshore Areas Mineral Trust under sub-section (5) of section 16A of the Act or payment of fixed rent as required by sub-section (1) of section 17 of the Act or contribution towards the International Seabed Authority as required under section 18 of the Act or commits a breach of any of the conditions specified in the sub-rules (1), (2) and (5), the administering authority shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or fixed rent or contribution to the International Seabed Authority or to the Offshore Areas Mineral Trust to remedy the breach, as the case may be, within a period of sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or fixed rent or contribution to the International Seabed Authority or to the Offshore Areas Mineral Trust is not paid or the breach is not remedied within the said period, the Central Government, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, may, without prejudice to any other proceedings that may be initiated against him, terminate the production lease and may direct the administering authority to forfeit the whole or part of the performance security submitted by the lessee.

13. Action for contravention or non-fulfillment of obligations.— (1) In the case of contravention or non-fulfillment of the obligations under the exploration licence deed of composite licence or production lease

deed or the terms and conditions of composite licence or production lease, the Central Government, on recommendation of the Department and with intimation to the administering authority, reserves the right to take appropriate action, including the right to terminate the composite licence or production lease or direct the administering authority to forfeit, in whole or part, the amount of performance security deposited by the holder of composite licence or production lease:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee a reasonable opportunity of stating his case.

(2) If the licensee or lessee fails to carry out or perform any of its obligations under this sub-rule or under the exploration licence deed of composite licence or production lease deed within the time specified in that behalf, the Department may cause the same to be carried out or performed and the licensee or lessee shall pay the Department, on demand, all expenses incurred in this regard by the Department and the decision of the Department as to such expenses shall be final.

CHAPTER VI

LAPSE, SURRENDER OR TERMINATION

14. **Lapsing of composite licence.—**(1) Where the licensee fails to commence exploration operations within a period of one year after the grant of composite licence, or upon commencement, discontinues the exploration operations for a period of two years, the administering authority shall, after consultation with the Department and subject to the provisions of sub-rule (4) of rule 16, by an order declare the composite licence as lapsed from the date of execution of the composite licence or, as the case may be, discontinuance of the operation, and communicate the declaration to the licensee.

(2) The lapsing of a production lease shall be recorded through an order issued by the administering authority and shall also be communicated to the lessee, Directorate and Department.

(3) The administering authority may forfeit the performance security submitted by the licensee in full or in part, upon the lapse of a composite licence.

(4) The licensee shall pay any expenditure incurred by the Central Government, administering authority, the Directorate and the Department over and above the performance security, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the exploration operations.

15. **Lapsing of production lease.—**(1) Where the lessee fails to commence production operations within a period of two years after the grant of production lease, or upon commencement, discontinues the production operations for a period of two years, the administering authority shall, after consultation with the Department and subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 16, by an order declare the production lease as lapsed from the date of execution of the production lease or, as the case may be, discontinuance of the operation, and communicate the declaration to the lessee.

(2) Where production and dispatch has not commenced within a period of four years after the execution of the production lease, or is discontinued for a period of two years after commencement of production and dispatch, the administering authority shall, after consultation with the Department and subject to the provisions of sub-rule (1) of rule 16, by an order, declare the production lease as lapsed on the expiry of the period of four years from the date of its execution or, as the case may be, a period of two years from the date of discontinuance of the production and dispatch, and communicate the declaration to the lessee.

(3) The lapsing of a production lease shall be recorded through an order issued by the administering authority and shall also be communicated to the lessee, Directorate and Department.

(4) The administering authority may forfeit the performance security submitted by the lessee in full or in part, upon the lapse of a production lease.

(5) The lessee shall pay any expenditure incurred by the Central Government, administering authority, Directorate and the Department over and above the performance security, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations.

16. Application for extension of periods.—(1) Where—

(a) a licensee is unable to commence exploration operation or upon commencement, discontinues the operation within the period specified under sub-rule (1) of rule 14;

(b) a lessee is—

(i) unable to commence the production operations or upon commencement, discontinues the operation within the period specified in sub-rule (1) of rule 15; or

(ii) unable to commence the production and dispatch, or upon commencement, such production and dispatch is discontinued for the period specified under sub-rule (2) of rule 15,

in each case, for reasons beyond its control, it may submit an application to the administering authority, at least three months before the expiry of such period, seeking an extension of such period duly explaining the reasons for the same:

Provided where the licensee or the lessee has failed to make the application within the time specified above, due to the reasons beyond its control but has made application before the lapse of the composite licence, or the production lease, the administering authority may condone the delay in making such application.

(2) Every application made under sub-rule (1) shall specify in detail, namely:—

(a) the reasons on account of which it is not possible for the lessee to undertake exploration operation or production operations or production and dispatch, as the case may be or continue exploration operations or production operations or production and dispatch, as the case may be;

(b) the manner in which such reasons are beyond the control of the licensee or lessee; and

(c) the steps that have been taken by the licensee or lessee to mitigate the impact of such reasons.

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee *of one* lakh rupees.

(4) The administering authority shall, after examining the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of exploration operations or production operations or production and dispatch, or discontinuance thereof, as the case may be, and in consultation with the Department, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (1) or the date on which the composite licence or production lease, as the case may be, would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such application:

Provided that any such extension shall not be granted for a period exceeding one year and such extension shall not be granted for more than once during the entire period of the composite licence or the production lease, as the case may be.

17. Surrendering production lease.—(1) The lessee may make an application to the administering authority for surrendering of the entire or a part of the production lease after giving a notice in writing of not less than a period of six months from the intended date of surrender.

(2) The administering authority shall permit surrender of entire or a part of the lease area only with the prior approval from the Department.

(3) The administering authority may allow surrendering a production lease under sub-rule (1) subject to the following conditions, namely:-

(a) every application for surrender of lease area, or part thereof, shall be accompanied by an approved final mine closure plan;

(b) the lessee has submitted a certificate from the Director of the Directorate confirming implementation of the final mine closure plan approved by the Director of the Directorate, including any other document to evidence implementation of the approved final mine closure plan;

(c) surrender of a part of the lease area shall comprise only contiguous standard blocks along the boundaries of the existing lease area and such area shall have been properly surveyed;

(d) all dues with respect to the production lease have been settled;

(e) the lessee shall deposit an amount equal to the estimated expenditure (in excess of the existing performance security), if any, to be incurred by the Central Government, administering authority, Directorate or the Department towards protective measures or take any necessary steps or such other measures, as may be specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations in the lease area; and

(f) the provisions regarding systematic development of mineral deposit provided in the production plan including the measures for protection of environment have been complied with.

(4) In case of surrender of the entire area before exhaustion of the mineral resources, the performance security provided by the lessee shall be forfeited:

Provided that the performance security shall not be forfeited in case—

(i) the lessee faces hindrances in production operations due to operations of other lessees of petroleum or offshore wind power projects or operations of Government security agencies or other government agencies; or

(ii) ten years have elapsed after execution of production lease and the lessee finds the production operations are uneconomic.

(5) The administering authority may refuse to accept such surrender of the entire or a part lease area for the reasons to be communicated in writing to the lessee.

(6) The lessee shall pay any expenditure over and above the performance security incurred by the Central Government, administering authority, Directorate or the Department towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or measures, including as specified by the Central Government, to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations in the lease area which has been surrendered.

18. Termination.—(1) The Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, terminate a production lease or composite licence under the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Act, if it is of the opinion that such termination is expedient in public interest, strategic interest of the country, in the interest of development and regulation of offshore mineral resources, preservation of natural environment and prevention of pollution, avoidance of danger to public health or communication, ensuring safety of any offshore structure or conservation of mineral resources or for any other reason.

(2) Without prejudice to sub-rule (1) and subject to sub-rule (2) of rule 11 and sub-rule (2) of rule 12, the Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority, terminate a composite licence or production lease, if such lessee at any time during the term of the production lease or composite licence, —

(a) fails to fulfil, or contravenes, any of the terms, covenants and conditions contained therein or in the Act or the rules made thereunder; or

(b) fails to use the offshore area covered by it for bona fide purpose for which it has been granted; or

(c) uses such offshore area for a purpose other than for which it has been granted; or

(d) fails to comply with Indian laws and regulations, international conventions or treaties to which India is a party including those applicable for environmental protection, pollution control, hazardous wastes; or

(e) fails to abide by the directives of the administering authority, Central Government, Department, Directorate or Government security agencies.

(3) No order for premature termination of operating right under this rule shall be made except after giving the lessee or the licensee, as the case may be, a reasonable opportunity of being heard, except in cases where premature termination is being done on the grounds of strategic interest of the country.

(4) Irrespective of anything contained in this rule, if any failure, contravention or use referred to in sub-rule (2), is of a remediable nature, the Central Government may give notice to such person requiring him to remedy the same within a period of sixty days from the date of receipt of the notice and informing him that his composite licence or production lease may be terminated without any further notice, in case such failure, contravention or use is not remedied within such period specified above.

(5) In the event of termination of a production lease or composite licence under the provisions of the Act or the rules made thereunder, the administering authority may forfeit the performance security submitted by the lessee.

(6) The lessee or the licensee shall deposit an amount equal to the estimated expenditure *(in excess of the forfeited performance security)*, if any, to be incurred by the Central Government, Directorate, Department or the administering authority, as determined by the administering authority, towards carrying out any protective measures or taking any necessary steps, or such other measures, as may be specified by the Central Government to enable the natural rehabilitation of the seabed affected by the production operations, as the case may be.

19. Transfer of production lease or composite licence.—(1) The holder of a production lease or composite licence (herein after referred to as the transferor) may transfer his production lease or composite licence, as the case may be, to any person eligible to hold a production lease or composite licence in accordance with the provisions of section 13B of the Act and the rules made thereunder (herein after referred to as the transferee) with the prior approval of the administering authority.

(2) The transferor and the transferee shall, prior to the transfer, jointly submit an application to the administering authority in Form E, which shall contain details of the consideration payable by the transferee for the transfer, including the consideration in respect of the exploration operations or production operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.

(3) The administering authority shall, subject to previous approval of the Department, convey its decision to approve or reject such transfer for the reasons to be recorded in writing:

(a) Provided that no such transfer of a production lease or a composite licence shall be made in contravention of any condition subject to which the production lease was granted.

(4) Every transfer effected under this rule shall be subject to the condition that all dues with respect to the composite licence or production lease shall be settled prior to such transfer, and that the transferee has accepted all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a production lease or composite licence, as the case may be.

(5) On and from the date of transfer, the transferee shall be liable towards the administering authority, Department and the Central Government with respect to any and all liabilities with respect to the composite licence or production lease, as the case may be.

(6) The transferor and the transferee shall jointly submit a registered deed, in Form F, within a period of thirty days from the date of receipt of a letter of approval from the administering authority as specified in sub-rule (3).

(7) If a registered transfer deed is not submitted to the administering authority in accordance with sub-rule (6), the transfer application made under sub-rule (2) shall become ineligible.

(8) The date of commencement of the transfer deed shall be the date on which an executed transfer deed is registered.

(9) Every holder of a composite licence or production lease who transfers such composite licence or production lease, in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, to any other person, shall, within a period of thirty days of the date of such transfer, send an intimation thereof in Form G to the Department, Directorate and the administering authority.

(10) The administering authority shall intimate the Naval Headquarters (Directorate of Naval Intelligence), Ministry of Defence and such other authority or department as specified by the Department, in writing about any transfer of a composite licence or production lease, as the case may be.

(11) The Central Government may, after consultation with the Department and with intimation to the administering authority may, by an order in writing terminate any production lease or composite licence, as the case may be, and the administering authority may forfeit the performance security, at any time if the lessee or the licensee, has committed a breach of any of the provisions of this rule or has transferred such production lease or composite licence or any right, title, or interest therein otherwise than in accordance with this rule:

Provided that no such order shall be made without giving the lessee or licensee a reasonable opportunity of being heard.

20. Encumbrance and enforcement of security interest.—(1) A person holding a composite licence or production lease may create any encumbrance over such composite licence or production lease.

(2) In the event of enforcement of security interest with respect to such encumbrance, the operating right shall be assigned only to such transferee who meets all the eligibility conditions which were required to be met by the transferor for grant of such composite licence or production lease and in the manner as specified in rule 19:

Provided that in such cases the creditors enforcing the security interest may submit the transfer application on behalf of the transferee.

CHAPTER VII

MINERALS VALUATION

21. Valuation of atomic mineral.—Valuation of atomic minerals shall be in accordance with the provisions of Chapter VII of the Offshore Areas Operating Right Rules, 2024, as applicable:

Provided that wherever any power, function or responsibility of the Indian Bureau of Mines or its officers is specified or any information is to be submitted to the Indian Bureau of Mines or its officers, the same shall be deemed to be power, function or responsibility of the Directorate or its officers or requirement of submission of information to the said Directorate or its officers for minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, in the following manner, namely:-

(a) any reference to the Indian Bureau of Mines, to be deemed to be reference to the Directorate;

(b) any reference to the Controller General or the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller or the Indian Bureau of Mines, to be deemed to be reference to the Director or as the case may be, the authorised officer of the Directorate.

IndiaCode

CHAPTER VIII
PAYMENTS

22. **Fees and deposit are to be made.—**Any amount payable under the Act or the rules made thereunder except that payable in respect of an appeal under sub-rule (2) of rule 26; an exploration plan under sub-rule (1) of rule 9; production plan under sub-rule (1) of rule 10, shall be paid in such manner as the administering authority may specify in this behalf.

23. **Payment of interest.—**The administering authority may, without prejudice to the provisions contained in the Act or the rules made thereunder, charge simple interest at the rate of twelve per cent. per annum on any rent, royalty or fee other than the fee payable under sub-rule (1) of rule 9 or sub-rule (1) of rule 10, or other sum due to that the administering authority under the Act or rules made thereunder or terms and conditions of any operating right from the expiry of the date fixed by the administering authority for payment of such royalty, rent, fee or other sum and until payment of such royalty, rent, fee or other sum is made.

24. **Payments under production lease.—** The lessee shall pay royalties to the Central Government in the manner specified in section 16 of the Act or the fixed rent specified in section 17 of the Act.

25. **Payments under section 16A and section 18 of the Act.—**In addition to the payments specified herein, the holder of a production lease shall be required to pay to the Offshore Areas Mineral Trust and the International Seabed Authority in accordance with the provisions of sections 16A and section 18 of the Act, and the rules made thereunder.

IndiaCode

CHAPTER IX
APPEAL

26. **Application for appeal.—**(2) Any person aggrieved by any order passed by the administering authority, the Directorate or any officer in exercise of the powers conferred on it by the Act or the rules made thereunder, in relation to atomic minerals having grade equal to or greater than the threshold value in respect of atomic minerals, may prefer an appeal to the Department in triplicate in Form H in each case, within a period of three months of the date of receipt of such order:

Provided that any such appeal may be entertained after the said period of three months if the appellant satisfies the Department that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the stipulated time.

(2) The appeal shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees payable either by way of a bank draft drawn on a Scheduled bank in the name of 'Pay and Accounts Officer, the Department of Atomic Energy' payable at Mumbai, in case of an appeal lying before the Department, or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Department.

(3) Every appeal under sub-rule (1) shall be made only after impleading all the necessary parties and serving a copy of the memorandum of appeal on such parties by way of advance service and furnish proof thereof.

(4) The appellant shall, along with the memorandum of appeal under sub-rule (1), submit as many copies as may be specified by the Department.

(5) On receipt of the memorandum of appeal, the Department shall send a notice to each of the parties impleaded under sub-rule (3) specifying a date on or before which he may makes his representation, if any, against the appeal.

(6) The Department shall be empowered to specify any applicable procedures or requirements for deciding appeals under this rule.

27. **Orders on appeal application.—**(2) On receipt of a memorandum of appeal under rule 26, the Department shall forward the copies of such memorandum of appeal to the administering authority or Directorate or other authority calling upon them to make such comments as they may like, within a period of three months from

the date of issue of the communication, and the administering authority or Directorate or other authority, while furnishing comments to the Department shall simultaneously endorse a copy of the comments to the other parties.

(2) The comments received from any party under sub-rule (1) shall be forwarded to the other parties for making such further comments as they may like to make within a period of one month from the date of issue of the communication and the parties making further comments shall send them to all the other parties.

(3) The application for appeal, the communications containing comments and counter-comments referred to in sub-rules (1) and (2) shall constitute the records of the case.

(4) After considering the records referred to in sub-rule (3), and after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems proper, the Department may confirm, modify or reverse the order appealed against or send back the case with such directions as it may deem fit for a fresh order after taking additional evidence, if necessary.

(5) During the pendency of appeal, the Department may for sufficient cause, stay the execution of the order against which an appeal has been preferred.

CHAPTER X
MISCELLANEOUS

28. Ownership and confidentiality of exploration data.—(2) All data obtained as a result of exploration operations or production operations including, but not limited to, all geophysical data relating to exploration or production or engineering surveys such as anomaly maps, sections, plans, structures, contour maps, logging, reports, samples, including the data pertaining to quantum of such samples won and extracted, shall be the sole property of the Central Government:

Provided that such lessee or agency specified or notified under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act may make use of such data, free of cost, for the purpose of such exploration operations or production operations, as the case may be.

(2) While submitting reports under sub-rule (4) of rule 4 or sub-rule (17) of rule 6, the agencies permitted under the proviso to sub-section (1) of section 5 of the Act or the holder of the composite licence, as the case may be, may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided that the Central Government may use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that upon termination or expiration or completion of the reconnaissance operation or exploration operation or abandonment, all reports and data submitted by the said agencies shall become the sole property of the Central Government.

(3) While submitting reports under clause (f) of sub-rule (1) of rule 11 or clause (w) of sub-rule (1) of rule 12, the lessee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as it may deem fit:

Provided that the Central Government may use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided further that upon termination or expiration or surrender or abandonment of the production lease, all reports and data submitted by the said lessee shall become the sole property of the Central Government.

29. **Power to rectify apparent mistakes.—**Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Department or administering authority or any other authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may, within a period of two years from the date of the order, be corrected by the Central Government, authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

30. **Copies of production lease, annual returns and reports, to be supplied to the Ministries and other authorities.—**(1) Upon grant of any operating right, a list containing the details of the offshore areas for which such operating right has been granted by the administering authority shall be furnished to the Ministries and departments as specified under sub-rule (3) of rule 6 or sub-rule (3) of rule 7, as the case may be.

(2) A copy of every operating right granted under the Act and the rules made thereunder shall be furnished by the administering authority within a period of two months of such grant to the Director of the Directorate and the Director General, Directorate General of Mines Safety.

(3) A consolidated annual return of all composite licences and production leases granted under the Act and the rules made thereunder shall also be furnished by the administering authority to the Director of the Directorate in such form as may be specified by him, not later than the 30th day of June following the year to which the return relates, a copy of which shall also be furnished by the administering authority to the Director General, Directorate General of Mines Safety at the same time.

(4) All relevant data, reports, samples and other relevant information pertaining to production operations as submitted by the lessee under clause (f) of sub-rule (1) of rule 11 and clause (w) of sub-rule (1) of rule 12, shall be submitted by the administering authority to the Chief Hydrographer to the Government of India and to the Directorate General of Hydrocarbons within one month of from the date of receipt.

IndiaCode

31. **Change of name, address to be intimated.—**The holder of a composite licence or production lease shall intimate to the Department and administering authority within a period of sixty days any change that may take place in its name, registered office and details of majority owners or other particulars furnished to the Department and the administering authority in Form I.

32. **Furnishing of geophysical data, etc.—**(1) A holder of an operating right or a person conducting exploration operations, as the case may be, shall furnish all information pertaining to investigations of atomic minerals collected or discovered and stored by him during the course of exploration operations and production operations to the administering authority, Director of the Directorate, Director General, Geological Survey of India, and any other authority as may be specified by the Department, in which the exploration operations or production operations are carried on.

(2) The data or information referred to in sub-rule (1) shall be furnished every year reckoned from the date of commencement of the period of the production lease.

33. **Registers.—** A register of operating rights granted under the Act and the rules made thereunder shall be maintained by the administering authority in Form J, which shall be accessed by the Directorate, the Department and the Board, whenever required, for the purpose of ensuring conservation of atomic minerals, and enforcing radiological safety regulations, respectively.

34. **Amalgamation of production leases.—**(1) The administering authority may, in the interest of mineral development, and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining production leases held by a lessee:

Provided that the period of amalgamated production leases shall be co-terminus with the production lease, whose period shall expire first:

Provided further that prior approval of the Department shall be obtained for such amalgamation.

(2) Without prejudice to the provisions of the Act or any rules made thereunder or the terms and conditions of a production lease, every holder of a production lease shall, within a period of thirty days from the date of amalgamation of production leases carried out under sub-rule (1), send an intimation thereof to the Department, Directorate and the administering authority.

35. Boundaries below sea level.— The boundaries of a composite licence or production lease shall be indicated by the longitudes and latitudes and shall run vertically downwards below the surface towards the centre of the earth.

36. Supply of certain information to new operating right holder.—Where any area has previously been held under an operating right, the person who was granted such operating right shall make available to the new operating right holder the original or certified copies of all plans, including abandoned workings, in that area.

37. Completion of any requirement on a public holiday.— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

Explanation.— For the purpose of this rule, the expression 'public holiday' includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.

CHAPTER XI
PENALTY

38. Penalty.— (1) Whoever contravenes the provisions of sub-rule (4) or (7) of rule 4 or rule 32 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine of five lakhs rupees, which may extend to ten lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to one lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

(2) Whoever contravenes the provisions of rule 8, rule 9, rule 10, rule 11, rule 12, sub-rule (4) of rule 14, sub-rule (5) of rule 15, sub-rule (6) of rule 17, sub-rule (6) of rule 18, rule 19, rule 20, rule 24, rule 25 or rule 31 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine of fifty lakhs rupees, which may extend to one crore rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to five lakh rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

SCHEDULE A
[See rules 4(1), 4(4), 5, 6(17), 6(19)]

Parameters for Establishing the Existence of Mineralisation for Atomic Minerals

The terms used, pertaining to levels of exploration and the category of resources and reserves achieved through various levels of exploration have been defined in Part I of the Schedule. The parameters for establishing the existence of mineral content in an area in terms of quantity and grade have been specified in Part II, Part III, Part IV and Part V of the Schedule.

Part I Definitions

The definitions and codes used in this Part are proposed following the United Nations Framework Classification and Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards Template and have been suitably modified to suit the needs of the country.

(a) Definition of stages of exploration:

The exploration for any mineral deposit involves four stages, namely, Reconnaissance Survey (G4), Preliminary Exploration (G3), General Exploration (G2) and Detailed Exploration (G1) and these stages of exploration lead to four resource categories, namely, Reconnaissance Mineral Resource, Inferred Mineral

Resource, Indicated Mineral Resource and Measured Mineral Resource respectively reflecting the degree of geological assurance, which are explained as follows: —

Sl. No.	Stages of Exploration	Definition with explanation
1.	**Reconnaissance Survey (Exploration) (G4)** Quantity with grade estimated mostly based on regional seabed mapping supported by limited subsurface sampling and indirect existence.	Reconnaissance Survey (G4) identifies areas of enhanced mineral potential based primarily on results of regional seabed mapping comprising bathymetric survey, limited sub-bottom profiler, shallow seismic survey, study of wide spaced surface sediment samples and limited subsurface seabed samples for sedimentological and mineralogical data through laboratory studies.
2.	**Preliminary Exploration** **(G3)** Quantity with grade estimated with low level of confidence	Preliminary Exploration involves the initial delineation of an identified mineral deposit area of previous stage of exploration (G4) by furthering the exploration to extend and identify both laterally and vertically down (third dimension) of the ore body. The methods utilised may involve: detailed bathymetric survey carried out at closer spaced survey lines, close spaced sub-bottom profiler and / or shallow seismic survey, collection of core samples at closer interval, detailed study of samples for particle size distribution and mineral content for delineation of mineral bearing sediment unit both horizontally and vertically, chemical analysis of selected bulk samples for major oxides, trace elements including deleterious elements, REE (rare earth elements).
3.	**General Exploration (G2)** Quantity with grade estimated with moderate level of confidence	General Exploration involves increasing the geological confidence level and understanding style and mode of occurrence of mineralisation. Methods used may include multibeam bathymetric survey or swath bathymetry for detailed morphology of seabed, close spaced sub-bottom profiling or shallow seismic profiling, sub-seabed sampling with deeper coring/drilling at further closer intervals (spacing may vary for each type of mineral depending upon its depositional characteristics), detailed study of samples for particle size distribution and mineral content for delineation of mineral bearing sediment unit both horizontally and vertically. Chemical analysis of selected bulk samples for major oxides, trace elements including deleterious elements, rare earth elements and selected bulk sampling for laboratory scale mineral beneficiation and estimation of mineral reserve if felt necessary. Collection of environmental parameters such as current, waves, wind, water quality, Total Suspended Solids etc. The objective is to establish the main geological features of a deposit, giving a reasonable indication of continuity along lateral and vertical (third dimension) extensions which provide an initial estimate of size, shape, structure of mineralised zone, quantity and grade of the mineral deposit.

4.	**Detailed Exploration (G1)** Quantity with grade estimated with high level of confidence	Detailed Exploration involves the detailed three-dimensional delineation of a known mineral deposit which may be achieved through various studies that may include close spaced sub-bottom profiling and / or shallow seismic profiling for detailed sub-sea morphology, close spaced sub-seabed sampling with deeper coring/drilling (spacing may vary for each type of mineral depending upon its depositional characteristics), detailed study of samples with closer subsampling for particle size distribution and mineral content for delineation of mineral bearing sediment unit both horizontally and vertically. Chemical analysis of selected bulk samples for major oxides, trace elements including deleterious elements, REE (rare earth elements), collection of environmental parameters such as current, waves, wind, water quality, Total Suspended Solids (TSS) etc. Sampling locations are closely spaced such that size, shape, structure, quantity, grade, and other relevant characteristics of the deposit are established with a high degree of confidence. Bench scale beneficiation tests involving bulk sampling may be required in certain cases to understand the recovery and any additional by products.

(b) Definition of stages of feasibility study:

Sl. No.	Category	Definition with explanation
1.	**Geological Study (F3)**	A geological study involves reporting of all the exploration activities undertaken during each stage of exploration including the assessment of the mineral resources with quantity and grade. A preliminary economic evaluation of the deposit should be done based on the gathered field data and a comparison with the similar deposits already in operation. This is achieved by applying meaningful threshold values, cut off values for grade, thickness and depth of the mineralised zone.
2.	**Pre-Feasibility Study (F2)**	Pre-Feasibility Study is the study to demonstrate the possible techno-economic and socio-environmental viability of a mineral deposit through application of various modifying factors wherein a preferred production method has been ascertained including the mineral beneficiation method, if any. The study shall also include a preliminary financial analysis based on reasonable assumptions on the applicable modifying factors and the evaluation of any other relevant factors which are sufficient to convert all or part of the resources to reserves. The study should lead to part or whole of the Mineral Resource being converted to Mineral Reserve. A Pre-Feasibility Study has a lower confidence level than a Feasibility Study (wherein the cost estimates of the project will have +30% degree of accuracy).
3.	**Feasibility Study (F1)**	Feasibility Study is a detailed comprehensive techno-economic and socio-environmental evaluation of a mineral deposit through application of various modifying factors to establish the technical feasibility, economic and financial viability of a mineral deposit. At this stage the preferred production method, beneficiation technology of the deposit has been adequately established with

IndiaCode

		detailed assessments of the applicable modifying factors, relevant operational factors and detailed financial analysis to demonstrate that extraction is reasonably justified. It is expected that all Governmental clearances to start production operations are already in place at the time of reporting and where such clearances have not been obtained then such clearances are expected to be obtained in due course before commencement of production operation. The study may lead to part or whole of the Mineral Resource being converted to Mineral Reserve. The result of the study may reasonably serve as a basis for final decision by a proponent or financial institution to proceed with or finance the development of the project (wherein the cost estimates of the project will have +20% degree of accuracy).
4.	**Modifying Factors**	Modifying Factors are those factors which are taken into consideration while conducting a prefeasibility or feasibility study to convert mineral resources to mineral reserves. These include but are not limited to production, processing, end use, cut-off grade, threshold value, metallurgical, infrastructure, economic, marketing, transportation, storage, legal, environmental, social and Governmental factors.

(c) Definition of stages of economic viability:

Sl. No.	Category	Definition with explanation
1.	**Intrinsically Economic (E3)**	Quantities, reported in tonnes or volume with grade or quality, estimated by means of a Geological Study identified to be of intrinsic economic interest, implying that the resources identified may or may not have any immediate economic value. The economic viability of the resources is further ascertained through a prefeasibility or feasibility study by application of appropriate modifying factors. The classes defined are Measured, Indicated, Inferred and Reconnaissance Mineral Resources.
2.	**Potentially Economic (E2)**	Quantities with grade reported by means of a Pre-feasibility (F2) or Feasibility (F1) Study in order of increasing accuracy, not justifying extraction under the prevailing technological, economic, environmental, and other relevant conditions, realistically assumed at the time of the determination, but possibly so in the future. The Potentially Economic (E2) Deposits are normally classified as Pre-feasibility Mineral Resources (F2) but sometimes as Feasibility Mineral Resources (F1) which are upgraded to indicated and measured resources.
3.	**Economic (E1)**	Quantities with grade identified on the basis of a Prefeasibility or Feasibility Study in order of increasing accuracy that justify extraction under the prevailing techno-economic, socio-environmental and other relevant conditions, realistically assumed at the time of the determination. The classes defined are Proved and Probable Mineral Reserves.

IndiaCode

(d) Definition of classes of mineral resources and reserve:

Sl. No.	Classes	Definition with explanation
1.	**Mineral Resource**	Mineral Resource is a concentration or occurrence of solid material in or on the earth's surface (seabed) for which quantities with grade or quality have been estimated based on certain geological considerations and understanding which may or may not have any immediate or near-term economic value but are assessed for their future prospective value.
2.	**Reconnaissance Mineral Resource (334)**	Reconnaissance Mineral Resources (334) are estimates of quantity and grade based on indirect existence including data and information generated through a reconnaissance survey, limited surface, and subsurface sampling data from within the exploration block or data extrapolated from nearby production or explored areas as may be required. The quantity and grade estimates have a lower level of confidence than that of inferred mineral resources.
3.	**Inferred Mineral Resource (333)**	(1) Inferred Mineral Resource is the quantity with grade associated with a mineral deposit which can be estimated with a low level of confidence. (2) This is achieved through application of appropriate exploration techniques involving widely spaced seabed coring or drilling followed by appropriate sub-sampling and analysis, detailed morphology of seabed, sensor surveys like sub-bottom profiling and/or shallow seismic survey to assume geological continuity of the mineralised body, both laterally and vertically. Certain level of extrapolation beyond the sampling points may be allowed with suitable justification depending upon the type of deposit and its mode of occurrence to understand the ore body. (3) This resource cannot be converted to mineral reserve but may be upgraded to Indicated Mineral Resources with additional information.
4.	**Indicated Mineral Resource (332)**	(1) Indicated Mineral Resource is the quantity with grade associated with a mineral deposit which can be estimated with a moderate level of confidence. (2) This is achieved through application of appropriate exploration techniques involving close spaced seabed coring or drilling than the previous stage and / or shallow drilling, detailed morphology of seabed, closed spaced sensor surveys (sub-bottom profiling and/or shallow seismic survey) having spacing wider than that required for estimation of measured resources which ensures assumption of the geological continuity of the mineralised body, both laterally and vertically. This also includes the laboratory scale beneficiation studies if required to understand the recovery and by-products, if any. (3) Indicated Mineral Resource may be wholly or partly converted to Probable Mineral Reserve through a prefeasibility study by collecting more geological data, detailed economic assessment etc.

5.	**Measured Mineral Resource (331)**	(1) Measured Mineral Resource is the quantity with grade associated with a mineral deposit which can be estimated with a very high level of geological confidence. (2) This is achieved through application of appropriate exploration techniques involving sufficiently close spaced seabed coring/ drilling, shallow drilling followed by appropriate sub-sampling and analysis to ensure geological continuity of the mineralised body both laterally and vertically. Bench scale beneficiation studies if necessary, may be taken up to confirm the percentage recoverability with additional minerals, if any recovered. (3) Measured Mineral Resource may be wholly or partly converted to Proved or Probable Mineral Reserve through a feasibility or a prefeasibility study.
6.	**Mineral Reserve**	Mineral Reserve is the economically mineable part of a Measured and/or Indicated Mineral Resource. It includes diluting materials and allowances for losses, which may occur when the material is mined or extracted. The quantity and grade of the Mineral Reserves is ascertained through suitable prefeasibility or feasibility study by application of appropriate modifying factors.
7.	**Proved Mineral Reserve (111)**	Proved Mineral Reserve is the economically mineable part of a Measured Mineral Resource. The quantity with grade is demonstrated to be economically mineable by means of a feasibility study. A Proved Mineral Reserve implies a high degree of confidence in the modifying factors.
8.	**Probable Mineral Reserve (121 and 122)**	(1) Probable Mineral Reserve is the economically mineable part of an Indicated Mineral Resource, and in some circumstances, a Measured Mineral Resource. The quantity with grade is demonstrated to be economically mineable by means of a prefeasibility study. (2) The confidence in the modifying factors applying to a Probable Mineral Reserve is lower than that applying to a Proved Mineral Reserve.
9.	**Feasibility Mineral Resource (211)**	Feasibility Mineral Resource is that part of Measured Mineral Resource which is not economically mineable and has been defined by studies at feasibility level as appropriate that extraction is presently not justified. This material is identified as being possibly economically viable subject to changes in technological, economic, and environmental or other relevant conditions.
10.	**Pre-Feasibility Mineral Resource (221 and 222)**	Pre-feasibility Mineral Resource is that part of an Indicated Mineral Resource, and in some circumstances Measured Mineral Resource, which is not economically mineable and has been defined by studies at prefeasibility level as not appropriate for extraction at present. This material is identified as being possibly economically viable subject to changes in technological, economic, and environmental and/or other relevant conditions.

Part II
Geological Parameters for exploration

1.	**Geological Survey (Seabed Mapping):** On 1:50,000 scale for Reconnaissance Survey (G4) stage; in the Territorial Waters; 1:3,00,000 scale in the Exclusive Economic Zone for Reconnaissance Survey (G4) stage beyond Territorial Waters; on 1: 50,000 or larger scale for Preliminary Exploration (G3) stage; 1: 10,000 or larger scale for General Exploration (G2) stage; on 1: 5,000 or larger scale for Detailed Exploration (G1) stage. Generally, this stage of mapping may involve bathymetry, sub-bottom profiling and /or shallow seismic profiling, seabed surface sampling at wider spacing, limited coring/ drilling of sub-seabed, water sampling, current measurement at Reconnaissance Survey at selected locations (G4) stage; intensification of all or some methods of surveys with closer spacing at Preliminary Exploration (G3) stage based on the results of (G4) stage; multibeam bathymetry / swath bathymetry, sub-bottom profiling or shallow seismic profiling at closer spacing, intensified coring or shallow drilling of seabed at much closer spacing, bulk sampling, laboratory beneficiation studies, water sampling, current studies in target areas at General Exploration (G2) stage; much closer, deeper investigation with detailed sensor studies, bench level beneficiation at Detailed Exploration (G1) stage.
2.	**Technological:** Exploration and sampling using appropriate techniques from locations on the seabed. The sampling locations are spaced suitably (in a grid pattern to the extent possible and may be modified depending on seabed morphological features) for establishing existence of mineral rich bodies and its lateral and vertical continuity. Part III of the Schedule may be referred for further details. For Reconnaissance Survey (G4) stage sampling data from seabed may be used for assessment of resources, if possible. For General (G2) and detailed (G1) stages of exploration, the depth continuity of mineralisation may be considered limited to the depth up to which direct existence of mineralisation is established. The lateral extension to be considered for resource assessment shall depend on geological considerations supplemented by geological continuity through mapping or other means and in any case shall not be more than 50% of the grid spacing of the probe points. Assessment based on selected information such as isolated samples and analysis is not recommended.
3.	**Sampling and sub-sampling:** (a) Systematically wider spaced grab sampling, limited core sampling and sub-samples from core samples for reconnaissance stage. (b) Systematic sampling from core samples spaced closely enough and limited drill cores to confirm geological and grade continuity for other stages of geological assessment. (c) Geological logging and sampling of sediment core at regular interval, preferably at 1 meter or less for the whole core. (d) The drilling operation in offshore turbulent conditions is very critical and technique to be deployed shall depend on the sea condition in general and weather conditions season wise. Core recovery depends upon the drilling equipment and stability of the floating platform. (e) The representative exploration samples, surface samples, cores shall be preserved, for future use.
4.	**Laboratory Tests:** Chemical analysis of sediment and water samples.
5.	**Sedimentological, Petrographic and Mineragraphic Studies:** to ascertain the sediment grain size, sediment types, texture and minerals present and their assemblages.
6.	**Bulk Density Study:** The bulk density, porosity, shear strength, liquidity, compaction etc., must be measured by standard methods for geotechnical properties and slope stability for selected samples.
7.	**Bulk Sampling for Beneficiation Studies:** Bulk sampling if necessary for testing processing technology.

IndiaCode

8.	**Marine Environmental Setting:** Current, wave, noise levels, deleterious elements if any present in the surface and sub-surface sediments, details about sea water quality, suspended solids, Total Dissolved Solids (TDS), salinity, temperature, Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Marine Biota etc. and any other data as may be required by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for environmental impact assessment studies may be taken up at G2 Stage of investigation.
9.	**Any other data that may be relevant including** geotechnical and slope stability studies.

Part III

Exploration norms for different types of deposits and Minerals

Type of deposit and Principal Minerals

I. Beach Sand Minerals (seabed sediments with quantities of economic heavy minerals like ilmenite, magnetite, sillimanite, garnet, monazite, zircon, rutile, leucoxene, and other similar economically mineable heavy minerals that occur on the continental shelf as blanket deposit) .

G4 Stage	G3 Stage	G2 Stage	G1 Stage
(a) Bathymetric map in 1:50,000 scale prepared with single beam echo sounder or spot depth measurement at appropriate intervals and tie lines. (b) One or more shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks, presented in a horizontal scale of 1:50,000 and vertical scale of 1:10,000 scale. (c) Seabed sampling using grab or any other device at 5km x 5 km grid spacing. (d) Sedimentological or petrological and mineralogical analysis of the sample to identify various mineral constituents their size range and content (weight. percentage in bulk sample), nature of occurrence etc. (e) Chemical analysis of the bulk sediments or rock for major oxides and trace elements or Rare Earth Elements (REE) to determine whether the sediment is falling in this category. (f) Synthesis of all available data to identify various minerals in the survey areas and their prospective locations for further exploration. (g) The activities as above	Bathymetric map in 1:50,000 scale prepared with single beam echo sounder measurement at 500 m or lesser intervals and tie lines at appropriate intervals. Shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks at 2 km interval, presented in a horizontal scale of 1:50,000 and vertical scale of 1:10,000 scale. Seabed sampling using suitable corer or any other device at 2km X 2 km grid spacing extending to a depth upto at least 4 mts or till the depth of mineralisation whichever is less. Core samples are to be subdivided into 1m interval from top. Sedimentological/ petrological and mineralogical analysis of the sediment or rock to identify various mineral constituents their size range and content (weight percentage in bulk sample), nature of occurrence etc. Chemical analysis of the bulk sediments or rock for major oxides and trace elements or Rare Earth Elements (REE) to determine whether the sediment is falling in this category. Synthesis of all available	Multibeam bathymetric survey with seamless coverage having 50% side overlap between adjacent lines. Multibeam Bathymetric map in 1:5,000 scale, Images with MBES (Multi Beam Eco Sounder) backscatter data also to be submitted. Shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks at 1 km interval, presented in a horizontal scale of 1:5,000 and vertical scale of 1:1,000 scale. Seabed sediment or rock sampling using suitable corer or any other device at 1,000 m X 1,000 m grid spacing extending to a depth upto at least 6 mts or till the depth of mineralisation whichever is less. Core samples are to be subdivided into 1 m interval from top. Sedimentological or petrological and mineralogical analysis of the sediment or rock to identify various mineral constituents their size range, sediment type and content (weight percentage in bulk sample), nature of occurrence etc. Chemical analysis of the	Multibeam bathymetric survey with seamless coverage having 50% side overlap between adjacent lines. Multibeam Bathymetric map in 1:2,500 scale. Images with MBES backscatter data also to be submitted. Shallow seismic profiles or sub bottom profiler across the block indicating the disposition of subsurface sedimentary units or rocks at 500 m interval, presented in a horizontal scale of 1:2,500 and vertical scale of 1:500 scale. Seabed sediment or rock sampling using suitable corer or any other device at 500m X 500 m grid spacing extending to a depth upto at least 6 mts or till the depth of mineralisation whichever is less. Core samples are to be subdivided in to 1 m interval from top. Sedimentological or petrological and mineralogical analysis of the sediment or rock to identify various mineral constituents their size range, sediment type and content (weight percentage in bulk sample), nature of occurrence etc. Chemical analysis of the bulk sediments or rock and constituent minerals of

or less than that required for Preliminary Exploration (G3) stage.	data to interpret the nature and quantity or grade of the minerals present in the survey area. The activities as above or less than that required for General Exploration (G2) stage.	bulk sediments or rock and constituent minerals of economic importance for evaluating the composition of the mineral and its economic worth. Laboratory scale beneficiation studies of sediments or rock for assessing the content of mineral or metal of interest. Synthesis of all available data to identify various minerals in the survey areas and their prospective locations for further exploration. The activities as above or less than required for Detailed Exploration (G1) stage. Analysis of samples, exploratory production and preliminary environmental impact assessment studies.	economic importance for evaluating the composition of the mineral and its economic worth. Laboratory scale beneficiation studies of sediments or rock for assessing the content of mineral/metal of interest. Synthesis of all available data to interpret the nature and quantity or grade of the minerals present.

Part IV
Reporting of Mineral Resources

Standard Template for a Geological Study Report which shall also form a part of the Pre-Feasibility or Feasibility Report

1. A Geological Study Report for estimation and reporting of Mineral Resources integrating all data of exploration, sampling and testing generated through marine geophysical, geochemical, geological surveys, marine environment and technological study shall be undertaken for every stage of exploration i.e., from G4 to G1 for assessing the resources.

2. Mineral resource assessment is normally a collective effort involving a multidisciplinary approach. It is expected that individuals or subject matter experts involved in each part of the report preparation are given due credit for that part with proper acknowledgement in the report and also, they are willing to take due responsibility regarding the accuracy and authenticity of that part. However, the final responsibility of the report shall lie with the lead expert or a group of experts who, after proper due diligence of all the parts of the report have arrived at the final estimation of the resources and reserves and are convinced about the methodology and processes followed in arriving at the resource estimates. These experts taking the final responsibility for the report shall be referred to as the qualified persons and shall certify the report by signing off the report with their credentials.

Sl. No.		Criteria with parameters of reporting
1.		**Executive Summary**
	(i)	The executive summary shall include details about the location of the mineral deposit, purpose of the mineral investigation and the stage of the exploration, brief geology, mineralisation, exploration plan with spacing of the sample points, depth of exploration and whether the mineralisation extends beyond the depth of direct existence. Outcome of the exploration studies including the quantity of resources identified with grade and quality under various classes.
	(ii)	The summary shall also include observation on the issues regarding the future plan or strategy for the deposit including amenability for production of the deposit based on present technological, environmental, social and market conditions.

2.	(i)	**Details of the Qualified Person(s) or Exploration Agency** (To be provided separately for all the qualified persons signing off the report) (a) Name: (b) Address: (c) Contact mobile No: (d) E-mail id: (e) Qualification: (f) Experience: (g) Affiliation to any organisation/ company, if yes, specify the name of the organisation or company:
	(ii)	Details of qualification and experience of persons associated with various aspects of exploration assessment of resources and reserves
3.		**Title and ownership**
	(i)	Name of the holder of operating right:
	(ii)	Address:
	(iii)	Telephone No:
	(iv)	E-mail id:
	(v)	Details of period of operating right, if any:
	(vi)	In case of a license or lease:
		(a) Date of grant: (b) Date of execution: (c) Period of license or lease: (d) Date of completion:
4.		**Details of the area under study**
	(i)	Coast or Sea
	(ii)	Offshore Region
	(iii)	Nearest Coastal Location
	(iv)	Area in sq. km
	(v)	Water depth (m)
	(vi)	Nearest Harbour or Port
	(vii)	Nearest Major Rail Head on land
	(viii)	Nearest Airport
	(ix)	Name of the nearby village(s) or NHO (Naval Hydrographic Office) Chart No. of the area, Differential Global Positioning System (DGPS) coordinates of all corner points of the area and sampling points in latitude and longitude (Degree Minutes Second) format WGS-84 Datum
	(x)	Mineral(s) under investigation or granted under license or lease applied for
5.		**Seabed Morphology, Connectivity and Demographic Data** *(Data to be furnished from the area and nearby coast)*

IndiaCode

	(i)	Relief of the area or seabed with minimum and maximum water depths
	(ii)	Biotope map of the seabed showing critical marine habitats such as corals, seagrasses etc., if any.
	(iii)	Commercial fishing grounds in the area, if any
	(iv)	Flora and Fauna within in the coastal tract and area
	(v)	Water bodies such as river, nala, stream, etc., joining the sea nearby
	(vi)	Climatic conditions of adjacent coastal area: (a) Temperature (annual) min___max___ Avg___ (b) Rainfall (annual) min___max___ Avg___ (c) Humidity (annual) min___max___ Avg___
	(vii)	Any other physiographic, social and environmental factor having potential to affect the viability of the project and assessment of resources and reserves
6.		**Infrastructure**
		Local infrastructure with roads, railways, port facilities, fisheries, harbour, electricity, water etc. nearby from the area. Details of nearby industries in the area which may use the mineral commodity likely to be mined.
7.		**Geology**
	(i)	Brief regional geomorphology or seabed morphology of the area outlining the broad geological and structural framework.
	(ii)	A discussion on the type of deposit based on the style of mineralisation and minerals under investigation. Suggested exploration or production plan with spacing of the sampling points and depth of exploration commensurate with the stage of exploration.
8.		**Previous Exploration**
	(i)	Name and address of holder of operating right involved in the exploration of the area with year and period of exploration (if more than one agency is involved details to be given separately for each agency)
	(ii)	Brief details of the exploration carried out (to be given separately for each agency).
	(iii)	Reserves or resources estimated, if any, during the previous exploration campaign with quantity and grade under various categories
9.		**Marine geophysical or geochemical data**
		Details of marine geophysical and geochemical survey taken up and their results.
10.		**Exploration undertaken till now**
	(i)	Details of sample points (surface and sub-surface) along with geographical co-ordinates.
	(ii)	**Data spacing for reporting of exploration results:** Whether the data spacing, and distribution is sufficient to establish the degree of geological and grade continuity appropriate for the mineral resource estimation procedure(s) and classifications applied.
11.		**Location of data point**
		Accuracy and quality of surveys used to determine the coordinates of sample points, bathymetric surveys and geophysical surveys used in mineral resource estimation.
12.		**Sampling Technique**

IndiaCode

		Nature and quality of sampling (grab, core or drill core and water sampling) and measures taken to ensure sample representation.
13.		**Coring Technique and core sampling employed**
	(i)	Corer type [eg. core, gravity corer (gravity core), vibrocorer (vibrocore), piston corer (piston core), box corer (box core), spade corer (spade core) etc.] and details (eg. core diameter, core length).
	(ii)	Logging - Whether core have been logged to a level of detail to support appropriate Mineral Resource estimation, mining studies and metallurgical studies.
14.		**Sub-sampling techniques and sample preparation**
	(i)	(a) If core, whether cut or sawn and whether quarter, half or all cores taken and whether sampled wet or dry. (b) For all sample types, the nature, quality and appropriateness of the sample preparation technique.
	(ii)	Quality control procedures adopted for all sub-sampling stages to maximise representation of samples.
	(iii)	Measures taken to ensure that the sampling is representative of the in-situ material collected.
	(iv)	Whether sample sizes are appropriate to the grain size of the material being sampled.
15.		**Mineralogical Analysis, Petrological Studies and Sedimentological Analysis**
		(a) Method of study of Mineralogy. (b) Nature of quality control procedures adopted (eg. standards, blanks, duplicates, external laboratory checks) and whether acceptable levels of accuracy (i.e. lack of bias) and precision have been established. (c) Security and chain of control of samples should be clearly mentioned.
16.		**Beneficiation studies as may be required**
		Details of beneficiation studies carried out at laboratory scale of bench scale involving bulk sampling tests to understand and suggest technological factors for optimum recovery of explored mineral commodity, any additional by-products or co-products that may be available in the sediment also be discussed. The detailed flow sheet with yield recovery factors to be discussed
17.		**Resource estimation techniques**
	(i)	Discussion on sufficient data density to assure continuity of mineralisation and synthesis of adequate data base for estimation procedure used.
	(ii)	Discussion on the baseline marine ecology, biotope map, potential impacts of production on marine life and mitigation measures.
	(iii)	Whether previous exploration data has been used and integrated with the current exploration data for assessment of the updated resources.
	(iv)	The nature and appropriateness of the estimation technique(s) applied and key assumptions, including treatment of extreme grade values, domaining, interpolation parameters, maximum distance of extrapolation from data points.
	(v)	The basis for the classification of the Mineral Resources into varying confidence classes.
	(vi)	The assumptions made regarding recovery of by-products.
	(vii)	Detailed description of the method used and the assumptions made to estimate tonnages and grades (section, polygon, inverse distance, geostatistical, or other method).
	(viii)	Description of how the geological interpretation was used to control the resource estimates.

IndiaCode

	(ix)	Discussion of any computer software was used for estimation of resources then name of the software with the version and method chosen, description of programmes and parameters used.
	(x)	Geostatistical methods are extremely varied and should be described in detail. The method chosen should be justified. The geostatistical parameters, including the variogram, and their compatibility with the geological interpretation should be discussed. Experience gained in applying geo-statistics to similar deposits should be taken into account.
	(xi)	Data verification or validation procedures used, including peer review report.
18.		**Reporting of resources**
		Basis of reporting of resources into various classes. The criteria and methods used for the classification to be specified. The quantities with grades, for each class are to be specified. The average grade under each class is to be specified. Grade wise classification should also be reported under suitable cases. In the case of metallic deposits such as gold, precious metals and base metals the metal content is to be specified and resources should be estimated at various cut off grades. Factor, if any, applied to take care of the confidence level from the actual estimates should also be specified. The inferred, indicated and measured resources should be highlighted in a table.
19.		**Summary and recommendations**
	(i)	(a) A discussion on the outcome of the exploration work detailing the nature of the deposit, the dimension of the deposit, general structural trend, depth of occurrence and depth up to which exploration has been done, possibility of continuity of mineralisation beyond the depth of exploration and future exploration requirements, if any. (b) The resources estimated under various classes with grade. (c) The possibility of economic extraction based on present technological, environmental, social and market conditions. (d) Hindrances, if any, anticipated in the economic extraction of the deposit.
	(ii)	Discussion on the suggested future plan or strategy for the deposit for further exploration and production.
20.		**Plates and maps**
	(i)	Location plan of the area showing bathymetry of the area nearby the project site based on legacy data.
	(ii)	Seabed morphology of the adjoining area from the available legacy data.
	(iii)	Surface sedimentological map, bathymetric map, on appropriate scale showing reliable with Differential Global Positioning System - global coordinates of the location of surface and core samples. If the area or part of it has been covered under exploration earlier, then the same with the location details should be shown in a map in appropriate scale.
	(iv)	Cross sections at suitable intervals showing vertical projections of litho-units and mineralisation.
	(v)	Biotope map of the project area seabed.
21.		**Annexures or enclosures to the Report**
	(i)	The report shall include all relevant data including maps, sections, logs, analysis reports, photographs etc., in support of the estimates made.
	(ii)	In case of a composite license, all relevant orders of grant, execution of license, shall also form part of the report.
22.		Any other information as may be available or required by any authority as specified.

Part V

CONTENTS OF PRE-FEASIBILITY AND FEASIBILITY REPORT

Criteria for Prefeasibility or Feasibility Report for Estimation and Reporting of Mineral Reserves (the criteria listed in the geological study report shall also constitute an integral part of this template).

Sl. No.	Contents	Explanation
1.	Mineral Resource estimate for conversion to Mineral Reserve	Description of Mineral Resource estimate used as a basis for the conversion to a Mineral reserve. Clear statement as to whether the Mineral Resources are reported additional to or inclusive of the Mineral Reserves. The type and level of study undertaken to enable Mineral Resources to be converted to Mineral Reserves i.e. Prefeasibility/ Feasibility level.
2.	Cut-off grade or quality parameters	The basis of the adopted cut-off grade(s) or quality parameters applied, including the basis, if appropriate, of equivalent metal formulae and the threshold values specified.
3.	Production factors or assumptions.	The method and assumptions used to convert the Mineral Resource to a Mineral Reserve (i.e. either by application of appropriate factors by optimisation or by preliminary or detailed design supported with Conceptual plan for production). The choice of the nature and the appropriateness of the selected production method(s), the size of the selected production unit (length, width, height) and other production parameters including associated design issues such as pre-strip, access, etc. The assumptions made regarding geotechnical parameters (eg. slope stability, etc.), grade control and pre-production dredging. The major assumptions made and Mineral Resource model used for seabed exploration, dredging (if appropriate). The production dilution factors, production recovery factors, and minimum production widths used. The infrastructure requirements of the selected production methods. Where available, the historic reliability of the performance parameters.
4.	Metallurgical factors or assumptions	The metallurgical process proposed and the appropriateness of that process to the type of deposit. The nature, amount and representativeness of metallurgical test work undertaken and the metallurgical recovery factors applied. Any assumptions or allowances made for deleterious elements. The existence of any bulk sample or pilot scale test work and the degree to which such samples are representative of the ore body as a whole. The tonnages and grades reported for Mineral Reserves should state clearly whether these are in respect of material to the plant or after recovery. Comment on existing plant and equipment, including an indication of replacement and salvage value.

IndiaCode

5.	Cost and revenue factors	The derivation of, or assumptions made, regarding projected capital and operating costs. The assumptions made regarding revenue including head grade, metal or commodity price(s) exchange rates, transportation and treatment charges, penalties, etc. The allowances made for royalties payable. Basic cash flow inputs for a stated period. Yearly planned production, Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) of the deposit, intrinsic value of the deposit based on annual projected production.
6.	Market assessment	The demand, supply and stock situation for the particular commodity, consumption trends and factors likely to affect supply and demand into the future. A customer and competitor analysis along with the identification of likely market windows for the product. Price and volume forecasts and the basis for these forecasts. For industrial minerals the customer specification, testing and acceptance requirements prior to a supply contract.
7.	Other modifying factors	The effect, if any, of natural risk, infrastructure, environmental, legal, marketing, social or governmental factors on the likely viability of a project and/or on the estimation and classification of the Mineral Reserves. The status of titles and approvals critical to the viability of the project, such as production leases, discharge permits, Government and statutory approvals. Environmental descriptions of anticipated liabilities. Location plans of mineral rights and titles.
8.	Classification.	The basis for the classification of the Mineral Reserves into varying confidence categories. Finalisation of estimates of grade wise mineable quantities in contemplation with proposed preliminary mine design/conceptual plan subject to all necessary approvals/contracts have been confirmed or there are reasonable expectations that all such approvals or contracts will be obtained within a reasonable timeframe and with certification that Economic viability is not affected by short-term adverse market conditions provided that longer-term forecasts remain positive.
9.	Mineral Beneficiation and Environmental Protection	Brief methodology for carrying out production, beneficiation and waste disposal. Brief on measures to be adopted for environmental protection during production, beneficiation and waste disposal. Brief description on baseline marine environmental condition including marine flora and fauna, potential impacts of production and suggested mitigation measures. Details of availability of technical personnel for all operations.
10.	Certificate from the qualified Person	Name, date and signature

SCHEDULE B

[See rule 11(1)(a), 11(1)(b)]

MAXIMUM QUANTITIES OF ORES AND MINERALS REMOVABLE FROM LICENCE AREA

Class	Mineral	Quantities that can be carried away without any payment	Maximum quantity that can be carried away by payment of royalty
(1)	(2)	(3)	(4)
Class I	Beach Sand Minerals	5 tonnes	200 tonnes
Class II	All other minerals not specified above	5 tonnes	200 tonnes

FORM A

FORMAT OF PERFORMANCE SECURITY FOR COMPOSITE LICENCE

[See rule 6(9)(b)]

[Reference number of the bank] **[Date]**

To

The President of India

[address]

WHEREAS

A. [Name], having office at [address of the Government] OR a [government company incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN of the Applicant] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the "**Applicant**") is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] ("Expiry Date").

B. The Performance Security is required to be provided to the President of India, represented by the administering authority, the **Central Government** for discharge of certain obligations under the [reference to the principal documents, i.e., Exploration Licence Deed of Composite Licence] dated, [date] with respect to [particulars of composite licence] (collectively the "**Agreement**").

C. We, [name of the bank] (the **Bank**) at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) ("**Guarantee Amount**") to secure the obligations of the Applicant under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee ("the **Guarantee"**) on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the Central Government, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

IndiaCode

2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Applicant to the Central Government under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Applicant and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Applicant, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, to —

(i) modify the terms and conditions of the Agreement;

(ii) postpone the time for performance of the obligations of the Applicant under the Agreement, or

(iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Applicant under the terms and conditions of the Agreement,

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Applicant or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Applicant.

7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Applicant under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government or till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Applicant and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the New Delhi, India.

10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the prior consent of the Central Government in writing.

12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President. Save as provided in this clause, this Guarantee shall not by assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein,—

(a) the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the guarantee amount.

(b) This bank guarantee shall be valid up to the expiry date.

14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the expiry date.

Dated the [day] day of [month] [year].

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

FORM B
FORMAT OF EXPLORATION LICENCE DEED

[See rule 6 (12) (a)]

This deed for grant of a composite licence (Licence) is made by and between the following:

PARTIES

A. The President of India, acting through the administering authority (**the Central Government**).

AND

B. [Name of the Licensee], having office at [address of the Government] OR a [government company] incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the **Licensee**).

BACKGROUND:

C. The licensee has completed the requirements under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (**the Act**) and the rules made thereunder and has become eligible for grant of a composite licence.

D. Accordingly, the Central Government is now executing this deed for grant of a Licence to the Licensee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Licensee to be paid, observed and performed.

1. **DEFINITIONS**

The expressions used in this Licence shall have the same meaning as ascribed to them under the Act and the rules made thereunder.

2. **GRANT OF LICENCE**

2.1. The Central Government (acting through the administering authority) hereby grants the Licence to the Licensee over an area described in Schedule I (**Licence Area**) for a period of three years commencing from the date on which this duly executed exploration licence deed of composite licence is registered with respect to the following mineral(s), [name of the minerals] (**Minerals**) for conducting exploration operations.

2.2. The Licence shall be with respect to all deposits of the Minerals situated, lying or being in or under the Licence Area.

2.3. Subject to the Licensee paying the royalties and making other payments required to be paid and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the

Licensee to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises of the Licence Area for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the Central Government, or any person rightfully claiming under it.

3. **RIGHTS AND OBLIGATIONS**

3.1. The rights and obligations of the Central Government and the Licensee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder, including without limitation to the Offshore Areas Atomic Mineral Operating Right Rules, 2025 and the Offshore Mineral Development and Production Agreement dated [date].

3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,—

(a) the Licensee shall,—

(i) at all times comply with the provisions of the Act, the rules made thereunder and all other applicable law for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(ii) make prompt payment of royalty and any charges or other payment required to be made by the Licensee;

(iii) pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury, or disturbance which may be done by the Licensee and to indemnify and keep indemnified the Central Government, administering authority and Department against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(iv) take all necessary steps and measures, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by exploration operations, including any measures as may be specified by the Central Government;

(v) without delay forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Directorate General of Mine Safety, administering authority and any other Government authority, a report of any accident causing death or serious bodily injury *or* serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Licence;

(vi) weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all minerals won from the Licence Area, with seven days prior notice in writing being given to the administering authority and authorised officer of the Directorate for every such weighing or measuring in order that he or some person on his behalf may be present thereat;

(vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this deed

(viii) during the term of the Licence, enter upon the Licence Area and carry out exploration operations for minerals specified in this deed, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(ix) work and carry on the exploration operations in a proper, skillful and workman-like manner

(x) comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;

(xi) submit the following reports, namely:—

(a) a quarterly report of the work done by the Licensee stating the number of persons engaged and disclosing in full the geological, geophysical, or other data collected during the period. The report shall be submitted within a period of thirty days after the close of the quarter to which it relates;

(b) an annual report, containing the full details of the work done by the Licensee and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Licence. The report shall be submitted within a period of sixty days after the close of the year to which it relates, to the Directorate, Geological Survey of India, administering authority and such other authority as may be specified:

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Licensee may specify that the whole or any part of

reports and data furnished pursuant to clause 3.2 (a) (xi) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that if the Licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-rule (7) of rule 7 of the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, or if an application for production lease preferred by the Licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the Licence or abandonment of exploration operations or surrender of excess area in accordance sub-rule (19) of rule 6 of Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Licensee shall become the sole property of the Central Government;

(xii) submit to the Central Government, at any time before the performance security is returned to it or transferred to any other account, or within a period of three months after the termination or expiration of the Licence, or abandonment of the exploration operations, or surrender of excess area in accordance with sub-rule (19) of rule 6 of Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 whichever is earlier, a full report of the work done by the Licensee, and disclose all information acquired by the Licensee in the course of the exploration operations carried on under this Licence regarding the geology and mineral resources of the Licence Area:

Provided that, subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Licensee may specify that the whole or any part of reports and data furnished pursuant to clause 3.2 (a) (xii) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that if the Licensee fails to apply for a production lease within the time period stipulated in sub-rule (7) of rule 7 of Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, or if an application for production lease preferred by the Licensee is rejected by the Central Government or the administering authority, or upon termination or expiration of the Licence or abandonment of exploration operations or surrender of excess area in accordance sub-rule (19) of rule 6, of the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Licensee shall become the sole property of the Central Government;

(xiii) ensure that the equipments or vessels deployed for the purpose are so placed, marked, buoyed and lighted as not to constitute danger to shipping;

(xiv) ensure that no interference is caused to any right of way in any recognised sea lanes for the purposes of navigation, or for any other purpose as may be authorised by the Central Government;

(xv) take appropriate steps and measures as specified by the Central Government to ensure systematic disposal of solid or liquid waste,

including hazardous waste, arising out of exploration operations within the licence area;

(xvi) take measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;

(xvii) not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power sub-stations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority, and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

(b) the Central Government shall—

(i) have the right, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever, liberty to enter into and upon the Licence Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Licence are hereby expressly conferred upon the Licensee, including without limitation, to deploy on, over or through the Licence Area such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements as shall be considered necessary or expedient for any purposes, and to obtain from and out of the Licence Area such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for deploying, repairing or maintaining such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, to pass and repass at all times over such area for all purposes and as occasion shall require;

(ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Licensee in accordance with terms of such performance security and require the Licensee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the Licence and fulfilment of all obligations of the Licensee, such security deposit shall be returned to the Licensee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest;

(iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Licensee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Licensee shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in carrying out or performance of the same.

(iv) have power to authorise any other licensee or lessee or person on its behalf to enter into and upon the Licence Area and (i) to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas; (ii) lay upon or maintain, repair or replace offshore wind turbine generators, offshore power substations; (iii) for these purposes or any other purpose as may be authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be, to sink, drive, erect, construct, maintain, and use such plant, installations, pipeline, cables, waterways, engines, machineries and conveniences as may be deemed necessary:

Provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the Licensee under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority shall be paid,—

(i) by such licensee or lessee or such other person to the Licensee for any loss or damage sustained by the Licensee by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be;

(ii) to such licensee or lessee or such other person by the Licensee for any loss or damage sustained by such licensee or lessee or such other person by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be; and

(v) have the power to grant and demise to any other licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by such licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority and the Licensee shall use its best efforts to avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority within the Licence Area

3.3. If the Central Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral, the Central Government shall pay the average sale price of such minerals as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption.

3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the Central Government shall at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the Licensee or Licensees) to forthwith take possession and control of the vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments and premises of the Licensee on or in connection with the Licence Area or the operations under this Licence and during such possession or control, the Licensee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the Central Government shall be paid to the Licensee for all loss or damage sustained by Licensee by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.

3.5. Every notice required to be given to the Licensee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Licensee and such nomination shall be informed to the administering authority in writing. If no such nomination is made then the notice shall be sent to the Licensee by registered post or speed post or e-mail, addressed to the Licensee at the address shown in the application for the Licence or at such other address in India as the Licensee may designate and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Licensee and shall not be questioned or challenged by him.

3.6. If in any event the orders of the administering authority are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, the Licensee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Licensee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Licensee by these presents.

4. ***FORCE MAJEURE***

4.1. In this clause the expression "*force majeure*" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the Licensee could not reasonably prevent or control.

4.2. Failure on the part of the Licensee to fulfil any of the terms and conditions of this Licence shall not give the Central Government any claim against the Licensee or be deemed a breach of this Licence,

in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a *force majeure*, and if the fulfilment by the Licensee of any of the terms and conditions of this Licence be delayed from *force majeure*, the period of such delay shall be added to the period fixed by this Licence.

4.3. The administering authority or the Central Government shall not be liable in any manner, whatsoever, to the Licensee in respect of any loss relating to, or arising out of, the occurrence or existence of any *force majeure*.

5. **GOVERNING LAW**

This Licence and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws for the time being in force. Subject to the provisions contained in section 28 of the Act, the courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over disputes arising under this deed.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE I: AREA OF COMPOSITE LICENCE

(Description of offshore area, including latitudes and longitudes, to be provided.)

FORM C

FORMAT OF PERFORMANCE SECURITY FOR PRODUCTION LEASE

[See rule 7(9)(b)]

IndiaCode

[Reference number of the bank] **[Date]**

To

The President of India

[address]

WHEREAS

A. [Name], having office at [address of the Government] OR a [government company incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN of the Applicant] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] (the **Applicant**) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] ("Expiry Date").

B. The Performance Security is required to be provided to the President of India, represented by the administering authority, (the **Central Government**) for discharge of certain obligations under the [reference to the principal documents, i.e., Production Lease Deed, Offshore Mineral Development and Production Agreement] dated, [date] with respect to [particulars of production lease] (collectively the **Agreement**).

C. We, [name of the bank] (the **Bank**) at the request of the Applicant do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (the **Guarantee Amount**) to secure the obligations of the Applicant under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the **Guarantee**) on behalf of the Applicant in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the Central Government, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the

Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Applicant on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Applicant in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank's liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Applicant to the Central Government under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Applicant and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Applicant, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, to—

(i) modify the terms and conditions of the Agreement;

(ii) postpone the time for performance of the obligations of the Applicant under the Agreement, or

(iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Applicant under the terms and conditions of the Agreement,

and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Applicant or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.

5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.

6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Applicant.

7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Applicant under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government or till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Applicant and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the expiry date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.

9. This Guarantee is subject to the laws for the time being force. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at the New Delhi, India.

10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.

11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the prior consent of the Central Government in writing.

IndiaCode

12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President. Save as provided in this clause, this Guarantee shall not be assignable or transferable.

13. Notwithstanding anything contained herein,—

(a) the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.

(b) This bank guarantee shall be valid up to the expiry date.

14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the expiry date.

Dated the [day] day of [month] [year].

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp)

IndiaCode

FORM D

FORMAT OF PRODUCTION LEASE DEED

[*See* rule 7(12) (a)]

This deed for grant of a production lease (the Lease) is made by and between the following:

PARTIES

A. The President of India, acting through the administering authority (the **Central Government**).

AND

B. [Name of the Lessee], having office at [address of the Government] OR a [government company] incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with corporate identity number [CIN] or a corporation duly incorporated in India under [insert statute or regulations of incorporation], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] **(**the **Lessee).**

BACKGROUND:

C. The lessee has completed the requirements under the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (the **Act**) and the rules made thereunder and has become eligible for grant of a production lease.

D. Accordingly, the Central Government is now executing this deed for grant of a Lease to the Lessee in consideration of the fee, royalties, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed.

1 **DEFINITIONS**

The expressions used in this Lease shall have the same meaning as assigned to them under the Act and the rules made thereunder.

2 GRANT OF LEASE

2.1. The Central Government (acting through the administering authority) hereby grants the Lease to the Lessee over an area described in Schedule I (**Lease Area**) commencing from the date on which this duly executed production lease deed is registered with respect to the following mineral, [name of the minerals] (**Minerals**) for conducting production operations till the exhaustion of such minerals in such area.

2.2. The Lease shall be with respect to all deposits of the Minerals situated, lying or being in or under the Lease Area.

2.3. Subject to the Lessee paying the royalties and making other payments required to be paid and observing and performing all the covenants and agreements herein contained and on the part of the Lessee to be observed and performed shall and may quietly hold and enjoy the rights and premises of the Lease Area for and during the term hereby granted without any unlawful interruption from or by the Central Government, or any person rightfully claiming under it.

3 RIGHTS AND OBLIGATIONS

3.1. The rights and obligations of the Central Government and the Lessee shall be as specified in the Act and the rules made thereunder, including without limitation to the Offshore Areas Atomic Mineral Operating Right Rules, 2025 and the Offshore Mineral Development and Production Agreement dated [date].

3.2. Without prejudice to the generality of the foregoing,—

(a) the Lessee shall,—

(i) at all times comply with the provisions of the Act, the rules made thereunder and all other applicable law for the time being in force, including the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

(ii) make prompt payment of royalty and any charges or other payment required to be made by the Lessee;

(iii) pay compensation in accordance with the law for the time being in force for the damage, injury, or disturbance which may be done by the Lessee and to indemnify and keep indemnified the Central Government, administering authority and Department against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and all costs and expenses in connection therewith;

(iv) take all necessary steps and measures, for enabling the natural rehabilitation of the seabed affected by production operations, including any measures as may be specified by the Central Government;

(v) without delay forward to the Directorate General of Shipping, Director General, Indian Coast Guard, Directorate General of Mine Safety, administering authority and any other Government authority, a report of any accident causing death or serious bodily injury *or* serious injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operations under this Lease;

(vi) weigh or measure, or cause to be weighed or measured, all the produced and dispatched minerals, from the Lease Area, with seven days prior notice in writing being given to the administering authority and authorised officer of the Directorate for every such weighing or measuring in order that he or some person on his behalf may be present thereat;

(vii) pay stamp duty and registration charges as may be applicable in respect of this deed

(viii) during the term of the Lease, enter upon the Lease Area and carry out production operations for minerals specified in this deed, in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

(ix) comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder including rules made under section 19A of the Act and directions issued under section 21 of the Act;

IndiaCode

(x) prior to their deployment, ensure that all vessels to be deployed and installations to be erected in the Lease Area by the Lessee or by the contracted companies, shall undergo and clear naval security inspection of the Indian Navy under the aegis of the Flag Officer Commanding-in-Chief of the concerned Naval Command and Flag Officer, Offshore Defence Advisory Group and a clear one month's notice shall be given by the Lessee to the aforesaid offices to facilitate such inspection and clearance;

(xi) take measures, as specified by the Central Government, pertaining to prevention and control of pollution and conservation of marine ecosystem in protected areas including marine national parks, marine sanctuaries or any other area, as may be specified by the Central Government;

(xii) not carry on or allow to be carried on, any production operations at any point within a distance of five hundred metres from any telecommunication cables, offshore wind turbine generators, offshore power substations, oil platform or pipelines, underwater archaeological sites, defence installations or any port area, except under and in accordance with the prior approval of the competent authority, and any officer authorised by the administering authority or the Central Government in this behalf and the said distance of five hundred metres shall be measured from the outer edge of the relevant vessel, structure or installation, as applicable;

(xiii) furnish—

(a) an annual report, containing the full details of the work done by the Lessee and disclose all information acquired by the Lessee in the course of the operations carried on under this Lease regarding the geology and mineral resources of the area covered by the Lease to the Directorate, Geological Survey of India, administering authority, Indian Bureau of Mines and such other authority as may be specified. The report shall be submitted within a period of sixty days after the close of the year to which it relates;

(b) submit to the administering authority and Directorate, at any time before the performance security is returned to it or transferred to any other account, or within a period of three months after the expiration or termination or abandonment or surrender of the Lease, whichever is earlier, a full report of the work done by the Lessee, and disclose all information acquired by the Lessee in the course of the production operations carried on under this Lease regarding the geology and mineral resources of the Lease Area:

Provided that subject to provisions of the Act and the rules made thereunder, the Lessee may specify that the whole or any part of the reports and data submitted by him pursuant to clause 3.2 (a) (xiii) above shall be kept confidential, and the concerned authorities shall thereupon, keep such portions of the submitted reports and data as confidential as may be deemed fit:

Provided further that the Central Government may freely use such confidential reports and data for its own purposes:

Provided also that upon termination or expiration or surrender or abandonment of the Lease, whichever is earlier, all reports and data submitted by the said Lessee shall become the sole property of the Central Government;

(xiv) ensure that no interference is caused to any right of way in any recognised sea lanes for the purposes of navigation, or for any other purpose as may be authorised by the Central Government;

(xv) erect, maintain, display and keep in repair all notices or floaters or signage or buoys, marking the boundary of the Lease Area to the satisfaction of the Department, Directorate, administering

authority and other concerned government authorities, including the Indian Coast Guard and the Indian Navy;

(xvi) take appropriate steps and measures as specified by the Central Government, to ensure systematic disposal of solid or liquid waste, including hazardous waste, arising out of production operations, beneficiation or processing operations within the lease area; and

(xvii) work and carry on the production operations in a proper, skillful and workman-like manner.

(b) the Central Government shall —

(i) have the right, at all times to enter into and upon and to grant or demise to any person or persons whomsoever, liberty to enter into and upon the Lease Area for all or any purposes other than those for which sole rights and Lease are hereby expressly conferred upon the Lessee, including without limitation, to deploy on, over or through the Lease Area such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements as shall be considered necessary or expedient for any purposes, and to obtain from and out of the Lease Area such stone, earth or other materials as may be necessary or requisite for deploying, repairing or maintaining such vessels, equipments, platforms, pipelines, telecommunication cables and other such implements, to pass and repass at all times over such area for all purposes and as occasion shall require;

(ii) have the right to appropriate any performance security provided by the Lessee in accordance with terms of such performance security and require the Lessee to replenish the performance security. In case the performance security has been provided through a security deposit after termination of the Lease and fulfilment of all obligations of the lessee, such security deposit shall be returned to the Lessee after appropriate deductions. It is clarified that the security deposit shall not carry any interest;

(iii) have the right to carry out or perform any work or matters which in accordance with the covenants in that behalf are to be carried out or performed by the Lessee, but have not been so carried out or performed within the time specified in that behalf, and the Lessee shall pay the Central Government on demand all expenses which shall be incurred in carrying out or performance of the same.

(iv) have power to authorise any other licensee or lessee or person in its behalf to enter into and upon the Lease Area and (i) to search for, dig, raise and carry away petroleum and natural gas; (ii) lay upon or maintain, repair or replace offshore wind turbine generators, offshore power substations; (iii) for these purposes or any other purpose as may be authorised by the Central Government or the administering authority, as the case may be, to sink, drive, erect, construct, maintain, and use such plant, installations, pipeline, cables, waterways, engines, machineries and conveniences as may be deemed necessary:

Provided that in the exercise of such power no substantial hindrance or interference shall be caused to the rights of the Lessee under these presents and that fair compensation as may be mutually agreed upon or in the event of disagreement as may be decided by the administering authority shall be paid,—

(i) by such licensee or lessee or such other person to the Lessee for any loss or damage sustained by the Lessee by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be;

(ii) to such licensee or lessee or such other person by the Lessee for any loss or damage sustained by such licensee or lessee or such other person by reason of the exercise of this power by the Central Government, as the case may be; and

(v) have the power to grant and demise to any other licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority the power to enter into and upon the said areas and to lay pipelines or install pumping station for the purposes of extracting petroleum or natural gas by such licensee or lessee or operator duly authorised by the Government authority and the Lessee shall use its best efforts to

avoid obstructions to or interference with any petroleum operations or any operations pertaining to offshore wind power projects or such other operations being carried out or proposed to be carried out by an operator, duly authorised by the Government authority within the Lease Area.

3.3. If the Central Government is desirous of exercising its right of pre-emption with respect to any mineral, the Central Government shall pay the average sale price of such minerals as published by the Directorate prevailing at the time of pre-emption.

3.4. In the event of the existence of a state of war or emergency (of which existence the President of India shall be the sole judge and a notification to this effect in the Gazette of India shall be conclusive proof) the Central Government shall at all times during the said term have the right (to be exercised by a notice in writing to the Lessee or Lessees) to forthwith take possession and control of the vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments and premises of the Lessee on or in connection with the Lease Area or the operations under this Lease and during such possession or control, the Lessee shall conform to and obey all directions given by or on behalf of the Central Government regarding the use of employment of such vessels, installations, platforms, pipelines, plants, machineries, equipments, premises and minerals, provided that fair compensation, which shall be determined in default of agreement by the Central Government shall be paid to the Lessee for all loss or damage sustained by him/them by reason or in consequence of the exercises of the powers conferred by this clause and provided also that the exercise of such power shall not terminate the said term hereby granted or affect the terms and provisions of this clause.

3.5. Every notice required to be given to the Lessee shall be given in writing to such person as may be nominated by the Lessee and such nomination shall be informed to the administering authority in writing. If no such nomination is made then the notice shall be sent to the Lessee by registered post or speed post or e-mail, addressed to the Lessee at the address shown in the application for the Lease or at such other address in India as the lessee may designate and every such service shall be deemed to be proper and valid service upon the Lessee and shall not be questioned or challenged by him.

3.6. If in any event the orders of the administering authority are revised, reviewed or cancelled by the Central Government in pursuance of proceedings under the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025, the Lessee shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Lessee in exercise of the powers and privileges conferred upon the Lessee by these presents.

4 ***FORCE MAJEURE***

4.1. In this clause, the expression "*force majeure*" means act of God, war, insurrection, riot, civil commotion, strike, earthquake, storm, tidal wave, flood, lightning, explosion, fire, or any other happening which the Lessee could not reasonably prevent or control.

4.2. Failure on the part of the Lessee to fulfil any of the terms and conditions of this Lease shall not give the Central Government any claim against the Lessee or be deemed a breach of this Lease, in so far as such failure is considered by the Central Government to arise from a force majeure, and if the fulfilment by the Lessee of any of the terms and conditions of this Lease be delayed from force majeure, the period of such delay shall be added to the period fixed by this Lease.

4.3. The administering authority or the Central Government shall not be liable in any manner, whatsoever, to the Lessee in respect of any loss relating to, or arising out of, the occurrence or existence of any force majeure.

5 **GOVERNING LAW**

This Lease and all questions of its interpretation shall be construed in accordance with the laws for the time being in force. Subject to the provisions contained in section 28 of the Act, the courts at New Delhi shall have exclusive jurisdiction over disputes arising under this deed.

In witness whereof there presents have been executed at the [name of place] on [date].

SCHEDULE I: AREA OF PRODUCTION LEASE

(Description of offshore area, including latitudes and longitudes, to be provided.)

FORM E
FORMAT OF TRANSFER APPLICATION
[*See* rule 19(2)]

To

[*Address*]

I/We request for seeking transfer of composite licence or production lease.

S. No.	Item Detail	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the transferor	
2.	Address of the transferor	
3.	Name of the transferee	
4.	Address of the transferee	
5.	Production lease or composite licence number	
6.	Particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the area applied for	
7.	Date of registration of composite licence or production lease	
8.	Whether the transferee is eligible to hold the composite licence or production lease in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder	Yes/No
9.	The consideration payable by the transferee, including the consideration in respect of the exploration operations already undertaken and the reports and data generated during the operations.	
10.	Whether the transferee is agreeable to accept all the conditions and liabilities under any law for the time being in force which the transferor was subject to in respect of such a composite licence or production lease.	Yes/No

We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

The transferee and transferor also undertake to comply with the provisions of section 13B of the Act and the Offshore Areas Atomic Minerals Operating Right Rules, 2025 with respect to the transfer of the composite licence or production lease.

Yours faithfully,

Transferor

……

Transferee

……..

Place:

Date:

Instructions to applicants:

(a) The application must be signed by a duly authorised representative of the applicants, in case the applicant is a company.

(b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the applicant (which is a company) must be enclosed with the application. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the Central Government.

(c) Documentary evidence to confirm eligibility of the transferee to hold the composite licence or production lease in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, shall be submitted along with the application.

FORM F
FORMAT OF TRANSFER DEED

PART A

FORMAT OF DEED OF TRANSFER FOR COMPOSITE LICENCE

[*See* rule 19 (6)]

The Transfer Deed (**Deed**) is made on this [*day*] day of [*month*], [*year*] between:

1. (Name *of the Government*), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of Government Company*), a company registered under the (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of Corporation*), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the First Part;

AND

2. (*Name of the Government*), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of the Government Company*), a company registered under (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [*address*] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of Corporation*), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the Second Part;

AND

3. The President of India acting through the administering authority (hereinafter referred to as the **Central Government** which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the third part.

WHEREAS:

A. The Transferor has been granted a composite licence by the Central Government in respect of which the Central Government and the Transferor have executed an exploration licence deed of composite licence dated [*date*] and registered as no. [*number*] on [*date*] [at the office of the Sub-Registrar] of [*address*] in connection with the composite licence (collectively **Concession Documents**) and the same is attached hereto as ***Annexure A***.

B. In terms of the Concession Documents, the Transferor is entitled to undertake exploration operations in the offshore area described in the schedules to the Concession Documents (more particularly set out in ***Annexure B***) (**Licence Area**), for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Concession Documents including a covenant not to transfer the composite licence in violation of applicable laws.

C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [*date*], requested the administering authority for its approval in connection with transfer of the composite licence to the Transferee.

D. The administering authority has, pursuant to its letter dated [*date*] conveyed its approval to the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Concession Documents or the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (the **Act**) and the rules made thereunder as the case may be.

2. The Transferee hereby covenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the composite licence, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Concession Documents in the same manner in all respects as if the composite licence had been granted to the Transferee as the Licensee thereunder and he or it had originally executed the Concession Documents as such.

3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:

 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the composite licence.

 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the Licence Area for which the composite licence is being transferred vest in the Central Government.

 3.3. The Transferee acknowledges that he or it has received a copy of, and has read and understands the Concession Documents, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Concession Documents as if it was an original party thereto.

 3.4. The Transferor hereby declares that he or it has not assigned or in any other manner transferred the composite licence now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present composite licence being transferred.

 3.5. The Transferee hereby declares that he or it has accepted all the conditions and liabilities which the Transferor was having in respect of such composite licence.

 3.6. The Transferee further declares that he or it is financially capable of and shall directly undertake exploration operations.

 3.7. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all maps, sections and plans of abandoned workings in the Licence Area.

 3.8. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him or it under operating rights are not in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.

 3.9. The Transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards the Central Government till the date, in respect of the composite licence.

In witness whereof the parties hereto have signed on the, date and year first above written.

For and on behalf of the Central Government:

Name: _____

Designation: _____

For and on behalf of the Transferor:

Name: _____

For and on behalf of the Transferee:

Name: _____

ANNEXURE A:
Copy of Concession Documents

ANNEXURE B:
Location and area of the composite licence
[*Particulars of area, including Geo-coordinates, latitude and longitude, to be provided*]

PART B
FORMAT OF DEED OF TRANSFER FOR PRODUCTION LEASE
[*See* rule 19 (6)]

The Transfer Deed ("**Deed**") is made on this [*day*] day of [*month*], [*year*] between:

1. (Name *of the Government*), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of Government Company*), a company registered under the (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of Corporation*), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferor** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the First Part;

AND

2. (*Name of the Government*), having office at [address of the Government] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of the Government Company*), a company registered under (*Act under which incorporated*) and having its registered office at [*address*] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns); or

 (*Name of Corporation*), duly incorporated in India under [insert statute/regulations of incorporation] and having its registered office at [address] (hereinafter referred to as the **Transferee** which expression shall where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assigns) of the Second Part;

AND

3. The President of India acting through the administering authority (hereinafter referred to as the **Central Government** which expression shall where the context so admits be deemed to include the successors and assigns) of the Third Part.

WHEREAS:

A. The Transferor has been granted a production lease by the Central Government in respect of which the Central Government and the Transferor have executed: (a) a Offshore Mineral Development and Production Agreement, dated [*date*]; and (b) a lease deed dated [*date*] and registered as no. [*number*] on [*date*] [at the office of the Sub-Registrar] of [*address*] in connection with the production lease (collectively referred to as **Concession Documents**) and the same is attached hereto as ***Annexure A***.

B. In terms of the Concession Documents, the Transferor is entitled to search for, win and work offshore mines and minerals in respect of (*Name of minerals*) in the offshore area described in the schedules to the Concession Documents (more particularly set out in ***Annexure B***) (**Lease Area**), for the term and subject to the payment of the rents and royalties and observance and performance of the Transferor's covenant and conditions in the Concession Documents including a covenant not to transfer the production lease in violation of applicable laws.

C. The Transferor has, pursuant to its transfer application letter dated [*date*], requested the administering authority for its approval in connection with transfer of the production lease to the Transferee.

D. The administering authority has, pursuant to its letter dated [*date*] conveyed its approval to the transfer application of the Transferor subject to compliance by the Transferee of the terms and conditions contained in this Deed.

NOW THIS DEED WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Capitalised terms used but not defined in this Deed shall, unless the context otherwise requires, have the respective meanings ascribed thereto in the Concession Documents or the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003) (the **Act**) and the rules made thereunder as the case may be.

2. The Transferee hereby covenants with the Central Government that from and after the transfer and assignment of the production lease, the Transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in the Concession Documents in the same manner in all respects as if the production lease had been granted to the Transferee as the lessee thereunder and he or it had originally executed the Concession Documents as such.

3. It is further hereby agreed and declared by the Transferor of the one part and the Transferee of the other part that:

 3.1. The Transferee and the Transferor declare that the Transferee meets and shall continue to meet all the eligibility conditions which were required to be met by the Transferor for grant of the production lease.

 3.2. The Transferor and the Transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the Lease Area for which the production lease is being transferred vest in the Central Government.

 3.3. The Transferee acknowledges that he or it, has received a copy of, and has read and understands the Concession Documents, and covenants, agrees and confirms that it shall be bound by all provisions of the Concession Documents as if it was an original party thereto.

 3.4. The Transferor hereby declares that he or it, has not assigned or in any other manner transferred the production lease now being transferred and that no other person or persons has any right, title or interest where under in the present production lease being transferred.

 3.5. The Transferee hereby declares that he or it, has accepted all the conditions and liabilities which the Transferor was having in respect of such production lease.

 3.6. The Transferor has supplied to the Transferee the original or certified copies of all maps, sections and plans of abandoned workings in the Lease Area.

 3.7. The Transferee hereby further declares that as a consequence of this transfer, the total area while held by him/ it under operating rights are not in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.

 3.8. The Transferor has paid all the rent, royalties, and other dues towards the Central Government till the date, in respect of the production lease.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

For and on behalf of the Central Government:

Name: _____

Designation: _____

For and on behalf of the Transferor:

Name: _____

For and on behalf of the Transferee:

Name: _____

ANNEXURE A
Copy of Concession Documents

ANNEXURE B
Location and area of the production lease
[*Particulars of area, including Geo-coordinates, latitude and longitude, to be provided*]

FORM G
NOTICE OF TRANSFER OF COMPOSITE LICENCE OR PRODUCTION LEASE
[*See* rule 19 (9)]

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

iii. This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as specified within the rule, within a period of thirty days from the date of such transfer, by online or Email.

iv. The form shall be digitally signed by the concerned person.

1.	**Type of Operating Right**				*Check which is applicable*		
	(a) Production lease						
	(b) Composite licence						
2	**Indian Bureau of Mines Registration Number**						
3.	**Unique Indian Bureau of Mines Operating Right Number**						
	Production lease Code						
	Composite licence Code						
4.	**Mine Code**						
5.	**Name of Mine**						
6.	**Name of the mineral or minerals for which composite licence or production lease has been granted**				*(Information will be system generated)*		
7.	**Name and address of the Operating Right holder**				*(Information will be system generated)*		
8.	**Particulars of the Operating Right**				*(Information will be system generated)*		
9.	**Location of the lease area/ licence area**				*(Information will be system generated)*		
10.	**Name and address of the Transferee or Assignee**						
	Name	Address	Email	PAN number	Aadhar number/Registration Number	Passport number/ GST number	Mobile number
11.	**Letter number and date of transfer order issued by the administering authority**						

Place: Date:	*Signature* Name in full: Designation: Owner/Geologist/Mining Engineer

IndiaCode

FORM H

FORMAT OF MEMORANDUM OF APPEAL

[*See* rule 26 (1)]

To

[Address]

I/We submit the following appeal with the following particulars.

S. No.	Details of Item	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Name of appellant	
2.	Address of the appellant	
3.	Status of the appellant • Government • Government Company • Corporation	
4.	Whether the appeal is filed within the specified time period	Yes/No.
5.	If not, the reasons for not presenting it within the specified limit and seeking condonation of delay.	
6.	Purpose of the appeal	
7.	Appellant to specify— (a) number and date of communication of the order to the appellant and authority passing the order against which an appeal is preferred. (b) whether in relation to composite licence or production lease; (c) any other matter	
8.	Fee payable for the appeal	
9.	Name of bank, demand draft or challan number with date, through which the fee has been paid.	
10.	Mineral or minerals for which the appeal is filed	
11.	Details of area with respect to which the appeal is filed (give latitude and longitude covering the area).	
12.	Name and complete address of the party/parties impleaded	
13.	Number of copies of memorandum of appeal attached (Memorandum of appeal is to be submitted in triplicate if no party is impleaded. Besides these, for each party impleaded one additional copy is to be enclosed)	
14.	Grounds of appeal	
15.	Prayer(s) sought	

IndiaCode

I/We do hereby declare that the particulars furnished above are correct and am/are ready to furnish any other details, as may be required by you.

Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature of the appellant

Instructions to appellants.—

(a) The appeal shall be signed by a duly authorised representative of the appellant, in case the appellant is a company.

(b) The corporate authorisation of the authorised signatory of the appellant (which is the Government, a Government company or a corporation) shall be enclosed with the appeal. Any change in such corporate authorisation must be immediately intimated to the administering authority.

FORM I

NOTICE OF CHANGE IN PARTICULARS

[*See* rule 31]

To

1. Department of Atomic Energy, Anushakti Bhawan, Mumbai

2. Administering authority

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

Notice in this Form shall be sent so as to reach concerned authorities within a period of sixty days of the date of change in name and address

IndiaCode

1.	(i) Name(s) of the mineral (s) for exploration operations or production operations have been undertaken.	
	(ii) Name(s) of other minerals if any, for which composite licence or production lease has been granted:	
2.	(i) Name of the mine	
	(ii) Change in the name of mines, if any: (Indicate old name and reason of change)	
3.	(i) Name and address of the licensee or lessee or owner:	
	(ii) Change in Name and address of the licensee or lessee or owner (Indicate old name and reason of change)	
4.	Particulars of the Composite Licence or Production Lease:	
(i)	(i) Date of execution:	
(i)	(ii) Period: Years, from to	
(ii)	(iii) Extent of areas under production lease or composite licence: [in square kilometer]	
5.	Location of the Composite Licence or Production Lease:	

	[Longitudes and latitudes]	
	i. NHO Chart No.	
	ii. Area in sq. kms.	
	iii. Boundary coordinates of the block (in Decimal degree)	
	iv. Coast or Sea	
	v. Offshore Region	
	vi. Nearest Coastal Location	
	vii. Water depth (m)	
	viii. Nearest Harbour/ Port	
6.	Particulars of Agent, if any: Name and address (if applicable):	
7.	Particulars *of* the Manager *of* the mine; Name and address (if applicable)	
8.	Particulars of Mining Engineer employed in the mines (if applicable):	
	(i) Name and address:	
	(ii) Qualification:	
	(iii) Date of appointment:	
	(iv) Status of employment:	Whole time
9.	Letter No. and date through which the exploration plan or the production plan was approved by the authority as specified in the Offshore Areas Mineral Conservation and Development Rules 2024 No. of Approval Letter and date of Approval:	
10.	Any other specific information:	

Place: Date:	*Signature:* Name in full: Designation: Owner/Agent/ Manager/ Mining Engineer

IndiaCode

FORM J

PART A

REGISTER OF COMPOSITE LICENCES

[*See* rule 33]

1. Serial number.

2. Name of the licensee.

3. Address of registered office and residence of the licensee.

4. (a) Number and date of grant of composite licence.

 (b) Date of execution of exploration licence deed of composite licence.

(c) Date of registration of exploration licence deed of composite licence.

5. Geo co-ordinates of the offshore area.

6. Total offshore area for which composite licence has been granted.

7. The mineral or minerals for which composite licence has been originally granted.

8. Mineral or minerals added to the composite licence with date.

9. The details of the offshore area for which composite licence was originally granted.

10. Period for which the composite licence is granted.

11. Date of change together with details of change that take place in name, nationality, registered office, majority owners or other particulars of the licensee.

12. Royalty and any other payments, if payable.

13. Details of performance security.

14. Date of expiry or termination or abandonment or surrender.

15. Date from which the offshore area is available for regrant.

16. Any other information as may be required by administering authority.

17. Remarks.

18. Signature of the officer.

IndiaCode

PART B

REGISTER OF PRODUCTION LEASES

[*See* rule 33]

1. Serial number.

2. Name of the lessee.

3. Address of registered office and residence of the lessee.

4. (a) Number and date of grant of production lease.

(b) Date of execution of production lease deed.

(c) Date of registration of production lease deed.

5. Geo co-ordinates of the offshore area.

6. Total offshore area for which production lease has been granted.

7. The mineral or minerals for which production lease has been originally granted.

8. Mineral or minerals added to the production lease with date.

9. The details of the offshore area for which production lease was originally granted.

10. Period for which the production lease is granted.

11. Date of change together with details of change that take place in name, nationality, registered office, majority owners or other particulars of the lessee.

12. Royalty and any other payments, if payable.

13. Details of performance security.

14. Date of expiry or termination or abandonment or surrender.

15. Date from which the offshore area is available for regrant.

16. Any other information as may be required by administering authority.

17. Remarks.

18. Signature of the officer.

[F. No. M.VI-1/10/2024-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.07.16 20:06:21 +05'30'